# भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिये

# (राजस्व प्राप्तियाँ)
# उत्तर प्रदेश सरकार

---

http://www.cag.gov.in/html/cag_reports/up/index.htm

# विषय सूची


| विवरण | प्रस्तर | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| प्राक्कथन | | iii |
| विहंगावलोकन | | v से vii |
| **अध्याय– I: सामान्य** | | |
| राजस्व प्राप्तियों का रूझान | 1.1 | 1 |
| बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता | 1.2 | 3 |
| संग्रह की लागत | 1.3 | 4 |
| कर निर्धारण के बकाये मामले | 1.4 | 4 |
| राजस्व के बकायों का विश्लेषण | 1.5 | 4 |
| अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा आपत्तियॉ | 1.6 | 5 |
| लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का उत्तरवर्ती–सारांश | 1.7 | 6 |
| पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन | 1.8 | 7 |
| विभागीय लेखा परीक्षा समिति की बैठकें | 1.9 | 7 |
| लेखा परीक्षा के परिणाम | 1.10 | 7 |
| **अध्याय– II: वाणिज्य कर** | | |
| लेखा परीक्षा के परिणाम | 2.1 | 9 |
| **वाणिज्य कर विभाग में बकाये के संग्रह पर निष्पादन समीक्षा** | 2.2 | 10 |
| अन्य लेखा परीक्षा आपत्तियाँ | 2.3 | 22 |
| अधिनियम/नियमों के प्रावधानों को अमल में न लाया जाना | 2.4 | 22 |
| अर्थदण्ड एवं ब्याज का अनारोपण | 2.4.1 | 22 |

| विवरण | प्रस्तर | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| वस्तुओं के गलत वर्गीकरण तथा कर की गलत दर लगाये जाने के फलस्वरूप कर का कम आरोपण/अनारोपण | 2.4.2 | 26 |
| संवैधानिक प्रपत्रों के दुरूपयोग के फलस्वरूप करापवंचन | 2.4.3 | 28 |
| शासकीय विज्ञप्ति एवं विभागीय आदेश की शर्तों एवं प्रतिबंधों का पालन न किया जाना | 2.5 | 29 |
| त्रुटिपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किये जाने के फलस्वरूप कर का अनारोपण | 2.6 | 30 |
| **अध्याय–III: माल एवं यात्री वाहनों पर कर** | | |
| लेखा परीक्षा के परिणाम | 3.1 | 33 |
| लेखा परीक्षा आपत्तियाँ | 3.2 | 34 |
| अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का अनुपालन न किया जाना | 3.3 | 34 |
| **अध्याय–IV: स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस** | | |
| लेखा परीक्षा के परिणाम | 4.1 | 37 |
| लेखा परीक्षा आपत्तियाँ | 4.2 | 38 |
| शासन के निर्देशों का अनुपालन न किया जाना | 4.3 | 38 |
| **अध्याय–V: अन्य कर एवं करेतर प्राप्तियॉ** | | |
| लेखा परीक्षा के परिणाम | 5.1 | 41 |
| **लोक निर्माण विभाग की प्राप्तियों पर निष्पादन समीक्षा** | 5.2 | 42 |
| अन्य लेखा परीक्षा आपत्तियाँ | 5.3 | 53 |
| नियमों के प्रावधानों का अनुपालन न किया जाना | 5.4 | 53 |
| राजस्व सुरक्षा के संबंध में शासन के निर्देशों का संज्ञान में न लिया जाना | 5.5 | 54 |

# प्राक्कथन

31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष से सम्बन्धित यह प्रतिवेदन संविधान की धारा 151 (2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिये तैयार किया गया है।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखा परीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, अधिकारों एवं सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा–16 के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है। इस प्रतिवेदन में वाणिज्य कर, माल एवं यात्री वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस, राज्य के अन्य कर एवं करेतर प्राप्तियों के लेखा परीक्षा परिणामों का प्रस्तुतिकरण है।

इस प्रतिवेदन में वर्णित मामलों में वे मामले हैं जो वर्ष 2008–09 में अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आये तथा पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान प्रकाश में आये ऐसे मामले, जिन्हें विगत वर्षों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका।

# विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में दो समीक्षाओं सहित 13 प्रस्तर सम्मिलित हैं जिनमें ब्याज, अर्थदण्ड, कर आदि के अनारोपण/कम आरोपण आदि से सम्बन्धित 109.07 करोड़ रुपये की धनराशि सन्निहित है। कुछ मुख्य तथ्य नीचे वर्णित हैं :

## I. सामान्य

- उत्तर प्रदेश सरकार की वर्ष 2007–08 के दौरान 68,672.47 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियों के विरूद्ध वर्ष 2008–09 के लिए कुल प्राप्तियाँ 77,830.73 करोड़ रुपये थीं। राज्य सरकार द्वारा उगाहे गये 35,425.52 करोड़ रुपये के राजस्व में कर एवं करेतर राजस्व की कमशः 28,658.97 करोड़ रुपये तथा 6,766.55 करोड़ रुपये की राशि सम्मिलित है। भारत सरकार से 42,405.21 करोड़ रुपये की प्राप्तियाँ (विभाज्य संघीय अंश मदों में राज्य का भाग 30,905.72 करोड़ रुपये और सहायक अनुदान 11,499.49 करोड़ रुपये) थीं। इस प्रकार राज्य सरकार कुल राजस्व का 46 प्रतिशत ही उगाह सकी। वर्ष 2008–09 के दौरान बिकी, व्यापार आदि पर (17,482.05 करोड़ रुपये) तथा विविध सामान्य सेवाओं पर (1,698.79 करोड़ रुपये) कमशः कर एवं करेतर राजस्व के मुख्य साधन थे।

  **(प्रस्तर 1.1)**

- 31 मार्च 2009 को, जैसा कि सम्बन्धित विभागों ने सूचित किया है, मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत राजस्व के बकाये के रूप में 15,731.74 करोड़ रुपये थे।

  **(प्रस्तर 1.5)**

- 31 दिसम्बर 2008 तक निर्गत 8,547 निरीक्षण प्रतिवेदन, जिनमें 4,559.97 करोड़ रुपये की धनराशि सन्निहित थी और 20,222 लेखा परीक्षा प्रस्तर सम्मिलित थे, जून 2009 तक लम्बित थे।

  **(प्रस्तर 1.6)**

- वर्ष 2008–09 के दौरान वाणिज्य कर, माल एवं यात्री वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस, लोक निर्माण, वित्त विभाग, वन विभाग तथा मनोरंजन कर आदि के अभिलेखों की नमूना जॉच में 1,156.87 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण, कम आरोपण एवं राजस्व हानि के 3,272 मामलों का पता चला। वर्ष 2008–09 के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 8.23 करोड़ रुपये की धनराशि वाले अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के 372 मामले स्वीकार किये, जिनमें से 298 मामलों में 3.31 करोड़ रुपये मार्च 2009 तक वसूल कर लिये गये।

  **(प्रस्तर 1.10)**

## II. वाणिज्य कर

**''वाणिज्य कर विभाग में बकाये के संग्रह''** पर निष्पादन समीक्षा में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये :

- धारा–30 के अन्तर्गत कर निर्धारण वादों के बार–बार खोले जाने के फलस्वरूप 48.17 करोड़ रुपये कर का उदग्रहण न होना ।

  **(प्रस्तर 2.2.7)**

- 85 कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) को प्रस्तुत किये गये मासिक विवरण पत्रों का मॉग एवं वसूली रजिस्टर से प्रतिपरीक्षण

करने पर 254.62 करोड़ रुपये के राजस्व उदग्रहण के ऑकड़ों की भिन्नता पाई गई।

**(प्रस्तर 2.2.8)**

- निर्धारित प्रकिया का पालन न किये जाने, वसूली प्रमाण–पत्रों के जारी करने में विलम्ब एवं पंजीयन के समय व्यापारियों के विवरणों को सुनिश्चित न किये जाने के फलस्वरूप 142.69 करोड़ रुपये कर का उदग्रहण न होना ।

**(प्रस्तर 2.2.12)**

- अपलेखन वादों का सम्पादन न किये जाने के फलस्वरूप बकाये में 1,278.55 करोड़ रुपये का संचय हुआ।

**(प्रस्तर 2.2.13)**

- व्यापारिक अपराधों के लिये व्यापारियों पर आरोपणीय ब्याज एवं अर्थदण्ड के अनारोपण के फलस्वरूप 8 करोड़ रुपये का उदग्रहण न होना ।

**(प्रस्तर 2.4)**

## III. माल एवं यात्री वाहनों पर कर

- यात्री वाहनों पर कर के कम आरोपण के फलस्वरूप 4.16 करोड़ रुपये का कम उदग्रहण।

**(प्रस्तर 3.3.1)**

- वाहनों के सकल यान भार पर कर के अनारोपण के फलस्वरूप 1.11 करोड़ रुपये का कम उदग्रहण।

**(प्रस्तर 3.3.2)**

## IV. स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस

- पट्टा अवधि की गलत गणना के कारण स्टाम्प शुल्क के कम आरोपण के फलस्वरूप 3.44 करोड़ रुपये का कम उदग्रहण।

**(प्रस्तर 4.3.1)**

## V. अन्य कर एवं करेतर प्राप्तियाँ

**"लोक निर्माण विभाग की प्राप्तियों"** पर निष्पादन समीक्षा में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये :

- वित्तीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के फलस्वरूप 13.24 करोड़ रुपये की विभागीय प्राप्तियों का विभागीय व्यय के प्रति दुर्विनियोजन ।

**(प्रस्तर 5.2.7.1)**

- स्टाक के लाभ को राजस्व गद में जमा न किये जाने के फलस्वरूप 6.73 करोड़ रुपये राजस्व का कम लेखा बद्ध किया जाना ।

**(प्रस्तर 5.2.10.1)**

- पट्टे की मासिक किश्तों के भुगतान में विलम्ब के लिये प्रतिकर की वसूली न किये जाने के फलस्वरूप 92.39 लाख रुपये की हानि।

**(प्रस्तर 5.2.12.2)**

- निक्षेप कार्यों पर प्रतिशत प्रभारों का आरोपण न किये जाने के कारण 2.03 करोड़ रुपये राजस्व का कम उदग्रहण।

**(प्रस्तर 5.2.13)**

- 14.75 करोड़ रुपये गारन्टी फीस का अनारोपण/कम आरोपण।

**(प्रस्तर 5.5.1)**

# अध्याय–I
# सामान्य

## 1.1 राजस्व प्राप्तियों का रुझान

**1.1.1** उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2008–09 के दौरान उगाहा गया कर एवं करेतर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से राज्य को प्राप्त विभाज्य संघीय करों का अंश एवं सहायक अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तद्नुरूपी ऑकड़े नीचे दिये गये हैं :

**(करोड़ रुपये में)**

| क्र.सं. | विवरण | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | **राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व** | | | | | |
| | • कर राजस्व | 15,692.61 | 18,857.90 | 22,997.97 | 24,959.32 | 28,658.97 |
| | • करेतर राजस्व | 2,720.29 | 2,930.32 | 6,532.64 | 5,816.01 | 6,766.55 |
| | योग | **18,412.90** | **21,788.22** | **29,530.61** | **30,775.33** | **35,425.52** |
| II. | **भारत सरकार से प्राप्तियाँ** | | | | | |
| | • अनुदान विभाज्य संघीय करों में राज्य का भाग | 15,055.26 | 18,203.13 | 23,218.31 | 29,287.74 | 30,905.72[1] |
| | • सहायक अनुदान | 4,149.28 | 5,357.80 | 7,850.60 | 8,609.40 | 11,499.49 |
| | **योग** | **19,204.54** | **23,560.93** | **31,068.91** | **37,897.14** | **42,405.21** |
| III. | **राज्य की कुल प्राप्तियाँ (I + II)** | **37,617.44** | **45,349.15** | **60,599.52** | **68,672.47** | **77,830.73** |
| IV. | **I से III की प्रतिशतता** | **49** | **48** | **49** | **45** | **46** |

उपरोक्त सारणी इंगित करती है कि वर्ष 2008–09 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व कुल राजस्व प्राप्तियों (77,830.73 करोड़ रुपये) का, विगत वर्ष के 45 प्रतिशत के विरूद्ध, 46 प्रतिशत था। 2008–09 की प्राप्तियों का शेष 54 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त था।

[1] विवरण हेतु कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2008–09 के वित्त लेखों में लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे का विवरण संख्या–11 देखें। इस विवरण के वित्त लेखों में वृहत लेखा शीर्षक 'अ– कर राजस्व' के अन्तर्गत– 0020–निगम कर, 0021–आय और व्यय पर अन्य कर, 0028–निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0032–धन पर कर, 0037–सीमाकर, 0038–संघीय उत्पाद शुल्क, 0044–सेवा कर एवं 0045 वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क–राज्यों के समुदेशित निबल प्राप्तियों के हिस्सों के आंकड़े को राज्य द्वारा उगाहे गए राजस्व से निकाल दिया गया तथा 'विभाज्य संघीय करों में राज्य के हिस्से में' शामिल किया गया है।

**1.1.2** निम्नलिखित सारणी वर्ष 2004–05 से वर्ष 2008–09 की अवधि में उगाहे गये कर राजस्व का विवरण प्रस्तुत करती है :

(करोड़ रुपये में)

| क्र. सं. | राजस्व शीर्ष | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2007–08 के सन्दर्भ में 2008–09 में वृद्धि (+) अथवा कमी (–) | 2007–08 के सन्दर्भ में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | वाणिज्य कर | 8,888.31 | 11,284.67 | 13,278.82 | 15,023.10 | 17,482.05 | (+)2,458.95 | (+) 16.37 |
| 2. | राज्य आबकारी | 2,686.19 | 3,088.54 | 3,551.25 | 3,948.40 | 4,720.01 | (+) 771.61 | (+) 19.54 |
| 3. | स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस | 2,682.36 | 2,996.78 | 4,513.67 | 3,976.68 | 4,138.27 | (+) 161.59 | (+) 4.06 |
| 4. | वाहनों पर कर | 775.84 | 965.20 | 1,017.60 | 1,145.84 | 1,124.66 | (-) 21.18 | (-) 1.85 |
| 5. | विद्युत पर कर एवं शुल्क | 354.36 | 182.26 | 193.92 | 206.65 | 216.72 | (+) 10.07 | (+) 4.87 |
| 6. | भू राजस्व | 102.44 | 108.69 | 187.52 | 392.53 | 549.28 | (+) 156.75 | (+) 39.93 |
| 7. | वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क | 112.28 | 114.76 | 131.57 | 137.50 | 140.58 | (+) 3.08 | (+) 2.24 |
| 8. | माल एवं यात्रियों पर कर | 81.74 | 105.19 | 108.70 | 109.65 | 266.49 | (+) 156.84 | (+) 143.04 |
| 9. | अन्य (होटल प्राप्तियाँ, निगमित कर आदि) | 9.09 | 11.81 | 14.92 | 18.97 | 20.91 | (+) 1.94 | (+) 10.23 |
| | **योग** | **15,692.61** | **18,857.90** | **22,997.97** | **24,959.32** | **28,658.97** | **(+) 3,699.65** | **(+) 14.82** |

सम्बन्धित विभागों ने भिन्नता के कारणों को आग्रह किये जाने (अप्रैल 2009) के बाद भी सूचित नहीं किया (अगस्त 2009)।

**1.1.3** निम्नलिखित सारणी वर्ष 2004–05 से वर्ष 2008–09 की अवधि में उगाहे गये करेतर राजस्व का विवरण प्रस्तुत करती है :

(करोड़ रुपये में)

| क्र. सं. | राजस्व शीर्ष | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2007–08 के सन्दर्भ में 2008–09 में वृद्धि (+) अथवा कमी (–) | 2007–08 के सन्दर्भ में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | विविध सामान्य सेवाएँ | 58.02 | 75.02 | 2,281.23 | 1,153.53 | 1,698.79 | (+) 545.26 | (+) 47.27 |
| 2. | ब्याज प्राप्तियाँ | 597.93 | 457.94 | 828.86 | 1,247.84 | 963.87 | (-) 283.97 | (-) 22.76 |
| 3. | वानिकी एवं वन्य जीवन | 107.42 | 161.98 | 212.37 | 294.80 | 271.92 | (-) 22.88 | (-) 7.76 |
| 4. | वृहत एवं मध्यम सिंचाई | 176.60 | 53.78 | 143.29 | 319.43 | 260.91 | (-) 58.52 | (-) 18.32 |
| 5. | शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति | 581.02 | 934.81 | 814.96 | 1,217.62 | 1,080.61 | (-) 137.01 | (-) 11.25 |
| 6. | अन्य प्रशासनिक सेवाएँ | 128.23 | 99.96 | 99.71 | 146.10 | 145.04 | (-) 1.06 | (-) 0.73 |
| 7. | अलौह धातु उत्खनन एवं धातुमय उद्योग | 292.01 | 354.60 | 345.34 | 395.20 | 427.31 | (+) 32.11 | (+) 8.13 |
| 8. | पुलिस | 97.58 | 96.66 | 209.60 | 147.17 | 160.78 | (+) 13.61 | (+) 9.25 |

| क्र. सं. | राजस्व शीर्ष | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2007–08 के सन्दर्भ में 2008–09 में वृद्धि (+) अथवा कमी (–) | 2007–08 के सन्दर्भ में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | क्रॉप हस्बेन्ड्री | 18.60 | 40.84 | 33.96 | 51.03 | 49.64 | (-) 1.39 | (-) 2.72 |
| 10. | सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | 17.25 | 14.23 | 15.77 | 19.73 | 34.06 | (+) 14.33 | (+) 72.63 |
| 11. | चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य | 42.03 | 39.75 | 62.67 | 72.11 | 618.84 | (+) 546.73 | (+) 758.19 |
| 12. | लघु सिंचाई | 12.53 | 21.21 | 33.02 | 31.41 | 31.65 | (+) 0.24 | (+) 0.76 |
| 13. | सड़क एवं सेतु | 31.67 | 55.36 | 58.83 | 74.24 | 60.69 | (-) 13.55 | (-) 18.25 |
| 14. | लोक निर्माण | 31.44 | 36.09 | 26.59 | 34.03 | 57.52 | (+) 23.49 | (+) 69.03 |
| 15. | सहकारिता | 8.15 | 6.27 | 7.02 | 6.33 | 26.46 | (+) 20.13 | (+) 318.01 |
| 16. | अन्य | 519.81 | 481.82 | 1,359.42 | 605.44 | 878.46 | (+) 273.02 | (+) 45.09 |
| | **योग** | **2,720.29** | **2,930.32** | **6,532.64** | **5,816.01** | **6,766.55** | (+) **950.54** | (+) **16.34** |

सम्बन्धित विभागों ने भिन्नता के कारणों को आग्रह किये जाने (अप्रैल 2009) के बाद भी सूचित नहीं किया (अगस्त 2009) ।

## 1.2 बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता

राजस्व के मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 के लिये राजस्व प्राप्तियों के बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य भिन्नता नीचे दी गयी है :

(करोड़ रुपये में)

| क्र. सं. | राजस्व शीर्ष | बजट अनुमान | वास्तविक प्राप्तियाँ | भिन्नता वृद्धि (+) कमी (–) | भिन्नता की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|
| कर राजस्व | | | | | |
| 1. | वाणिज्य कर | 19,705.00 | 17,482.05 | (-) 2,222.95 | (-) 11.28 |
| 2. | राज्य आबकारी | 5,040.00 | 4,720.01 | (-) 319.99 | (-) 6.35 |
| 3. | स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस | 5,370.53 | 4,138.27 | (-) 1,232.26 | (-) 22.94 |
| 4. | माल एवं यात्रियों पर कर | 737.75 | 266.49 | (-) 471.26 | (-) 63.88 |
| 5. | वाहनों पर कर | 862.25 | 1,124.66 | (+) 262.41 | (+) 30.43 |
| 6. | वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क | 132.55 | 140.58 | (+) 8.03 | (+) 6.06 |
| 7. | विद्युत पर कर एवं शुल्क | 275.35 | 216.72 | (-) 58.63 | (-) 21.29 |
| 8. | भू राजस्व | 170.11 | 549.28 | (+) 379.17 | (+) 222.90 |
| करेतर राजस्व | | | | | |
| 1. | विविध सामान्य सेवाएँ | 1,144.92 | 1,698.79 | (+) 553.87 | (+) 48.38 |
| 2. | ब्याज प्राप्तियाँ | 1,588.57 | 963.87 | (-) 624.70 | (-) 39.32 |
| 3. | वानिकी एवं वन्य जीवन | 185.15 | 271.92 | (+) 86.77 | (+) 46.86 |
| 4. | वृहत एवं मध्यम सिंचाई | 56.99 | 260.91 | (+) 203.92 | (+) 357.82 |
| 5. | शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति | 79.80 | 1,080.61 | (+) 1,000.81 | (+) 1,254.15 |
| 6. | अलौह धातु उत्खनन एवं धातुमय उद्योग | 448.96 | 427.31 | (-)21.65 | (-) 4.82 |

सम्बन्धित विभागों ने भिन्नता के कारणों को आग्रह किये जाने (अप्रैल 2009) के बाद भी सूचित नहीं किया ( अगस्त 2009) ।

## 1.3 संग्रह की लागत

वर्ष 2006–07, 2007–08 तथा 2008–09 के दौरान प्रमुख राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत सकल संग्रह और सकल संग्रह पर हुए व्यय की प्रतिशतता के साथ ही साथ वर्ष 2007–08 के दौरान सकल संग्रह पर हुए व्यय की प्रासंगिक अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता नीचे दी गयी है :

(करोड़ रुपये में)

| क्र. सं. | राजस्व शीर्ष | वर्ष | सकल संग्रह | संग्रह पर व्यय | सकल संग्रह से संग्रह की लागत की प्रतिशतता | वर्ष 2007–08 के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | वाणिज्य कर | 2006-07 | 13,278.82 | 200.19 | 1.51 | 0.83 |
| | | 2007-08 | 15,023.10 | 228.19 | 1.52 | |
| | | 2008-09 | 17,482.05 | 272.54 | 1.56 | |
| 2. | माल तथा यात्री वाहनों पर कर | 2006-07 | 1,126.30 | 30.25 | 2.69 | 2.58 |
| | | 2007-08 | 1,255.49 | 36.15 | 2.87 | |
| | | 2008-09 | 1,391.15 | 50.43 | 3.62 | |
| 3. | स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस | 2006-07 | 4,513.67 | 61.36 | 1.36 | 2.09 |
| | | 2007-08 | 3,976.68 | 72.71 | 1.83 | |
| | | 2008-09 | 4,138.27 | 76.01 | 1.84 | |

## 1.4 कर निर्धारण के बकाये मामले

वाणिज्य कर विभाग द्वारा वर्ष 2004–05 से 2008–09 की अवधि में बताये गये, वर्ष के प्रारम्भ में बकाया कर निर्धारण के मामले, वर्ष के दौरान कर निर्धारण हेतु प्राप्त अतिरिक्त मामले, वर्ष के दौरान निस्तारित मामले तथा वर्ष के अन्त में निस्तारण हेतु अवशेष मामलों का विवरण, नीचे दिया गया है :

| वर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | वर्ष के दौरान कर निर्धारण हेतु प्राप्त मामले | योग | वर्ष के दौरान निस्तारित मामले | वर्ष के अन्त में अवशेष मामले |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | 4,82,677 | 5,87,405 | 10,70,082 | 5,39,360 | 5,30,722 |
| 2005-06 | 5,30,722 | 5,33,349 | 10,64,071 | 5,22,962 | 5,41,109 |
| 2006-07 | 5,41,109 | 6,00,531 | 11,41,640 | 5,64,532 | 5,77,108 |
| 2007-08 | 5,76,968 | 6,19,710 | 11,96,678 | 2,58,011 | 9,38,667 |
| 2008-09 | 9,38,667 | 5,33,358 | 14,72,025 | 9,50,313 | 5,21,712 |

{वर्ष 2007–08 के प्रारम्भिक अवशेष के लिये वर्ष 2006–07 के अन्तिम अवशेष से मिलान नहीं किया गया। विभाग द्वारा बताया गया (नवम्बर 2008) कि वर्ष 2007–08 के लिये प्रारम्भिक अवशेष सही था। अन्तर लिपिकीय त्रुटि के कारण होना बताया गया।}

## 1.5 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2009 को कुछ प्रमुख राजस्व शीर्षों के अन्तर्गत राजस्व के बकाये की धनराशि 15,731.74 करोड़ रुपये थी जिसमें से 9,210 करोड़ रुपये की वाणिज्य कर की राशि पॉच वर्षों से अधिक लम्बित थी, जिनका विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

| क्र. सं. | राजस्व शीर्ष | 31 मार्च 2009 को बकाये की धनराशि | 31 मार्च 2009 को 5 वर्ष से अधिक पुराने बकाये | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 1. | वाणिज्य कर | 15,389.85 | 9,210.00 | 15,389.85 करोड़ रुपये में से 926.75 करोड़ रुपये की मॉग भू राजस्व के बकाये के रूप में वसूली हेतु प्रमाणित कर दी गयी थी । न्यायालयों/सरकार द्वारा 2,050.13 करोड़ रुपये की वसूली स्थगित कर दी गयी थी। सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभागों पर 230.25 करोड़ रुपये की वसूली बकाया थी। 1,246.95 करोड़ रुपये की मॉग के अपलिखित होने की सम्भावना थी। 74.51 करोड़ रुपये का बकाया ट्रान्सपोर्टरों पर था। 869.84 करोड़ रुपये की वसूली के लिए, वसूली प्रमाण पत्र दूसरे राज्यों को भेज दिये गये। वसूली प्रमाण पत्र से अनाच्छादित 9,991.42 करोड़ रुपये का बकाया विभाग की विशेष कार्यवाही के अन्तर्गत था। |
| 2. | मनोरंजन कर | 10.26 | 4.86 | 10.26 करोड़ रुपये में से 4.70 करोड़ रुपये की मॉग भू राजस्व के बकाये के रूप में वसूली हेतु प्रमाणित कर दी गयी थी । न्यायालयों/सरकार द्वारा 5.24 करोड़ रुपये की वसूली स्थगित कर दी गयी थी। शेष 32 लाख रुपये की धनराशि के लिए नोटिस जारी कर दी गयी है। |
| 3. | स्टाम्प एवं निबन्धन | 249.67 | उपलब्ध नहीं | 249.67 करोड़ रुपये मे से 95.09 करोड़ रुपये की मॉग भू राजस्व के बकाये के रूप में वसूली हेतु प्रमाणित कर दी गयी थी। 154.58 करोड़ रुपये की मॉग न्यायालयों द्वारा स्थगित कर दी गयी थी। |
| 4. | भू राजस्व | 9.90 | उपलब्ध नहीं | 9.90 करोड़ रुपये की मॉग वसूली हेतु लम्बित थी। |
| 5. | माल तथा यात्री वाहनों पर कर | 72.06 | उपलब्ध नहीं | 72.06 करोड़ रुपये की मॉग में से 31 लाख रुपये और 1.18 करोड़ रुपये की मॉग क्रमशः न्यायिक और प्रशासनिक आदेशों के द्वारा स्थगित कर दी गयी थी। 89 लाख रुपये की मॉग को बट्टे खाते में डाला जाना सम्भावित था। शेष 69.68 करोड़ रुपये की मॉग वसूली के लिये लम्बित थी। |
| **योग** | | **15,731.74** | **9,214.86** | |

## 1.6 अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा आपत्तियाँ

निर्धारित नियमों और प्रकियाओं के अनुसार सम्व्यवहारों की नमूना जॉच और महत्वपूर्ण लेखों तथा अन्य अभिलेखों के रखरखाव के सत्यापन हेतु महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा) द्वारा रारकारी विभागों का समयावधिक निरीक्षण किया जाता है। इन निरीक्षणों को निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि0प्र0) के द्वारा प्रतिवेदित किया जाता है । निरीक्षण के दौरान महत्वपूर्ण अनियमितताओं का जब तत्काल समाधान नहीं हो पाता तो निरीक्षित कार्यालयों के अध्यक्षों को तथा उनके उच्चतर अधिकारियों को प्रतिलिपि के साथ नि0प्र0 जारी किये जाते हैं। अति महत्वपूर्ण अनियमितताओं को विभागाध्यक्षों तथा सरकार को प्रतिवेदित किया जाता है। कार्यालयाध्यक्षों द्वारा सम्बन्धित विभागाध्यक्षों के माध्यम से नि0प्र0 का उत्तर दो माह की अवधि के अन्दर देना अपेक्षित होता है।

31 दिसम्बर 2008 तक राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित जारी किये गये नि0प्र0 तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या, जिनका निस्तारण 30 जून 2009 तक विभागों द्वारा लम्बित

था, साथ ही साथ पूर्ववर्ती दो वर्षों के तद्नुरूपी ऑकड़े नीचे दिये गये हैं :

| क्र. सं. | | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या | 9,524 | 8,688 | 8,547 |
| 2. | अनिस्तारित लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या | 21,445 | 21,049 | 20,222 |
| 3. | निहित राजस्व की धनराशि (करोड़ रुपये में) | 4,782.48 | 2,642.28 | 4,559.97 |

जून 2009 तक अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन, लेखा परीक्षा आपत्तियॉ एवं सन्निहित धनराशि का विभागवार विवरण नीचे दिया गया है :

| क्र. सं. | प्राप्ति की प्रकृति | अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या | अनिस्तारित लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या | सन्निहित राजस्व की धनराशि (करोड़ रुपये में) | वर्ष जिनसे आपत्तियॉ सम्बन्धित हैं |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | वानिकी एवं वन्य जीवन | 1,050 | 1,900 | 1,942.70 | 1991-92 से 2008-09 |
| 2. | वाणिज्य कर | 2,410 | 8,590 | 1,758.19 | 1984-85 से 2008-09 |
| 3. | भू राजस्व | 592 | 848 | 25.93 | 1987-88 से 2008-09 |
| 4. | माल तथा यात्री वाहनों पर कर | 968 | 2,766 | 246.32 | 1984-85 से 2008-09 |
| 5. | लोक निर्माण | 459 | 888 | 39.88 | 1986-87 से 2008-09 |
| 6. | सिंचाई | 255 | 654 | 87.31 | 1984-85 से 2008-09 |
| 7. | गन्ने के क्रय पर कर | 96 | 111 | 53.53 | 1985-86 से 2008-09 |
| 8. | स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस | 1,941 | 3,208 | 180.71 | 1984-85 से 2008-09 |
| 9. | कृषि | 185 | 309 | 22.22 | 1985-86 से 2008-09 |
| 10. | विद्युत शुल्क | 250 | 305 | 167.07 | 1988-89 से 2008-09 |
| 11. | खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति | 105 | 179 | 19.76 | 1991-92 से 2008-09 |
| 12. | सहकारिता | 93 | 114 | 5.97 | 1985-86 से 2008-09 |
| 13. | मनोरंजन कर | 81 | 120 | 5.15 | 1997-98 से 2008-09 |
| 14. | चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य | 59 | 227 | 5.21 | 2002-03 से 2008-09 |
| 15. | कारागार | 3 | 3 | 0.02 | 2002-03 से 2008-09 |
| | **योग** | **8,547** | **20,222** | **4,559.97** | |

चूँकि बकाये की धनराशि वसूल न किये गये राजस्व को इंगित करती है अतः सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में उठाये गये प्रकरणों पर तेज एवं प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

## 1.7 लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का उत्तरवर्त्ती – सारांश

विभिन्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में चर्चित प्रकरणों के सन्दर्भ में कार्यपालिका पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवेदनों में सन्दर्भित सभी प्रस्तरों और समीक्षाओं पर, चाहे वह लोक लेखा समिति द्वारा परीक्षण हेतु लिए गये हों या न लिये गये हों; विभाग द्वारा स्वतः कदम उठाने के लिये वित्त विभाग ने जून 1987 में निर्देश जारी किये थे। वर्ष 2003–04 से 2007–08 की अवधि के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में, जो पहले ही राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जा चुके हैं, सम्मिलित 80 प्रस्तरों/समीक्षाओं से सम्बन्धित व्याख्यात्मक टिप्पणियॉ तीन माह की निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी अगस्त 2009 तक लेखा परीक्षा कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई थीं। वर्ष 2003–04 से अवशेष व्याख्यात्मक टिप्पणियों का विवरण नीचे वर्णित है :

| प्रतिवेदन का वर्ष | विधायिका के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन रखने की तिथि | लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों/समीक्षाओं की संख्या | प्रस्तरों/समीक्षाओं की संख्या जिन पर विभाग द्वारा व्याख्यात्मक टिप्पणियॉ प्राप्त हो चुकी हैं | प्रस्तरों/समीक्षाओं की संख्या जिन पर विभाग द्वारा व्याख्यात्मक टिप्पणियॉ प्राप्त नहीं हुई हैं |
|---|---|---|---|---|
| 2003–04 | 20 जुलाई 2005 | 25 | 10 | 15 |
| 2004–05 | 11 मार्च 2006 | 22 | 12 | 10 |
| 2005–06 | 25 जनवरी 2007 | 21 | 01 | 20 |
| 2006–07 | 15 फरवरी 2008 | 24 | 03 | 21 |
| 2007–08 | 17 फरवरी 2009 | 16 | 02 | 14 |
| **योग** | | **108** | **28** | **80** |

## 1.8 पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

वर्ष 2003–04 से 2007–08 तक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में 2,957.63 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण, करों के कम आरोपण /अनारोपण, राजस्व क्षति, मांग सृजित करने में असफलता आदि के मामले प्रतिवेदित किये गये थे। सम्बन्धित विभागों द्वारा अगस्त 2009 तक 1,071.88 करोड़ रुपये की आपत्तियॉ स्वीकार की गयीं और 10.21 करोड़ रुपये की वसूली की गई। लेखा परीक्षा प्रतिवेदनवार स्वीकार किये गये मामलों तथा वसूली का विवरण नीचे वर्णित है :

(करोड़ रुपये में)

| लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष | कुल धनराशि | स्वीकृत धनराशि | वसूल की गयी धनराशि |
|---|---|---|---|
| 2003-04 | 473.20 | 104.01 | 0.12 |
| 2004-05 | 449.74 | 30.39 | 1.18 |
| 2005-06 | 906.66 | 7.91 | 0.05 |
| 2006-07 | 92.18 | 1.74 | 0.03 |
| 2007-08 | 1,035.85 | 927.83 | 8.83 |
| योग | **2,957.63** | **1,071.88** | **10.21** |

## 1.9 विभागीय लेखा परीक्षा समिति की बैठकें

अनिस्तारित लेखा परीक्षा आपत्तियों के शीघ्र निस्तारण के लिए यह आवश्यक है कि आडिट कमेटियॉ नियमित रूप से मिलें और निस्तारण के लिये लम्बित सभी लेखा परीक्षा आपत्तियों पर यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित करें । वर्ष 2008–09 की अवधि में 11 विभागों में से छः विभागों ने 29 लेखा परीक्षा बैठकें कीं जिनमें 25.67 करोड़ रूपये के 1,360 प्रस्तर निस्तारित किये गये।

## 1.10 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2008–09 के दौरान वाणिज्य कर, माल एवं यात्री वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस, लोक निर्माण, वित्त विभाग, वन एवं मनोरंजन कर आदि विभागों के अभिलेखों की नमूना जॉच में 3,272 मामलों से सम्बन्धित 1,156.87 करोड़ रुपये के कर के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व क्षति के मामले प्रकाश में आये जिनमें से केवल कुछ निदर्शी मामले इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में वर्णित किये गये हैं । वर्ष 2008–09 के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 372 मामलों में 8.23 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों आदि के मामले स्वीकार किये जिनमें से 298 मामलों में 3.31 करोड़ रुपये मार्च 2009 तक वसूल किये गये थे।

इस प्रतिवेदन में 109.07 करोड़ रूपये के वित्तीय प्रभाव की दो समीक्षाओं सहित कर के अनारोपण/कम आरोपण, फीस, ब्याज एवं अर्थदण्ड आदि से संबंधित 13 प्रस्तर हैं। इनमें से विभागों/सरकार ने 4.26 करोड़ रुपये की धनराशि की आपत्तियॉ स्वीकार कीं। शेष मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। ये अध्याय–II से V में वर्णित किये गये हैं।

# अध्याय–II
# वाणिज्य कर

## 2.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2008–09 के दौरान वाणिज्य कर कार्यालयों के कर निर्धारण एवं अन्य अभिलेखों की नमूना जॉच में कर का कम आरोपण/अनारोपण, माल के गलत वर्गीकरण तथा कर की त्रुटिपूर्ण दर के फलस्वरूप कर का कम आरोपण/अनारोपण, कर की अनियमित करमुक्ति इत्यादि के 64.65 करोड़ रुपये के 1,967 मामले प्रकाश में आये जो निम्निलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं :

(करोड़ रुपये में)

| क0 सं0 | श्रेणियॉं | मामलों की संख्या | धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1. | **वाणिज्य कर विभाग में बकाये का संग्रह (एक समीक्षा)** | **1** | **00.00** |
| 2. | अर्थदण्ड/ब्याज का कम आरोपण/अनारोपण | 585 | 18.33 |
| 3. | कर का त्रुटिपूर्ण/कम आरोपण | 818 | 22.40 |
| 4. | कर से अनियमित करमुक्ति का दिया जाना | 315 | 9.78 |
| 5. | माल का गलत वर्गीकरण | 28 | 4.23 |
| 6. | केन्द्रीय बिक्री कर से सम्बन्धित अनियमितातायें | 53 | 1.06 |
| 7. | गणना की त्रुटि | 11 | 0.35 |
| 8. | टर्नओवर पर कर लगने से छूट जाना | 14 | 2.58 |
| 9. | अन्य अनियमितातायें | 142 | 5.92 |
| | **योग** | **1,967** | **64.65** |

वर्ष 2008–09 के दौरान विभाग ने 202 मामलों में 5.60 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें से 17.90 लाख रुपये के तीन मामले वर्ष 2008–09 में इंगित किये गये थे तथा शेष मामले पूर्ववर्ती वर्षों के थे। विभाग द्वारा वर्ष 2008–09 के दौरान 128 मामलों में 68.12 लाख रुपये की वसूली की गयी जिनमें से 8,390 रुपये का एक मामला वर्ष 2008–09 से सम्बन्धित था तथा शेष मामले पूर्ववर्ती वर्षों के थे।

वाणिज्य कर विभाग में **बकाये के संग्रह पर निष्पादन समीक्षा** तथा 9.23 करोड़ रुपये के कुछ निदर्शी लेखा परीक्षा के मामले अनुवर्ती प्रस्तरों में उल्लिखित हैं।

## 2.2 वाणिज्य कर विभाग में बकाये के संग्रह पर निष्पादन समीक्षा

### मुख्य अंश

- धारा–30 के अन्तर्गत कर निर्धारण वादों के बार–बार खोले जाने के फलस्वरूप 48.17 करोड़ रुपये कर का उदग्रहण न होना ।

**(प्रस्तर 2.2.7)**

- 85 कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) को प्रस्तुत किये गये मासिक विवरण पत्रों का मॉग एवं वसूली रजिस्टर से प्रतिपरीक्षण करने पर 254.62 करोड़ रुपये के राजस्व उदग्रहण के ऑकड़ों की भिन्नता पाई गई।

**(प्रस्तर 2.2.8)**

- निर्धारित प्रकिया का पालन न किये जाने, वसूली प्रमाण–पत्रों के जारी करने में विलम्ब एवं पंजीयन के समय व्यापारियों के विवरणों को सुनिश्चित न किये जाने के फलस्वरूप 142.69 करोड़ रुपये कर का उदग्रहण न होना ।

**(प्रस्तर 2.2.12)**

- अपलेखन वादों का सम्पादन न किये जाने के फलस्वरूप बकाये में 1,278.55 करोड़ रुपये का संचय हुआ।

**(प्रस्तर 2.2.13)**

### 2.2.1 परिचयात्मक

वाणिज्य कर (वा0क0) राज्य के राजस्व का मुख्य श्रोत है (दिसम्बर 2007 तक इसे व्यापार कर के रूप में जाना जाता था) जो कि वर्ष 2007–08 के दौरान राज्य के कुल राजस्व (24,959.32 करोड़ रुपये ) के 60 प्रतिशत अंश (15,023.10 करोड़ रुपये) के रूप में प्राप्त हुआ। वाणिज्य कर का आरोपण, 31 दिसम्बर 2007 तक उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 (उ0प्र0व्या0क0अधि0) के प्रावधानों एवं उसके अधीन बने नियमों, तत्पश्चात् उत्तर प्रदेश में मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम 2007 (उ0प्र0 वैट अधि0) के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। केन्द्रीय बिक्री कर के आरोपण का विनियमन केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (के0बि0क0अधि0), के प्रावधानों एवं उसके अधीन बने नियमों के अनुसार किया जाता है।

उ0प्र0व्या0क0अधि0 के प्रावधानों के अनुसार सम्बन्धित कर निर्धारण प्राधिकारियों (क0नि0प्रा0) (वाणिज्य कर अधिकारी) द्वारा कर निर्धारण किये जाने के पश्चात् शीघ्र उसके द्वारा व्यापारी को प्रपत्र–XI में सूचना के साथ कर निर्धारण आदेश की एक प्रति भी भेजी जायेगी ताकि व्यापारी सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर निर्धारित कर जमा कर दे। मॉगपत्र में व्यापारी द्वारा अदा किया गया कर तथा अवशेष बकाया प्रदर्शित रहता है । यदि कोई व्यापारी कर जमा करने में असफल रहता है तो इसकी वसूली उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0सु0अधि0) के प्रावधानों के अन्तर्गत भू राजस्व के बकाये की भॉति की जा सकेगी। क0नि0प्रा0 द्वारा इस सम्बन्ध में जिलाधिकारियों को वसूली प्रमाण पत्र (व0प्र0प0) उसमें निर्दिष्ट धनराशि की वसूली हेतु अग्रसारित किया जाता है । तथापि,

अक्टूबर 1998 से 14 जिलों[1] में क0नि0प्रा0 को उनके सम्बन्धित क्षेत्रों में वसूली अधिकारी की शक्तियॉ प्रदान की गयी हैं तथा उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0सु0अधि0 के अधीन उन्हें वसूली का दायित्व सौंपा गया है। वे कमिश्नर वाणिज्य कर (क0वा0क0) के समग्र नियंत्रण में कार्य करते हैं।

### 2.2.2 संगठनात्मक ढांचा

शासकीय स्तर पर प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन, उत्तर प्रदेश मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है। वाणिज्य कर विभाग का समग्र नियंत्रण एवं निर्देशन क0वा0क0 में निहित है जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। उसकी सहायता के लिए 18 एडीशनल कमिश्नर, 114 ज्वाइन्ट कमिश्नर (ज्वा0क0), 198 डिप्टी कमिश्नर (डि0क0), 376 असिस्टेन्ट कमिश्नर (अ0क0) एवं 376 वाणिज्य कर अधिकारी (वा0क0अ0) हैं।

### 2.2.3 लेखा परीक्षा का क्षेत्र एवं कार्य पद्धति

बकाये का फैलाव, बकाये वसूली के लिये विभाग में लागू प्रणाली एवं प्रक्रिया की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से एक समीक्षा मई 2008 से मार्च 2009 के मध्य तैयार की गयी जिससे आच्छादित अवधि वर्ष 2003–04 से 2007–08 थी । इस उद्देश्य के लिये 70 जिलों में से 24 जिलों[2] का चयन साधारण चयन न्यादर्श प्रणाली (रैन्डम सैम्पलिंग) द्वारा किया गया एवं 244 वा0क0 कार्यालयों में से 139 कार्यालयों (डि0क0 तथा अ0क0) के अभिलेखों की नमूना जॉच की गयी । क0वा0क0 कार्यालय के अभिलेखों की भी नमूना जॉच की गयी। लेखा परीक्षा के संज्ञान में कई कमियॉ आईं, जिनका उल्लेख आगामी प्रस्तरों में किया गया है ।

### 2.2.4 लेखा परीक्षा के उद्देश्य

निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से समीक्षा सम्पन्न की गयी थी :

- बकाये का फैलाव एवं बकाये में संचय के कारण ;
- बकाये में संचय की रोकथाम एवं उसके यथाशीघ्र वसूली के लिये प्रणाली की पर्याप्तता;
- बकाये की वसूली से सम्बन्धित अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों तथा विभागीय निर्देशों का अनुपालन ; और
- बकाये के शीघ्र वसूली के लिये प्रभावी आन्तरिक नियंत्रण तन्त्र की प्रभावशीलता।

---

1 आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, नोएडा, गोरखपुर, गाजियाबाद, झॉसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी ।

2 (i) उच्च जोखिम क्षेत्र के अन्तर्गत पॉच जिले (1,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व बकाया)।

(ii) मध्यम जोखिम क्षेत्र के अन्तर्गत दस जिले (100 करोड़ रुपये से अधिक परन्तु 1,000 करोड़ रुपये से कम का राजस्व बकाया)।

(iii) निम्न जोखिम क्षेत्र के अन्तर्गत नौ जिले (100 करोड़ रुपये से कम का राजस्व बकाया)।

## 2.2.5 अभिस्वीकृति

लेखा परीक्षा हेतु आवश्यक सूचनाओं तथा अभिलेखों को उपलब्ध कराने के लिये भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, वाणिज्य कर विभाग के सहयोग के लिये आभार प्रकट करता है। क0वा0क0, उत्तर प्रदेश एवं अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ एक आगम बैठक 20 अगस्त 2008 को सम्पन्न की गई थी जिसमें लेखा परीक्षा द्वारा तैयार की जाने वाली समीक्षा के उद्देश्यों के बारे में उन्हें बताया गया था। समीक्षा का आलेख प्रतिवेदन शासन/विभाग को 17 जून 2009 को प्रेषित किया गया था । निर्गम बैठक 1 जुलाई 2009 को सम्पन्न हुई थी जिसमें समीक्षा के निष्कर्षों पर ज्वाइण्ट कमिश्नर (आडिट) से विचार विमर्श किया गया । विभागीय दृष्टिकोण को सम्बन्धित प्रस्तरों में सम्मिलित किया गया है ।

## 2.2.6 बकाये का रूझान

विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के आधार पर विगत पॉच वर्षो के दौरान बकाये की स्थिति निम्नवत् थी :

(करोड़ रुपये में)

| वर्ष | प्रारम्भिक अवशेष (1 अप्रैल को) | सृजित मॉग | अपील प्राधिकारी द्वारा बकाये में कमी | संग्रहीत धनराशि | अन्तिम अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | 5,496.34 | 3,887.31 | 2,780.21 | 306.35 | 6,297.09 |
| 2004-05 | 6,297.09 | 3,768.84 | 2,518.94 | 337.31 | 7,209.68 |
| 2005-06 | 7,209.68 | 4,735.05 | 3,052.03 | 436.37 | 8,456.33 |
| 2006-07 | 8,456.33 | 10,194.15 | 3,470.32 | 610.59 | 14,569.57[3] |
| 2007-08 | 14,569.19 | 4,264.26 | 7,041.89 | 709.62 | 11,081.94 |

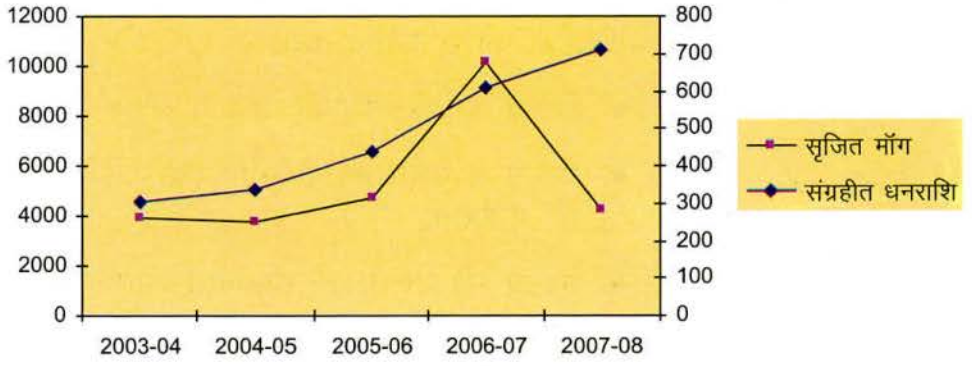


उपरोक्त तालिका से निम्न तथ्य प्रकाश में आये :

- प्रत्येक वर्ष में बकाये का संग्रह उस वर्ष में बकाये की वृद्धि के सापेक्ष बहुत ही कम था। सृजित मॉग के संदर्भ में बकाये के संग्रह की प्रतिशतता 5.99 प्रतिशत से 16.64 प्रतिशत के मध्य थी । इसके परिणामस्वरूप बकाये में वृद्धि होती गयी। एक अप्रैल 2004 को बकाया 6,297.09 करोड़ रूपये था जो कि 31 मार्च 2008 को बढ़कर 11,081.94 करोड़ रूपये हो गया, इस प्रकार 75.98 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई।

[3] 1 अप्रैल 2007 का प्रारम्भिक अवशेष 31 मार्च 2007 के अंतिम अवशेष से नहीं मिलता । विभाग से ऑकड़ो का मिलान करने के लिए कहा गया (अगस्त 2009)

- वर्ष 2006–07 में तेजी से बकाया बढ़ने का कारण मॉग का बहुत अधिक बढ़ जाना था । तेजी से बकाया बढ़ने के कारणों के सम्बन्ध में यद्यपि कि सूचना मॉगी गयी थी जो कि प्राप्त नहीं हुई है (अगस्त 2009)।

विभाग के अनुसार प्रत्येक वर्ष के अन्त में स्तर–वार बकाया के वसूली की स्थिति निम्नवत् थी :

(करोड़ रुपये में)

| क0 सं0 | वर्ष | लम्बित बकाये | इनके द्वारा वसूली स्थगित | | अपलेखन के लिए धनराशि | इनके विरूद्ध बकाया | | अन्य राज्यों को भेजे गये व0प्र0व0 में सन्निहित बकाया | प्रमाणित बकाया | प्रमाणित बकाये की लम्बित बकाये से प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | न्यायालय | शासन/ प्रशासनिक अधिकारी | | सरकारी विभाग/ अर्द्धसरकारी विभाग/ निगम | ट्रांसपोर्टर्स | | | |
| 1. | 2003-04 | 6,297.09 | 918.19 | 2,821.84 | 1,077.12 | 227.91 | 141.95 | 605.99 | 504.09 | 8.01 |
| 2. | 2004-05 | 7,209.68 | 1,018.07 | 3,507.46 | 979.52 | 215.52 | 126.72 | 651.39 | 711.00 | 9.86 |
| 3. | 2005-06 | 8,456.33 | 1,132.40[4] | 4,454.41[4] | 1,064.35 | 299.42 | 155.65 | 640.25 | 710.12[4] | 8.40 |
| 4. | 2006-07 | 14,569.57 | 1,796.80 | 9,739.85 | 1,183.27 | 257.11 | 168.71 | 779.13 | 644.70 | 4.42 |
| 5. | 2007-08 | 11,081.94 | 2,729.34 | 5,108.99 | 1,278.55 | 205.35 | 144.17 | 820.63 | 794.91 | 7.17 |

उपरोक्त तालिका से निम्न तथ्य प्रकाश में आये :

- प्रमाणित बकाया एक अप्रैल 2004 के 504.09 करोड़ रूपये से बढ़कर 31 मार्च 2008 को 794.91 करोड़ रूपये हो गया । बढ़ते बकाया की तुलना में वसूली की प्रगति धीमी रही ।
- शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों तथा निगमों पर लम्बित बकाये को प्रमाणित बकाये के रूप में नहीं प्रदर्शित किया गया है । यह स्पष्ट करता है कि इन विभागों से वसूली योग्य धनराशि की वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं किये गये।
- वर्ष 2003-04 में अपलेखन के लिए प्रस्तावित बकाये की धनराशि 1,077.12 करोड़ रूपये, वर्ष 2004–05 में घटकर 979.52 करोड़ रूपये रह गई । तथापि, लेखा परीक्षा द्वारा बार–बार अनुरोध किये जाने के पश्चात् भी 97.60 करोड़ रूपये अपलिखित किये जाने के सम्बन्ध में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

## लेखा परीक्षा की उपलब्धियॉ

### प्रक्रियात्मक कमियॉ

### 2.2.7 धारा–30 के प्रावधानों का बार–बार उपयोग (एक पक्षीय कर निर्धारण)

उ0प्र0व्या0क0अधि0 के प्रावधान के अन्तर्गत, विभाग द्वारा निर्धारित समय–सीमा के अन्दर व्यापारी का कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया जाता है। ऐसे मामलों में जहॉ व्यापारी अपने लेखों को प्रदर्शित करने के लिये उपस्थित नहीं होता है वहॉ कर निर्धारण आदेश एक पक्षीय आधार पर पारित कर दिया जाता है। तथापि, आदेश प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर व्यापारी, कर निर्धारण प्राधिकारी को ऐसे आदेश को समाप्त कर पुनः वाद खोलने के लिए आवेदन कर सकता है। अगर ऐसा प्राधिकारी संतुष्ट है

[4] ऑकड़े पिछली लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में प्रदर्शित ऑकड़ों से भिन्न हैं ।

कि प्रार्थी को सूचना प्राप्त नहीं हुई थी अथवा सुनवाई की तिथि पर उपस्थित न होने के पर्याप्त कारण थे तो वह कर निर्धारण आदेश को समाप्त करके वाद को पुनः सुनवाई के लिए खोल सकता है। एक पक्षीय कर निर्धारण आदेश को समाप्त करने के ऐसे आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि व्यापारी द्वारा स्वीकृत कर जमा करने का संतोषजनक साक्ष्य इसके साथ संलग्न न किया गया हो। लेखा परीक्षा के संज्ञान में आया कि अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत पुनः कर निर्धारण के लिए व्यापारियों ने बार–बार अनुरोध किया और मामलों का बारम्बार कर निर्धारण किया गया ।

तीन वाणिज्य कर कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि पॉच व्यापारियों ने निर्धारित तिथि पर वादों के निस्तारण के लिए अपने क0नि0प्रा0 के समक्ष न तो स्वयं को उपस्थित किया और न ही अपने लेखों को प्रस्तुत किया। उनके कर निर्धारण आदेशों को एक पक्षीय पारित किया गया। तत्पश्चात्, व्यापारियों ने वाद खोलने के लिए बार–बार आवेदन किया लेकिन पुनः उपस्थित नहीं हुये। वर्ष 1997–98 से 2004–05 के लिये वादों का बार–बार एक पक्षीय कर निर्धारण आदेश मार्च 2000 से मार्च 2007 के मध्य पारित किया गया। फलस्वरूप 47.24 करोड़ रूपये कर एवं 92.86 लाख रूपये प्रवेश कर की वसूली नहीं की जा सकी, विवरण निम्नवत् है :

(लाख रूपये में)

| क0 सं0 | कार्यालय का नाम | व्यापारियों की संख्या | कर निर्धारण वर्ष / कर निर्धारण का दिनांक | मामलों को पुनः खोलने की सं0 | अन्तिम कर निर्धारण का दिनांक | बीता समय व0–मा0–दि0 (दिनों में) | प्रवेश कर | कर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | डि0क0 (क0नि0)-XI, वा0क0, लखनऊ | 1 | 1997-98 / 1.03.2000 | 7 | 21.11.2008 | 8-07-22 (3,188 दिन) | - | 122.73 |
| | | 1 | 2001-02 / 26.12. 2003 | 4 | 18.12.2008 | 4-11-24 (1,840 दिन) | - | 145.46 |
| | | 1 | 2004-05 / 15.03.2007 | 3 | 22.11.2008 | 1-08-08 (633 दिन) | - | 378.92 |
| 2. | डि0क0 (क0नि0)-XIII, वा0क0, लखनऊ | 1 | 1999-2000 / 28.02.2002 | 6 | 21.09.2008 | 6-06-25 (2,398 दिन ) | - | 456.30 |
| | | | 2000-01 / 24.01.2003 | 8 | 3.09.2008 | 5-07-11 (2,050 दिन) | - | 1,087.03 |
| | | | 2001-02 / 31.12.2002 | 7 | 4.09.2008 | 5-08-05 (2,075 दिन) | - | 573.88 |
| 3. | डि0क0(क0नि0) -III, वा0क0, मुरादाबाद | 1 | 2003-04 / 27.03.2006 | 3 | 28.05.2007 | 1-02-01 (428 दिन) | 28.84 | 657.16 |
| | | | 2004-05 / 27.02.2007 | 3 | 6.05.2008 | 1-02-10 (435 दिन) | 64.02 | 1,302.22 |
| योग | | 5 | | | | | 92.86 | 4,723.70 |

उपरोक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि मामलों को बार–बार खोलने के फलस्वरूप धनराशि की वसूली नहीं हो सकी । तथापि, अधिनियम अथवा नियमों में ऐसे किसी प्रावधान को नहीं बनाया गया है जिससे कि ऐसे वादों को कुछ निश्चित मौका देने के उपरान्त पुनः न खोला जा सके ।

मामला शासन एवं विभाग को जून 2009 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2009) ।

## 2.2.8 संग्रह के ऑकड़ों में भिन्नता

वा0क0 मैनुअल के प्रस्तर सं0 318 के अनुसार प्रत्येक क0नि0प्रा0 द्वारा एक रजिस्टर जिसे बकाया एवं वसूली रजिस्टर कहा जाता है का रख–रखाव किया जाना अपेक्षित है। यह रजिस्टर वार्षिक रूप से तैयार किया जाता है जिसमें प्रत्येक व्यापारी द्वारा देय, वसूल की गयी एवं वसूली योग्य धनराशि का उल्लेख रहता है । प्रत्येक क0नि0प्रा0

(डि0क0 एवं अ0क0) द्वारा ज्वा0क0 (कार्यपालक)/एडिशनल कमिश्नर के माध्यम से प्रत्येक व्यापारी द्वारा देय एवं जमा कर का मासिक विवरण क0वा0क0 को भेजा जाता है। यह विवरण वर्ष के दौरान कुल मॉग एवं बकाये की प्रगति को दर्शाता है ।

सम्प्रेक्षा द्वारा "बकाया एवं वसूली रजिस्टर" में दिये गये विवरण का प्रतिपरीक्षण, 85 क0नि0प्रा0 द्वारा ज्वा0क0 (कार्यपालक) को प्रस्तुत किये गये मासिक विवरणी से किया गया। बकाया एवं वसूली रजिस्टर के अनुसार वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 के दौरान केवल 121.39 करोड़ रूपये की वसूली की गयी जबकि मासिक विवरणी के अनुसार कुल वसूली 376.01 करोड़ रूपये की थी। इस प्रकार उनमें 254.62 करोड़ रूपये की भिन्नता पाई गयी जिसका विवरण निम्नवत् है :

(लाख रूपये में)

| क0 सं0 | कार्यालय एवं जिला का नाम | 2006–07 | | | 2007–08 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मासिक विवरणी में भेजे गये ऑकड़े | बकाया एवं वसूली रजिस्टर के अनुसार ऑकड़े | भिन्नता | मासिक विवरणी में भेजे गये ऑकड़े | बकाया एवं वसूली रजिस्टर के अनुसार ऑकड़े | भिन्नता |
| 1. | डि0क0 (क0नि0)-I से XII, वा0क0, आगरा | 1,358.39 | 428.51 | 929.88 | 1,047.34 | 521.38 | 525.96 |
| 2. | डि0क0 (क0नि0)-I,III व IV, वा0क0, इलाहाबाद | 754.61 | 502.57 | 252.04 | 585.83 | 225.38 | 360.45 |
| 3. | डि0क0 (क0नि0)-I एवं III वा0क0, अलीगढ़ | - | - | - | 287.78 | 155.80 | 131.98 |
| 4. | डि0क0 (क0नि0) वा0क0, चन्दौली | 485.16 | 25.06 | 460.10 | 577.33 | 24.65 | 552.68 |
| 5. | डि0क0 (क0नि0) वा0क0, फतेहपुर | 73.50 | 12.49 | 61.01 | 75.17 | 20.77 | 54.40 |
| 6. | डि0क0 (क0नि0)-I से XII, वा0क0, गाजियाबाद | 3,526.67 | 1,854.23 | 1,672.44 | 4,830.54 | 2,215.14 | 2,615.40 |
| 7. | डि0क0 (क0नि0)-I एवं II वा0क0, गोरखपुर | 141.23 | 70.78 | 70.45 | 289.92 | 155.51 | 134.41 |
| 8. | डि0क0 (क0नि0)-I से VII, IX, X, XII व XIV से XX, वा0क0, कानपुर | 2,615.25 | 639.25 | 1,976.00 | 3,581.86 | 879.34 | 2,702.52 |
| 9. | डि0क0 (क0नि0)-I से XII, वा0क0, लखनऊ | 4,342.38 | 685.50 | 3,656.88 | 7,016.71 | 1,468.11 | 5,548.60 |
| 10. | डि0क0 (क0नि0) एवं अ0क0, वा0क0, मथुरा | - | - | - | 246.02 | 62.18 | 183.84 |
| 11. | डि0क0 (क0नि0)-II, IV से VI व डि0क0 (क0नि0)- सरधना, वा0क0, मेरठ | 869.40 | 355.48 | 513.92 | 1,638.25 | 383.94 | 1,254.31 |
| 12. | डि0क0 (क0नि0) वा0क0, मिर्जापुर | 35.97 | 25.00 | 10.97 | 54.81 | 21.73 | 33.08 |
| 13. | डि0क0 (क0नि0)-I से III, वा0क0, मुरादाबाद | 182.45 | 134.00 | 48.45 | 267.53 | 138.00 | 129.53 |
| 14. | डि0क0 (क0नि0) वा0क0, प्रतापगढ़ | 1.65 | 1.11 | 0.54 | 2.75 | 0.44 | 2.31 |
| 15. | अ0क0, वा0क0, संत कबीर नगर | - | - | - | 12.83 | 1.81 | 11.02 |
| 16. | डि0क0 (क0नि0) वा0क0, सोनभद्र | 540.33 | 360.85 | 179.48 | 618.43 | 456.16 | 162.27 |

| क0 सं0 | कार्यालय एवं जिला का नाम | 2006–07 | | | 2007–08 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मासिक विवरणी में भेजे गये ऑकड़े | बकाया एवं वसूली रजिस्टर के अनुसार ऑकड़े | भिन्नता | मासिक विवरणी में भेजे गये ऑकड़े | बकाया एवं वसूली रजिस्टर के अनुसार ऑकड़े | भिन्नता |
| 17. | डि0क0 (क0नि0)-I से VI, वा0क0, वाराणसी | 335.88 | 112.87 | 223.01 | 1,205.23 | 200.93 | 1,004.30 |
| योग | | **15,262.87** | **5,207.70** | **10,055.17** | **22,338.33** | **6,931.27** | **15,407.06** |

इस प्रकार दोनों वर्षो के लिए संग्रह के ऑकड़े विश्वसनीय नहीं थे जिनका मिलान किये जाने की आवश्यकता थी।

मामला शासन एवं विभाग को जून 2009 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2009) ।

## 2.2.9 आन्तरिक लेखा परीक्षा

आन्तरिक लेखा परीक्षा आन्तरिक नियंत्रण तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है और सामान्यतः इसे सभी नियन्त्रणों पर नियन्त्रण माना जाता है जो किसी संगठन को इस योग्य बनाता है कि वह अपने आपको आश्वस्त कर सके कि कानूनों, नियमों एवं विभागीय निर्देशों को तर्कपूर्ण प्रभाव के साथ व्यवस्थित रूप से लागू करने में निर्धारित आन्तरिक नियन्त्रण एक महत्वपूर्ण घटक है। आन्तरिक नियन्त्रण, विश्वसनीय वित्तीय एवं प्रबंध सूचना प्रणाली के निर्माण में सहायता करता है जिससे शीघ्र एवं प्रभावी सेवाऐं प्राप्त हो सकें और कर का अपवंचन एवं अन्य अनियमितताओं के विरूद्ध समुचित सुरक्षा मिल सके।

अभिलेखों की नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि एक आन्तरिक लेखा परीक्षा शाखा क0वा0क0 के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहा था। विभाग में लेखा परीक्षा अधिकारी, वरिष्ठ सम्प्रेक्षक एवं सम्प्रेक्षक के स्वीकृत पदों की संख्या क्रमशः 13, 40 एवं 51 थी परन्तु लेखा परीक्षा अधिकारी के समस्त पद, वरिष्ठ सम्प्रेक्षक के 9 पद एवं सम्प्रेक्षकों के 46 पद खाली थे। यह बताया गया कि वर्ष 2006–07 के दौरान 690 इकाईयों के विरूद्ध 520 इकाईयों की सम्परीक्षा सम्पादित की गई। तथापि, लेखा परीक्षा किस सीमा तक आच्छादित हुई यथा लिए गये दिन, सम्प्रेक्षा के लिए वांछित आबंटित दिनों की संख्या जैसा कि आबंटित/वास्तविक लिए गये, इकाईयों की समयावधि, किया गया परीक्षण, निर्गत स्थानीय लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन, सम्प्रेक्षा द्वारा मॉगे जाने पर भी उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे सम्प्रेक्षा, आन्तरिक सम्प्रेक्षा की दक्षता एवं प्रभावशीलता को सुनिश्चित नहीं कर सका ।

## अनुपालन में कमियॉ

## 2.2.10 वसूली प्रमाण–पत्रों के निर्गमन में विलम्ब

उ0प्र0व्या0क0अधि0 सपठित कमिश्नर के परिपत्र दिनांक 28 नवम्बर 1991 के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश एवं मांग की सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर आरोपित कर जमा किया जायेगा। विनिर्दिष्ट समय के अन्दर यदि इसे नहीं जमा किया जाता है तो क0नि0प्रा0 कर निर्धारण आदेश को प्राप्त कराये जाने के 45 दिन के पश्चात् भू–राजस्व के बकाये की भॉति कर की प्रभावी वसूली हेतु तुरन्त एक वसूली प्रमाण पत्र जारी करेगा।

आठ वाणिज्य कर कार्यालयों[5] के बकाया एवं वसूली रजिस्टर की नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 में 57 मामलों में, 1.11 करोड़ रूपये के व0प्र0प0 200 दिनों के औसत विलम्ब से जारी किये गये थे। वसूली अभी भी लम्बित है। विवरण निम्नवत् है :

| क0 सं0 | वसूली प्रमाण पत्र के निर्गम में विलम्ब | 2006-07 | | 2007-08 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | मामलों की संख्या | धनराशि (लाख रुपये में) | मामलों की संख्या | धनराशि (लाख रुपये में) |
| 1. | 3 माह तक | 1 | 2.12 | 3 | 17.46 |
| 2. | 3 से 6 माह तक | 5 | 8.58 | 18 | 38.71 |
| 3. | 6 से 12 माह तक | 6 | 3.12 | 16 | 29.16 |
| 4. | 1 वर्ष से अधिक तक | 4 | 10.68 | 4 | 1.02 |
| **योग** | | **16** | **24.50** | **41** | **86.35** |

मामला शासन एवं विभाग को जून 2009 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2009) ।

## 2.2.11 ट्रान्सपोर्टरों को निर्गत वसूली प्रमाण–पत्र

उ0प्र0व्या0क0अधि0 की धारा 28 बी के अन्तर्गत, जब कोई वाहन प्रान्त बाहर से माल लेकर राज्य के भीतर प्रवेश करता है तब चालक या ऐसे वाहन का अन्य प्रभारी व्यक्ति प्रथम चेक पोस्ट अथवा सीमा के प्रभारी अधिकारी से प्रान्त में प्रवेश के पश्चात् माल के परिवहन के लिए निर्धारित तरीके से प्राधिकार प्राप्त करेगा तथा अन्तिम चेक पोस्ट या सीमा से राज्य के बाहर निकासी के पूर्व वहॉ के प्रभारी अधिकारी को प्राधिकार दे देगा। इसके न देने पर यह मान लिया जायेगा कि उनके द्वारा लाये गये माल को प्रान्त के अन्दर बेचा जा चुका है तथा ऐसे माल पर निर्धारित कर की वसूली के लिए ट्रान्सपोर्टर को वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा । कमिश्नर के परिपत्र दिनांक 1 नवम्बर 1991 के अनुसार वसूली प्रमाण पत्र ट्रान्सपोर्टरों के सही पते पर ही जारी किये जाने चाहिए। पता उपलब्ध न होने पर वसूली प्रमाण पत्र पर ट्रक का नम्बर अंकित किया जायेगा जिससे कि परिवहन विभाग, जहॉ पर यह वाहन पंजीकृत है, से व्यापारी का पूर्ण पता प्राप्त किया जा सके ।

46 वाणिज्य कर कार्यालयों द्वारा क0वा0क0 को प्रस्तुत किये गये मासिक विवरणी से यह ज्ञात हुआ (वर्ष 2006–07 के अनुसार) कि 9.18 करोड़ रूपये के वसूली प्रमाण पत्र प्रान्त अन्दर के ट्रान्सपोर्टरों से बकाये की वसूली के लिए जारी किये गये थे लेकिन कोई धनराशि वसूल नहीं हुयी। इसी प्रकार वर्ष 2006–07 तक 32.29 करोड़ रूपये के वसूली प्रमाण पत्र अन्य राज्य के ट्रान्सपोर्टरों को भेजे गये थे। फलस्वरूप 41.47 करोड़ रूपये के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हो पायी जैसा कि नीचे दिया गया है :

(लाख रुपये में)

| क0 सं0 | कार्यालय एवं जिला का नाम | प्रान्त अन्दर बकाया (2006–07) | प्रान्त बाहर बकाया (2006–07) |
|---|---|---|---|
| 1. | डि0क0 (क0नि0)-I व II, अ0क0, खण्ड–I से खण्ड– XIV, वा0क0, आगरा | 288.16 | 1,086.09 |

[5] डि0 क0 (क0नि0) वा0क0 चन्दौली, डि0 क0 (क0नि0)–I वा0क0 गोरखपुर, डि0 क0 (क0नि0) –XV एवं XX वा0क0 कानपुर, डि0क0 (क0नि0)–VIII वा0क0 लखनऊ एवं डि0 क0 (क0नि0)–I,II एवं III वा0क0 मुरादाबाद।

| क0 सं0 | कार्यालय एवं जिला का नाम | प्रान्त अन्दर बकाया (2006–07) | प्रान्त बाहर बकाया (2006–07) |
|---|---|---|---|
| 2. | अ0क0, खण्ड–I, वा0क0, चन्दौली | 4.26 | 35.72 |
| 3. | डि0क0 (क0नि0)-I, III एवं V वा0क0, गाजियाबाद | - | 492.69 |
| 4. | अ0क0, खण्ड–III, V से IX वा0क0, लखनऊ | 5.97 | 135.78 |
| 5. | अ0क0, खण्ड–I से IV व VI से VIII वा0क0, मेरठ तथा अ0क0, वा0क0 सरधना (मेरठ) | 188.96 | 478.24 |
| 6. | अ0क0, खण्ड–I से III वा0क0, मिर्जापुर | 52.46 | 179.04 |
| 7. | अ0क0, खण्ड–I से IX वा0क0, वाराणसी | 378.16 | 821.78 |
| योग | | **917.97** | **3,229.34** |

चूँकि वसूली प्रमाण पत्रों से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये थे अतः बकाये की वसूली के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जा सकी ।

मामला शासन एवं विभाग को जून 2009 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2009) ।

## 2.2.12 निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न किया जाना

उ0प्र0व्या0क0अधि0 के अन्तर्गत प्रत्येक व्यापारी, जो कर का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी है, से अपेक्षा की जाती है कि वह पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करे। क0नि0प्रा0 का यह कर्तव्य है कि वह पंजीयन प्रमाण पत्र निर्गत करने के पहले व्यापारी की पहचान, उसकी जीविका का श्रोत, आर्थिक स्थिति तथा उसके स्थानीय एवं स्थायी पते का सत्यापन कर ले। स्वयं को सन्तुष्ट करने के पश्चात् वह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करेगा । पुनश्च, बिक्री कर मैनुअल खण्ड–3, भाग–I, के नियम 211(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत नई फर्म तथा बन्द फर्मों का अन्तिम रूप से कर निर्धारण प्राथमिकता के आधार पर इस प्रकार किया जाना चाहिए जैसा कि शीघ्र ही कालबाधित होने वाले मामलों में किया जाता है। निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न किये जाने के फलस्वरूप 142.69 करोड़ रूपये की वसूली नहीं हो सकी, जैसा कि नीचे वर्णित है :

**2.2.12.1** 10 वाणिज्य कर कार्यालयों[6] के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि 13 व्यापारियों ने अपना व्यापार बन्द कर दिया था । इनमें से केवल दो व्यापारियों ने अपना व्यापार बन्द करने की सूचना विभाग को दी थी। विभागीय अधिकारियों द्वारा शेष 11 व्यापारियों के मामलों में यह पाया गया कि वह अपने व्यापारिक स्थल पर उपस्थित नहीं थे। यद्यपि इन मामलों का अन्तिम रूप से निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना अपेक्षित था परन्तु इनका निस्तारण दो से तीन वर्षों के विलम्ब से किया गया। यद्यपि 52.57 करोड़ रूपये के वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किये गये थे परन्तु मामलों के अन्तिम रूप से निस्तारण में विलम्ब होने के कारण व्यापारियों को व्यापारिक स्थल छोड़ने का समय मिल गया। फलस्वरूप 52.57 करोड़ रूपये की वसूली नहीं हो सकी ।

---

[6] अ0.क0. खण्ड.X वा0क0 आगरा, डि0क0 (क0नि0)–IV वा0क0 इलाहाबाद, अ0क0. खण्ड.–II वा0क0 गाजियाबाद, डि0क0 (क0नि0) –XVIII बी वा0क0 कानपुर, डि0क0 (क0नि0) –XIX वा0क0 कानपुर, डि0क0 (क0नि0)–I वा0क0 गौतम बुद्ध नगर, अ0क0 खण्ड.– III वा0क0 गाजियाबाद, डि0क0 (क0नि0) वा0क0 प्रतापगढ़, डि0क0 (क0नि0) वा0क0 सोनभद्र तथा अ0क0 खण्ड.VI वा0क0 वाराणसी।

मामला शासन एवं विभाग को जून 2009 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2009) ।

**2.2.12.2** डि0क0 (कर वसूली अधिकारी), गाजियाबाद के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 में 106.57 करोड़ रूपये के 835 व0प्र0प0 भू–राजस्व के बकाये की भॉति वसूली हेतु दिल्ली राज्य को भेजे गये थे । इनमें से 87.53 करोड़ रूपये के 456 व0प्र0प0 अप्रैल 2006 एवं मार्च 2008 के मध्य व्यापारियों का गलत पता अंकित होने की टिप्पणी के साथ वापस लौट आये। इस प्रकार पंजीयन के समय व्यापारियों द्वारा दिये गये विवरणों की सत्यता की जॉच न होने के फलस्वरूप राजकीय राजस्व की वसूली नहीं हो सकी ।

मामला शासन एवं विभाग को जून 2009 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2009) ।

**2.2.12.3** डि0क0 (क0नि0)–XX, वा0क0 कानपुर के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि 2.59 करोड़ रूपये के दो मामले कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उप जिलाधिकारी कानपुर देहात को वसूली के लिए भेजे गये थे। विभाग द्वारा बकाये की वसूली के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी । विवरण नीचे दिया गया है :

(लाख रुपये में)

| क0 सं0 | व्यापारियों का नाम | कर निर्धारण वर्ष<br>कर निर्धारण का दिनांक | धनराशि | व0प्र0प0 की संख्या तथा निर्गम की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | मे0 सिंह ट्रेडर्स, कानपुर | 1999-00<br>23.04.2003 | 238.49 | 122<br>1 अगस्त 2003 |
| | | | 10.00 | 123<br>1 अगस्त 2003 |
| 2. | मे0 शिव शक्ति ग्रामोद्योग समिति, कानपुर | 2001-02<br>18.08.2006 | 4.88 | 99<br>13 अक्टूबर 2006 |
| | | 2003-04<br>18.08.2006 | 5.67 | 100<br>13 अक्टूबर 2006 |
| योग | | | **259.04** | |

लेखा परीक्षा में पाया गया कि दो से चार वर्ष का समय बीत जाने के बाद भी प्रभावी वसूली हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस प्रकार धनराशि अप्राप्त रही।

मामला शासन एवं विभाग को जून 2009 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2009) ।

## 2.2.13 अपलेखन की कार्यवाही न किया जाना

कमिश्नर के परिपत्र दि0 9 जून 1992 के अनुसार 6 वर्ष से अधिक समय से बकाये के लम्बित ऐसे मामले जो वसूली योग्य नहीं हैं तथा जिनमें संयुक्त जॉच की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है सक्षम प्राधिकारी को अपलेखन हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए । पुनश्च, 6 वर्ष से कम अवधि के लम्बित बकाये को अपलेखन के लिए प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। तथापि, विशेष परिस्थितियों में ऐसे मामले संयुक्त जॉच को पूर्ण किये जाने के पश्चात उसकी एक प्रति शासन को सूचनार्थ भेजते हुये अपलेखन के लिए प्रस्तुत किये जा सकते हैं। वर्ष 2007–08 तक सम्पूर्ण बकाया 11,081.94 करोड़ रूपये के विरूद्ध 1,278.55 करोड़ रूपये (11.54 प्रतिशत) अपलेखन हेतु प्रस्तावित था। मामला क0नि0प्रा0 एवं क0वा0क0 के मध्य लम्बित है और अभी भी पत्राचार में है।

सात वाणिज्य कर कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 1984–85 से 2002–03 के मध्य 18 व्यापारियों से 47.49 करोड़ रूपये कर

वसूल किया जाना था । ऐसे सभी मामलों में कर वसूली की संभावना को सुनिश्चित करने के लिये संयुक्त जॉच गठित की गयी थी । मार्च 1998 एवं सितम्बर 2005 के मध्य पूरी कर ली गयी जॉच में कोई भी धनराशि वसूली योग्य नहीं पायी गयी। इसके उपरान्त क0नि0प्रा0 द्वारा 47.49 करोड़ रूपये के अपलेखन हेतु क0वा0क0 को प्रस्ताव भेजे गये थे। एक वर्ष से नौ वर्ष तक की अवधि बीत जाने के बाद भी अपलेखन का मामला क0नि0प्रा0 एवं क0वा0क0 के मध्य पत्राचार में था। कोई भी धनराशि अपलिखित नहीं हो पायी (जून 2009) । विवरण निम्नवत् है :

(लाख रुपये में)

| क0 सं0 | कार्यालय का नाम | व्यापारियों की संख्या | बकाया कर | अपलेखन के लिये क0वा0क0 को प्रस्तुत करने की प्रथम तथा अन्तिम तिथि | लम्बित अवधि (वर्षों में) | संयुक्त जॉच पूर्ण होने की तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | डि0क0 (क0नि0)-XII, वा0क0, आगरा | 1 | 597.52 | 24.02.05<br>04.02.09 | 4 | फरवरी 2005 के पूर्व |
| 2. | अ0क0, खण्ड–III, वा0क0, आगरा | 7 | 474.98 | 15.02.05<br>04.02.09 | 4 | |
| | | | 222.30 | 16.02.05<br>03.02.09 | 4 | |
| | | | 117.37 | 16.02.05<br>04.02.09 | 4 | |
| | | | 322.75 | 16.02.05<br>09.07.08 | 3 | |
| | | | 218.66 | 16.02.05<br>18.08.06 | 1 | |
| | | | 161.41 | 16.02.05<br>03.02.09 | 4 | |
| | | | 153.37 | 16.02.05<br>03.02.09 | 4 | |
| 3. | डि0क0 (क0नि0)-I, वा0क0, अलीगढ़ | 1 | 120.29 | 22.12.04<br>12.12.08 | 4 | दिसम्बर 2004 के पूर्व |
| 4. | अ0क0, वा0क0, चन्दौली | 3 | 554.70 | 13.11.06 के पूर्व<br>31.11.08 | 2 | फरवरी 2005 |
| | | | 536.51 | 13.11.06 के पूर्व<br>31.11.08 | 2 | जनवरी 2003 |
| | | | 161.05 | 13.11.06 के पूर्व<br>31.11.08 | 2 | फरवरी 2005 |
| 5. | डि0क0 (क0नि0)- XIII, वा0क0, कानपुर | 3 | 1.95 | 27.04.04<br>14.07.09 | 5 | अप्रैल 2004 के पूर्व |
| | | | 4.10 | 03.07.04<br>14.07.09 | 5 | 30 जुलाई 1999 |
| | | | 4.64 | 03.07.04<br>14.07.09 | 5 | 22 अक्टूबर 2000 |
| 6. | अ0क0, खण्ड–VIII, वा0क0, मेरठ | 2 | 679.00 | 13.08.99<br>19.11.08 | 9 | 21 मार्च 1998 तथा 30 जुलाई 1999 |
| | | | 233.60 | 18.02.99<br>19.11.08 | 8 | 30 दिसम्बर 1998, 30 जुलाई 1999 तथा 18 मार्च 2001 |

| क0 सं0 | कार्यालय का नाम | व्यापारियों की संख्या | बकाया कर | अपलेखन के लिये क0वा0क0 को प्रस्तुत करने की प्रथम तथा अन्तिम तिथि | लम्बित अवधि (वर्षों में) | संयुक्त जॉच पूर्ण होने की तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | अ0क0, खण्ड–I, वा0क0, वाराणसी | 1 | 185.03 | 09.09.05<br>23.01.09 | 3 | सितम्बर 2005 के पूर्व |
| योग | | 18 | **4,749.23** | | | |

मामला शासन एवं विभाग को जून 2009 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2009) ।

## 2.2.14 निष्कर्ष

राज्य के राजस्व का मुख्य श्रोत वाणिज्य कर है। यद्यपि वर्ष 2003–04 से 2006–07 के दौरान बकाया बढ़ने का रुझान पाया गया था परन्तु बकाये की शुद्धता तथ्यों के परिपेक्ष्य में संदेहास्पद थी क्योंकि बकाया एवं वसूली रजिस्टर ठीक ढंग से नहीं बनाया गया था। इस प्रकार व्यापारी के विरूद्ध बकाये की सही धनराशि एवं बकाया के वसूली की स्तर–वार स्थिति का पता नहीं चल पाया था। बकाये की वसूली के लिए समुचित अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गयी थी।

व0प्र0प0 को जारी करने में विलम्ब, बकाया न जमा करने वाले व्यापारियों का काल बाधित कर निर्धारण ऐसे कुछ कारक थे जो कि न केवल बकाये की वसूली को रोकते थे बल्कि बकाये को समय से वसूल करने की प्रणाली में कमियां भी उजागर करते थे।

## 2.2.15 संस्तुतियों का सारांश

शासन :

- बकाये एवं वसूली पर लगातार नियन्त्रण रखने के लिए तन्त्र का निर्माण करने ;
- लम्बित बकाये की वसूली हेतु प्रभावी उपाय किये जाने तथा
- एकपक्षीय मामलों के अन्तर्गत वादों को पुनः खोलने के अवसरों के साथ ही साथ समय सीमा को निर्धारित किये जाने

पर विचार कर सकता है।

## 2.3 अन्य लेखा परीक्षा आपत्तियाँ

*वाणिज्य कर विभाग के कर निर्धारण अभिलेखों की जाँच में अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों को अमल में न लाये जाने, कर/अर्थदण्ड/ब्याज के अनारोपण/कम आरोपण, गलत संवैधानिक प्रपत्रों को स्वीकार किये जाने, अनियमित छूट, कर की गलत दर लगाये जाने आदि के अनेक मामले प्रकाश में आये जो कि इस अध्याय में आगे दिये गये प्रस्तरों में उल्लिखित हैं। ये मामले उदाहरणात्मक हैं तथा लेखा परीक्षा द्वारा की गयी नमूना जाँच पर आधारित हैं। प्रत्येक वर्ष लेखा परीक्षा में कर निर्धारण प्राधिकारियों (क0नि0प्रा0) के स्तर पर ऐसी त्रुटियाँ तथा न केवल ऐसी अनियमितायें बल्कि लेखा परीक्षा कराये जाने के समय तक की छिपी हुई गलतियाँ प्रकाश में लाई जाती हैं। शासन स्तर पर आन्तरिक लेखा परीक्षा को मजबूती प्रदान किये जाने के साथ ही साथ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली में सुधार किये जाने की भी आवश्यकता है।*

## 2.4 अधिनियम/नियमों के प्रावधानों को अमल में न लाया जाना

*उ0प्र0व्या0क0अधि0 में प्रावधान है :*

*(i) विभिन्न प्रकार के व्यापारिक अपराधों के लिये अर्थदण्ड के आरोपण ;*

*(ii) स्वीकृत कर के विलम्बित भुगतान की दशा में ब्याज को प्रभारित किये जाने ;*

*(iii) निर्धारित दरों के अनुसार कर एवं ब्याज के आरोपण तथा*

*(iv) विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों के विषय में कर की रियायती दर/करमुक्ति।*

*क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण करते समय उपरोक्त प्रावधानों में से कुछ को ध्यान में नहीं रखा। इसके परिणामस्वरूप आठ करोड़ रुपये धनराशि के कर/अर्थदण्ड का कम आरोपण हुआ जो कि नीचे प्रस्तरों में उल्लिखित है :*

### 2.4.1 अर्थदण्ड एवं ब्याज का अनारोपण

*क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण करते समय व्यापारियों के व्यापारिक अपराधों पर ध्यान नहीं दिया जैसे कि अनियमित संव्यवहार, लेखा पुस्तकों से बाहर के संव्यवहार, अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के प्रतिकूल संव्यवहार। यद्यपि कि अधिनियम में अर्थदण्ड के आरोपण एवं ब्याज के प्रभारित किये जाने हेतु स्पष्ट प्रावधान हैं फिर भी इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी जिसके परिणामस्वरूप 5.33 करोड़ रुपये धनराशि के अर्थदण्ड का अनारोपण एवं ब्याज का प्रभारित न किया जाना हुआ जो कि नीचे प्रस्तरों में उल्लिखित है :*

**2.4.1.1** उ0प्र0व्या0क0अधि0 के अन्तर्गत, एक पंजीकृत व्यापारी, राज्य के बाहर से कर योग्य माल के आयात हेतु सड़क, रेल, नदी अथवा वायु मार्ग से आयात किये जाने वाले माल के बारे में फार्म XXXI में एक घोषणा अपने क0नि0प्रा0 के समक्ष प्रस्तुत करेगा। आयातकर्ता इस माल की आपूर्ति तब तक नहीं लेगा जब तक कि वह क0नि0प्रा0 को सम्यक रूप से भरे गये व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र को दो प्रतियों में, पृष्ठांकन हेतु प्रस्तुत न कर दे। इन प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में क0नि0प्रा0 ऐसे व्यक्ति या व्यापारी को आयात किये गये माल के मूल्य के 40 प्रतिशत से अनाधिक या ऐसे माल पर आरोपणीय कर का तीन गुना, जो भी अधिक हो, अर्थदण्ड का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है। पुनश्च, कमिश्नर, व्यापार कर ने अक्टूबर 2005 में

घोषणा पत्रों से अनाच्छादित माल के आयात पर समय से अर्थदण्ड की कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे।

चार वाणिज्य कर कार्यालयों के अभिलेखों की अक्टूबर 2004 तथा फरवरी 2009 के मध्य नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि पॉच व्यापारियों ने राज्य के बाहर से 3.17 करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुओं का आयात बिना फार्म XXXI में घोषणा किये हुए किया। क0नि0प्रा0 ने कर आरोपित किया परन्तु न तो अर्थदण्ड आरोपित किया और न ही माल के अनधिकृत आयात हेतु अर्थदण्ड आरोपित न किये जाने के कारणों की विवेचना की। नीचे दिये गये विवरण के अनुसार 1.27 करोड़ रुपये तक अर्थदण्ड आरोपणीय था :

(लाख रुपये में)

| क0 सं0 | कार्यालय का नाम | व्यापारियों की संख्या | कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष) | आयातित वस्तु का मूल्य | वस्तु का नाम | अधिकतम आरोपणीय अर्थदण्ड |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अ0क0, वा0क0, चॉदपुर, बिजनौर | 1 | 2005-06 (अक्टूबर 2007) | 24.28 | तिपहिया वाहन | 9.71 |
| 2. | अ0क0, खण्ड II, वा0क0, नोएडा | 1 | 2005-06 (मार्च 2008) | 12.79 | पॉलिएस्टर यार्न | 5.11 |
| | | 1 | 2001-02 (फरवरी 2004) | 2.18 | हार्डवेयर, पेन्टस, जी0पी0 स्टोर तथा मार्बल | 0.87 |
| 3. | अ0क0, खण्ड IV, वा0क0, नोएडा | 1 | 2005-06 (मार्च 2008) | 274.48 | विद्युत सामग्री | 109.79 |
| 4. | अ0क0, खण्ड II, वा0क0, सीतापुर | 1 | 2005-06 (अक्टूबर 2007) | 2.98 | अप्रमाणित बीज | 1.19 |
| **योग** | | **5** | | **316.71** | | **126.67** |

मामले विभाग को प्रतिवेदित किये जाने के पश्चात् अ0क0, खण्ड–II, वा0क0, नोएडा ने बताया कि मामले को पुनः खोला गया (2001–02) तथा बिना घोषणा पत्र के 2.71 लाख रुपये मूल्य का संव्यवहार पाया गया एवं 1.08 लाख रुपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया । वसूली की स्थिति एवं शेष मामलों के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2009)।

मामला शासन को मार्च 2008 तथा मार्च 2009 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2009)।

**2.4.1.2** उ0प्र0व्या0क0अधि0 के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि क0नि0प्रा0 इस बात से सन्तुष्ट है कि एक व्यापारी ने अपना टर्नओवर छिपाया है अथवा जानबूझकर अपने टर्नओवर के सम्बन्ध में गलत विवरण प्रस्तुत किया है तो वह ऐसे व्यापारी को, कर के अतिरिक्त, इस प्रकार बचाये गये कर का न्यूनतम 50 प्रतिशत और अधिकतम 200 प्रतिशत तक की धनराशि को अर्थदण्ड के रुप में भुगतान करने हेतु निर्देशित कर सकता है।

16 वाणिज्य कर कार्यालयों के अभिलेखों की सितम्बर 2005 तथा मार्च 2009 के मध्य नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि 16 व्यापारियों ने वर्ष 1999–2000 से 2005–06 के दौरान 17.23 करोड़ रुपये के विक्रय टर्नओवर को छिपाया। क0नि0प्रा0 ने 116.81 लाख रुपये का कर आरोपित किया किन्तु कोई भी अर्थदण्ड आरोपित नहीं

किया जो कि न्यूनतम दर से 58.40 लाख रुपये होता है जैसा कि परिशिष्ट–I में दर्शाया गया है।

मामले विभाग को प्रतिवेदित किये जाने के पश्चात् क0नि0प्रा0 ने मार्च 2006 तथा जनवरी 2009 के मध्य बताया कि पॉच मामलों के सम्बन्ध में 7.53 लाख रूपये का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है । वसूली की स्थिति एवं शेष मामलों के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2009) ।

मामला शासन को नवम्बर 2005 एवं मार्च 2009 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2009) ।

**2.4.1.3** उ0प्र0व्या0क0अधि0 के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि क0नि0प्रा0 इस बात से सन्तुष्ट है कि कोई व्यापारी अथवा अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपना स्वीकृत कर निर्धारित समय में जमा करने में असफल रहा है तो वह व्यापारी को यह निर्देश दे सकता है कि उसके द्वारा यदि कोई कर देय हो तो उसके अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में ऐसे देय कर का न्यूनतम 10 प्रतिशत, किन्तु अधिकतम 25 प्रतिशत, यदि देय कर दस हजार रुपये तक हो और देय कर का 50 प्रतिशत, यदि देय कर दस हजार रुपये से अधिक हो, अदा करे।

तीन वाणिज्य कर कार्यालयों[7] के अभिलेखों की नवम्बर 2006 तथा फरवरी 2009 के मध्य नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि तीन व्यापारियों ने जिनका कर निर्धारण वर्ष 2004–05 से 2005–06 के लिये किया गया था, अपना 2.74 करोड़ रुपये का स्वीकृत कर निर्धारित समय के अन्दर जमा नहीं किया। औसत विलम्ब 147 दिनों का था। स्वीकृत कर के विलम्बित भुगतान पर 27.44 लाख रुपये का न्यूनतम अर्थदण्ड आरोपणीय था जिसे आरोपित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप उपरोक्तानुसार राजस्व में कमी आई।

मामला विभाग एवं शासन को दिसम्बर 2006 तथा दिसम्बर 2008 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2009)।

**2.4.1.4** उ0प्र0व्या0क0अधि0 के अन्तर्गत ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी ठेकेदार को ऐसी संकर्म संविदा के अनुपालन में किसी माल के स्वामित्व के अन्तरण के लिये देय मूल्यवान प्रतिफल के विरूद्ध किसी दायित्व के निर्वहन में भुगतान के लिये उत्तरदायी हो, ऐसी संकर्म संविदा के लिए अधिनियम के अन्तर्गत देय राशि में से चार प्रतिशत की कटौती करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार काटी जाने वाली राशि की कटौती करने में या कटौती के उपरान्त इस प्रकार काटी गई राशि को कटौती किये जाने वाले माह के अगले माह की समाप्ति के पूर्व शासकीय कोषागार में जमा करने में असफल रहता है तो, क0नि0प्रा0 ऐसे व्यक्ति को अर्थदण्ड के रुप में इस प्रकार काटी गयी धनराशि के दो गुने से अनाधिक राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है।

16 वाणिज्य कर कार्यालयों के अभिलेखों की मई 2005 तथा जनवरी 2009 के मध्य नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि 17 व्यापारियों ने वर्ष 2002–03 से 2005–06 के दौरान ठेकेदारों को भुगतान करते समय 52.63 लाख रुपये के कर की कटौती श्रोत पर की किन्तु उसे राजकीय कोषागार में 137 दिनों के औसत विलम्ब से जमा किया। क0नि0प्रा0 ने 1.05 करोड़ रुपये का अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जैसा कि परिशिष्ट–II में दर्शाया गया है।

---

[7] डि.क. (क.नि.)–XII वा.क. लखनऊ, डि.क. (क.नि.)– VII वा.क. नोएडा तथा डि.क. (क.नि.) वा.क. सोनभद्र।

मामलों को दिसम्बर 2007 तथा फरवरी 2009 के मध्य प्रतिवेदित किये जाने के पश्चात् विभाग ने बताया कि चार मामलों के सम्बन्ध में 13.57 लाख रुपये का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है। वसूली की स्थिति एवं शेष मामलों के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2009)।

मामला शासन को नवम्बर 2005 एवं मार्च 2009 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2009)।

**2.4.1.5** के0बि0क0अधि0 के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि कोई पंजीकृत व्यापारी मिथ्या घोषणा करते हुए कि ऐसी वस्तुऐं उसके पंजीयन प्रमाण पत्र (पं0प्र0प0) से आच्छादित हैं, फार्म 'सी' प्रस्तुत करके प्रान्त बाहर से कोई वस्तु कर के रियायती दर पर क्रय करता है, तो वह अभियोजन का पात्र होगा। तथापि, यदि क0नि0प्रा0 यह उचित समझता है, तो अभियोजन के एवज में वह ऐसे माल की बिक्री पर देय कर के डेढ़ गुने तक का अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है।

34 वाणिज्य कर कार्यालयों के अभिलेखों की सितम्बर 2004 तथा मार्च 2009 के मध्य नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2001–02 से 2006–07 के दौरान 37 व्यापारियों ने फार्म–सी में घोषणा के विरूद्ध कर की रियायती दर पर 11.97 करोड़ रुपये के माल की खरीद की थी। व्यापारियों द्वारा खरीदी गयी वस्तुऐं उनके पं0प्र0प0 से आच्छादित नहीं थीं। इनमें से किसी भी व्यापारी को दंडित नहीं किया गया तथा वे 1.89 करोड़ रुपये तक के अर्थदण्ड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे जो कि सम्बन्धित क0नि0प्रा0 द्वारा आरोपित नहीं किया गया जैसा कि परिशिष्ट–III में दर्शाया गया है।

मामलों को दिसम्बर 2004 एवं अप्रैल 2009 के मध्य प्रतिवेदित किये जाने के पश्चात् विभाग ने बताया कि 14 मामलों के संबंध में 38.64 लाख रुपये का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है। वसूली की स्थिति एवं शेष मामलों के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2009)।

मामला शासन को नवम्बर 2005 एवं मार्च 2009 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2009) ।

**2.4.1.6** उ0प्र0व्या0क0अधि0 के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि कोई व्यापारी माल के क्रय अथवा विक्रय पर वाणिज्य कर के रूप में कोई धनराशि या धारा 8क की उपधारा (2) के प्रावधानों के विपरीत ऐसे कर के स्थान पर इसे अन्य कोई रूप अथवा नाम देते हुए कोई राशि वसूल करता है तो वह न्यूनतम् ऐसी वसूल की गई धनराशि के बराबर तथा अधिकतम ऐसी धनराशि के तीन गुना तक के अर्थदण्ड हेतु उत्तरदायी हो सकता है ।

दो वाणिज्य कर कार्यालयों[8] के अभिलेखों की जुलाई 2008 तथा अगस्त 2008 के मध्य नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2005–06 के दौरान दो व्यापारियों ने ग्राहकों से अधिक कर के रूप में 5.90 लाख रूपये वसूल किया। क0नि0प्रा0 ने अधिक वसूली गयी कर की राशि को जब्त कर लिया परन्तु 5.90 लाख रूपये के न्यूनतम अर्थदण्ड को आरोपित नहीं किया।

मामला विभाग एवं शासन को नवम्बर 2008 तथा फरवरी 2009 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2009)।

**2.4.1.7** उ0प्र0व्या0क0अधि0 के प्रावधानों के अन्तर्गत, ऐसे प्रत्येक व्यापारी से जिस पर कर अदा करने का दायित्व है, अपेक्षा की जाती है कि जिस माह में कर देय था उसके अनुवर्ती माह की समाप्ति से पूर्व कर की धनराशि राजकोष में जमा करे। यदि व्यापारी

---

[8] डि0क0(क0नि0)–II, वा0क0, कानपुर तथा डि0क0(क0नि0)–II, वा0क0, मेरठ।

द्वारा स्वीकृत देय कर का भुगतान, निर्धारित तिथि तक नहीं किया जाता है तो अदत्त भुगतान पर जमा की तिथि तक दिनांक 11 अगस्त 2004 तक दो प्रतिशत प्रति माह की दर से एवं उसके पश्चात 14 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होता है।

चार वाणिज्य कर कार्यालयों के अभिलेखों की जनवरी 2008 तथा फरवरी 2009 के मध्य नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि चार व्यापारियों के मामलों में जिनका कर निर्धारण मार्च 2004 और अगस्त 2007 के मध्य वर्ष 2001–02 से 2006–07 के लिये किया गया था, 41.23 करोड़ रुपये का स्वीकृत कर 446 दिनों के औसत विलम्ब के पश्चात् जमा किया गया था। स्वीकृत कर के विलम्बित भुगतान पर 20.08 लाख रुपये का ब्याज आरोपणीय था जिसे क0नि0प्रा0 द्वारा आरोपित नहीं किया गया था जैसा कि नीचे उल्लिखित है :

(लाख रुपये में)

| क0 सं0 | कार्यालय का नाम | व्यापारियों की संख्या | कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष) | स्वीकृत कर | विलम्ब की अवधि (दिनों में) | ब्याज की वार्षिक दर | आरोपणीय ब्याज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | डि0क0 (क0नि0)–Iए,वा0क0, गाजियाबाद | 1 | 2004-05 (मार्च 2007) | 5.62 | 981 | 14 | 2.15 |
| 2. | डि0क0 (क0नि0)–XII वा0क0, लखनऊ | 1 | 2004-05 (मार्च 2007) | 4,101.49 | 4 से 6 | 24 | 11.96 |
| 3. | अ0क0, खण्ड I, वा0क0, पीलीभीत | 1 | 2001-02 (मार्च 2004) | 6.25 | 982 | 24 | 4.09 |
| 4. | डि0क0 (क0नि0) वा0क0, सोनभद्र | 1 | 2006-07 (अगस्त 2007) | 9.23 | 527 से 553 | 14 | 1.88 |
| **योग** | | **4** | | **4,122.59** | | | **20.08** |

मामला विभाग एवं शासन को जनवरी 2009 तथा मार्च 2009 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2009) ।

## 2.4.2 वस्तुओं के गलत वर्गीकरण तथा कर की गलत दर लगाये जाने के फलस्वरूप कर का कम आरोपण/अनारोपण

*क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण करते समय दरों की अनुसूची में उल्लिखित कर की सही दर का प्रयोग नहीं किया तथा कुछ मामलों में माल के गलत वर्गीकरण के कारण कर की न्यून दरें लागू की गयीं जिसके फलस्वरूप 2.67 करोड़ रुपये के कर का कम आरोपण/अनारोपण हुआ जैसा कि निम्नलिखित प्रस्तरों में उल्लिखित है :*

**2.4.2.1** के0बि0क0अधि0 के अन्तर्गत फार्म सी से अनाच्छादित वस्तुओं (घोषित वस्तुओं को छोड़कर) की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर 10 प्रतिशत की दर से अथवा सन्दर्भित

राज्य में ऐसी वस्तु की खरीद या बिक्री पर आरोपणीय कर की दर, दोनों में से जो अधिक हो, कर आरोपणीय है ।

• अ0क0, खण्ड–II, वा0क0, हाथरस के अभिलेखों की अगस्त 2008 में नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि एक व्यापारी ने वर्ष 2004–05 के दौरान बिना फार्म 'सी' के 1.06 करोड़ रुपये के टूटे हुये कॉच बीड्स (कॉच से निर्मित मूँगा, मोती) की बिक्री की। क0नि0प्रा0 ने टूटे हुये कॉच बीड्स की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर दिनांक 29 नवम्बर 2001 की विज्ञप्ति के अन्तर्गत कॉच की बीड्स मानते हुये जो कि करमुक्त है, कर आरोपित नहीं किया। चूँकि कॉच बीड्स टूटने के पश्चात कॉच के टुकड़ों में बदल जाते हैं जो कि टूटे हुये कॉच की प्रविष्टि के अन्तर्गत आते हैं और इनकी बिना फार्म 'सी' के अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर 10 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। इस प्रकार 10.58 लाख रुपये के कर का अनारोपण हुआ।

मामला विभाग एवं शासन को फरवरी 2009 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2009)।

• दो वाणिज्य कर कार्यालयों[9] के अभिलेखों की फरवरी 2008 तथा अप्रैल 2008 के मध्य नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि तीन व्यापारियों ने वर्ष 2003–04 से 2005–06 के दौरान बिना फार्म सी के 8.74 करोड़ रूपये के एडहेसिव, कोलतार, एनामिल, प्राईमर, सफेद पेन्ट, इपॉक्सी–थिनर, तथा डी.ई.पी.बी. की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री की । क0नि0प्रा0 ने वस्तुओं की बिक्री पर निर्धारित दरों से कम दरों पर कर आरोपित किया । इसके परिणामस्वरूप 61.13 लाख रूपये कम कर आरोपित हुआ ।

मामला विभाग एवं शासन को जुलाई 2008 एवं अगस्त 2008 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2009)।

**2.4.2.2** उ0प्र0व्या0क0अधि0 के अन्तर्गत शासन द्वारा समय–समय पर विज्ञापित दरों की अनुसूची के अनुसार वर्गीकृत वस्तुओं पर कर आरोपणीय होता है। जो वस्तुऐं निर्धारित दरों की अनुसूची में वर्गीकृत नहीं हैं उन पर 1 दिसम्बर 1998 से 10 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है ।

• 14 वाणिज्य कर कार्यालयों के अभिलेखों की जून 2005 तथा मार्च 2009 के मध्य नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि 15 व्यापारियों के मामलों में क0नि0प्रा0 ने 11.44 करोड़ रुपये के माल की बिक्री पर गलत वर्गीकरण के कारण त्रुटिपूर्ण दर से कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप 47.79 लाख रुपये का कम कर आरोपित हुआ जैसा कि परिशिष्ट–IV में दर्शाया गया है।

मामलों को प्रतिवेदित किये जाने के पश्चात् विभाग ने बताया कि पॉच मामलों में 8.13 लाख रूपये का कर आरोपित कर दिया गया है । वसूली की स्थिति एवं शेष मामलों के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2009)।

मामला शासन को अगस्त 2008 एवं मार्च 2009 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2009)।

• 10 वाणिज्य कर कार्यालयों के अभिलेखों की मार्च 2008 तथा जनवरी 2009 के मध्य नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि 11 व्यापारियों के मामलों में क0नि0प्रा0 ने 32.99 करोड़ रुपये के टर्नओवर पर कम दर से कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप 90.65 लाख रुपये के कर का कम आरोपण/अनारोपण हुआ जैसा कि परिशिष्ट–V में दर्शाया गया है।

---

[9] डि0क0(क0नि0).वा0क0. कोसीकलां (मथुरा) तथा डि0क0(क0नि0)–IX.वा0क0. नोएडा।

मामले विभाग को प्रतिवेदित किये जाने के पश्चात् विभाग द्वारा एक मामले में 78,000 रूपये का कर आरोपित कर दिया गया। वसूली की स्थिति एवं शेष मामलों के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2009)।

मामला शासन को नवम्बर 2005 एवं मार्च 2009 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2009)।

**2.4.2.3** उ0प्र0व्या0क0अधि0 को धारा 3–एच सपठित कमिश्नर का परिपत्र दिनॉक 3 मई 2005 प्रभावी दिनांक 1 मई 2005 के अन्तर्गत 50 लाख रूपये से अधिक के कुल वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों के करयोग्य टर्नओवर पर एक प्रतिशत की दर से राज्य विकास कर (रा0वि0क0) आरोपणीय होगा । रा0वि0क0 इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अधीन देय कर के अतिरिक्त वसूल किया जायेगा । पुनश्च, रा0वि0क0 धारा 4क के अन्तर्गत जारी किये गये पात्रता प्रमाण–पत्र में उल्लिखित मौद्रिक सीमा में समायोजित किया जायेगा ।

तीन वाणिज्य कर कार्यालयों के अभिलेखों की जुलाई 2008 तथा नवम्बर 2008 के मध्य नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि तीन व्यापारियों ने, जिनमें से प्रत्येक का सकल वार्षिक टर्नओवर 50 लाख रुपये से अधिक था, वर्ष 2005–06 के दौरान 67.93 करोड़ रूपये का करयोग्य माल बिक्री किया । व्यापारी 67.92 लाख रुपये के रा0वि0क0 का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी थे। इनमें से एक व्यापारी ने 12.59 लाख रुपये रा0वि0क0 के विरूद्ध 10.53 लाख रुपये का भुगतान किया जबकि अन्य दो व्यापारियों ने कोई भी कर अदा नहीं किया। क0नि0प्रा0 अगस्त 2007 एवं मार्च 2008 के मध्य कर निर्धारण करते समय त्रुटि को नहीं पकड़ सके जिसके परिणामस्वरूप 57.39 लाख रूपये रा0वि0क0 का कम आरोपण/अनारोपण हुआ जो कि निम्नवत् है :

(लाख रुपये में)

| क0 सं0 | कार्यालय का नाम | व्यापारियों की संख्या | कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष) | करयोग्य टर्नओवर | आरोपणीय रा0वि0क0 की धनराशि | आरोपित रा0वि0क0 की धनराशि | कम आरोपित/अनारोपित रा0वि0क0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | डि0क0 (क0नि0)–I वा0क0, आगरा | 1 | 2005-06 (मार्च 2008) | 79.03 | 0.79 | -- | 0.79 |
| 2. | डि0क0 (क0नि0)–VI वा0क0, नोएडा | 1 | 2005-06 (फरवरी 2008) | 5,454.34 | 54.54 | -- | 54.54 |
| 3. | डि0क0 (क0नि0)–VII वा0क0, नोएडा | 1 | 2005-06 (अगस्त 2007) | 1,259.44 | 12.59 | 10.53 | 2.06 |
| **योग** | | **3** | | **6,792.81** | **67.92** | **10.53** | **57.39** |

मामलों को नवम्बर 2008 तथा दिसम्बर 2008 के मध्य प्रतिवेदित किये जाने के पश्चात् विभाग ने जून 2009 में बताया कि एक मामले में 79,000 रुपये का कर आरोपित कर दिया गया है। वसूली की स्थिति एवं शेष मामलों के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2009)।

मामला शासन को नवम्बर 2005 एवं मार्च 2009 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2009) ।

## 2.4.3 संवैधानिक प्रपत्रों के दुरूपयोग के फलस्वरूप करापवंचन

*क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण करते समय मिथ्या घोषणा प्रपत्रों को स्वीकार किया तथा व्यापारी के मूल अभिलेखों से तथ्यों की जॉच किये बिना रियायतों को अनुमन्य किया*

*जिसके परिणामस्वरूप कर में 65.06 लाख रुपये के अनियमित रियायत का लाभ दिया गया।*

उ0प्र0व्या0क0अधि0 की धारा–3ख के प्रावधानों के अन्तर्गत, यदि कोई व्यक्ति गलत अथवा मिथ्या घोषणा–प्रपत्र जारी करता है जिसके कारण क्रय अथवा विक्रय पर आरोपणीय कर समाप्त हो जाता है अथवा रियायती दर पर आरोपित होता है तो व्यापारी ऐसे माल की खरीद पर उसके द्वारा बचाये गये कर की धनराशि के बराबर की राशि के भुगतान के लिये दायी होगा ।

चार वाणिज्य कर कार्यालयों के अभिलेखों की मई 2008 तथा जनवरी 2009 के मध्य नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि चार व्यापारियों ने वर्ष 2005–06 के दौरान निर्धारित घोषणा–प्रपत्रों को जारी करके 37.77 करोड़ रूपये की वस्तुओं को कर की रियायती दर पर क्रय किया । चूँकि, क्रय की गयी वस्तुऐं मान्यता प्रमाण पत्र में अंकित नहीं थीं, इसलिये वे कर की रियायती दर के लिये अधिकृत नहीं थे। फिर भी, क0नि0प्रा0 ने 65.06 लाख रुपये कर की अन्तरीय राशि को आरोपित नहीं किया जैसा कि नीचे उल्लिखित है :

(लाख रुपये में)

| क0 सं0 | कार्यालय का नाम | व्यापारियों की संख्या | कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष) | वस्तु का नाम | वस्तु का मूल्य | कर की अन्तरीय दर | वसूली योग्य धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | डि0क0 (क0नि0)–IX वा0क0, आगरा | 1 | 2005-06 (जून 2007) | एडहेसिव तथा रबड़ शीट | 8.27 | 9.5 | 0.79 |
| 2. | डि0क0 (क0नि0), वा0क0, फिरोजाबाद | 1 | 2005-06 (अक्टूबर 2007) | प्राकृतिक गैस | 53.02 | 15 | 7.95 |
| 3. | डि0क0 (क0नि0)–VII वा0क0, कानपुर | 1 | 2005-06 (मार्च 2008) | अपग्रेडेड आयल | 3,700.55 | 1.5 | 55.51 |
| 4. | डि0क0 (क0नि0), वा0क0, मैनपुरी | 1 | 2005-06 (अक्टूबर 2007) | मशीनरी | 14.71 | 5.5 | 0.81 |
| | **योग** | **4** | | | **3,776.55** | | **65.06** |

मामला विभाग एवं शासन को नवम्बर 2008 एवं मार्च 2009 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगरत 2009)।

## 2.5 शासकीय विज्ञप्ति एवं विभागीय आदेश की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पालन न किया जाना

*क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण करते समय सन्दर्भित विज्ञप्तियों एवं विभागीय परिपत्रों की शर्तों एवं प्रतिबन्धों की जॉच नहीं की और यहॉ तक कि अपेक्षित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अभाव में कर की छूट एवं समायोजन अनुमन्य किया, जिसके परिणामस्वरूप 48 लाख रुपये का अनारोपण हुआ, जो कि निम्नलिखित प्रस्तरों में उल्लिखित है :*

**2.5.1** उ0प्र0व्या0क0अधि0 1948 के अन्तर्गत शासन द्वारा दिनॉक 31 जनवरी 1985 तथा 27 फरवरी 1997 को जारी की गई विज्ञप्तियों के अनुसार आल इंडिया खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन या यू0पी0 खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड द्वारा प्रमाणित संस्थाओं के उत्पादों की बिक्री तथा निर्माण से संबंधित किसी माल की खरीद एवं

अनुसूची में उल्लिखित (विज्ञप्ति के अंतर्गत अंकित) विलेज इंडस्ट्रीज के उत्पादों की खरीद, कर के भुगतान से मुक्त हैं । मशीनरी स्पेयर पार्टस का निर्माण (रबर रोल) व स्पोर्टस गुड्स को रबर गुड्स माना जाना तथा धान से चावल का निर्माण उपरिलिखित विज्ञप्तियों के अन्तर्गत आच्छादित नहीं हैं, इस लिये करमुक्ति के लिये पात्र नहीं हैं ।

पॉच वाणिज्य कर कार्यालयों[10] के अभिलेखों की मार्च 2008 तथा जनवरी 2009 के मध्य नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि आठ व्यापारियों ने वर्ष 2002–03 से 2006–07 के मध्य 5.32 करोड़ रुपये के स्वनिर्मित मशीनरी स्पेयर पार्ट्स (रबर रोल) व स्पोर्टस गुड्स को रबर गुड्स मानते हुये तथा धान से चावल का निर्माण करके बिक्री की । क0नि0प्रा0 ने उपरोक्त विज्ञप्ति के अन्तर्गत 23.18 लाख रूपये के कर की त्रुटिपूर्ण करमुक्ति अनुमन्य की, यद्यपि कि ये वस्तुयें करमुक्ति की पात्र नहीं थीं। त्रुटिपूर्ण करमुक्ति अनुमन्य किये जाने के परिणामस्वरूप 23.18 लाख रुपये धनराशि के शासकीय राजस्व का अनारोपण हुआ।

मामला विभाग एवं शासन को अगस्त 2008 एवं मार्च 2009 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2009)।

**2.5.2** के0बि0क0अधि0 की धारा 15 (सी) सपठित कमिश्नर–परिपत्र दिनॉक 27 मार्च 2007 के प्रावधान के अन्तर्गत राज्य के भीतर क्रय किये गये धान पर कर आरोपित किया जाता है। यदि ऐसे धान से चावल का निर्माण किया जाता है तो केवल राज्य के भीतर बिक्री की दशा में चावल की बिक्री पर आरोपित कर में से क्रय कर घटा दिया जाता है और यदि इसकी अर्न्राज्यीय वाणिज्य/व्यापार के दौरान बिक्री की जाती है तो ऐसा समायोजन अनुमन्य नहीं है।

11 वाणिज्य कर कार्यालयों के अभिलेखों की फरवरी 2008 तथा दिसम्बर 2008 के मध्य नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि 18 व्यापारियों ने राज्य के भीतर से 13.50 करोड़ रुपये का धान क्रय किया तथा इससे चावल का निर्माण किया। व्यापारियों ने वर्ष 2003–04 तथा 2005–06 के दौरान धान से निर्मित चावल की अन्तर्राज्यीय बिक्री की, जिस पर 24.82 लाख रुपये के क्रय कर का भुगतान किया गया था। क0नि0प्रा0 ने क्रय कर का त्रुटिपूर्ण लाभ अनुमन्य किया, जिसके परिणामस्वरूप 24.82 लाख रुपये के राजस्व का कम आरोपण हुआ, जैसा कि परिशिष्ट–VI में दर्शाया गया है।

मामलों को जून 2008 तथा फरवरी 2009 के मध्य प्रतिवेदित किये जाने के पश्चात् विभाग ने अप्रैल 2009 में बताया कि बदायूँ के दो व्यापारियों के सम्बन्ध में 2.24 लाख रुपये के क्रय कर का लाभ वापस ले लिया गया है। वसूली की स्थिति एवं शेष मामलों के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2009)।

मामला विभाग एवं शासन को अगस्त 2008 एवं मार्च 2009 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2009)।

## 2.6 त्रुटिपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किये जाने के फलस्वरूप कर का अनारोपण

*क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण करते समय कर आरोपित नहीं किया क्योंकि कमिश्नर, व्यापार कर ने यह स्पष्ट किया था कि डी0ई0पी0बी0 एक्सपोर्ट लाइसेन्स था जबकि*

---

[10] डि0क0(क0नि0),वा0क0,अम्बेडकर नगर; डि0क0(क0नि0)–I,वा0क0,बरेली; डि0क0(क0नि0),वा0क0,चन्दौली (मुगलसराय); डि0क0(क0नि0)–V,वा0क0,मेरठ तथा डि0क0(क0नि0)–III,वा0क0,सहारनपुर।

*डी0ई0पी0बी0 एक प्रोत्साहन योजना है परन्तु त्रुटिपूर्ण स्पष्टीकरण के जारी किये जाने के कारण 10.47 लाख रुपये का कर आरोपित नहीं किया गया।*

उ0प्र0व्या0क0अधि0 के अन्तर्गत शासन द्वारा समय–समय पर विज्ञापित दरों की अनुसूची के अनुसार कर आरोपणीय है। ऐसी वस्तुयें जो कहीं भी वर्गीकृत नहीं हैं पर 1 दिसम्बर 1998 से 10 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। पुनश्च, विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (वि0व्या0अधि0) की धारा–2(जी) के अन्तर्गत लाइसेन्स से तात्पर्य आयात या निर्यात लाइसेन्स से है जिसमें अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गयी सीमा शुल्क निकासी अनुज्ञप्ति एवं दूसरी अन्य अनुज्ञप्ति सम्मिलित हैं। ड्यूटी इन्टाइटिलमेन्ट पास बुक ( डी0ई0पी0बी0) भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा लाया गया एक निर्यात प्रोत्साहन है। 13 अगस्त 2003 को जारी एक परिपत्र द्वारा विभाग ने स्पष्ट किया कि वि0व्या0अधि0 की धारा–2(जी) के अन्तर्गत डी0ई0पी0बी0 आयात लाइसेन्स के अन्तर्गत आच्छादित है और 17 फरवरी 2000 की अधिसूचना के द्वारा आयात लाइसेन्स करमुक्त है जबकि डी0ई0पी0बी0 किसी भी लाइसेन्स की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता है।

डि0क0(क0नि0),वा0क0, कोसीकलां (मथुरा) के अभिलेखों की फरवरी 2008 में नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि एक व्यापारी ने 1 अप्रैल 2003 से 31 दिसम्बर 2003 की अवधि के दौरान 1.05 करोड़ रुपये के डी0ई0पी0बी0 की बिक्री किया। क0नि0प्रा0 ने क0वा0क0 द्वारा अगस्त 2003 में जारी किये गये परिपत्र के अन्तर्गत टर्नओवर को वाणिज्य कर के आरोपण से मुक्त किया, जो कि बताता था कि डी0ई0पी0बी0 एक लाइसेन्स था और करयोग्य नहीं था। क0वा0क0 द्वारा जारी किया गया परिपत्र उ0प्र0व्या0क0अधि0 के परिपेक्ष्य में नहीं था। निर्यात प्रोत्साहन को लाइसेन्स की तरह समझे जाने के परिणामस्वरूप 10.47 लाख रुपये के कर का अनारोपण हुआ। इस प्रकार, त्रुटिपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किये जाने के फलस्वरूप उपरोक्तानुसार शासकीय राजस्व की क्षति हुई।

मामला विभाग एवं शासन को जुलाई 2008 एवं अगस्त 2008 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2009)।

# अध्याय–III
# माल एवं यात्री वाहनों पर कर

## 3.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2008–09 के दौरान परिवहन विभाग के अभिलेखों की नमूना जॉच में 118.34 करोड़ रुपये के कर के अनारोपण/कम आरोपण, माल कर, मार्ग कर के अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताओं के 344 मामले प्रकाश में आये जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं :

(करोड़ रुपये में )

| क्र. सं. | श्रेणी | मामलों की संख्या | धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1. | यात्री कर/अतिरिक्त कर का अनारोपण/ कम आरोपण | 139 | 79.76 |
| 2. | मार्ग कर का अवनिर्धारण | 47 | 5.34 |
| 3. | माल कर का कम आरोपण | 22 | 2.18 |
| 4. | अन्य अनियमिततायें | 136 | 31.06 |
| **योग** | | **344** | **118.34** |

वर्ष 2008–09 के दौरान विभाग द्वारा विगत वर्षों में इंगित किये गये यात्री कर/अतिरिक्त कर के अनारोपण/कम आरोपण, माल कर के कम आरोपण एवं अन्य अनियमितताओं से सम्बन्धित 148 मामलों में 2.49 करोड़ रुपये स्वीकार एवं वसूल किये गये।

5.80 करोड़ रुपये की कुछ निदर्शी लेखा परीक्षा आपत्तियॉ अनुवर्ती प्रस्तरों में वर्णित हैं।

## 3.2 लेखा परीक्षा आपत्तियाँ

*परिवहन विभाग कार्यालयों के वाहनों पर कर, माल एवं यात्रियों पर कर से प्राप्त किये गये. राजस्व से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में कुछ मामले अधिनियम/नियमों के प्रावधानों का पालन न किये जाने के फलस्वरूप कर/अतिरिक्त कर के अनारोपण/कम आरोपण तथा अन्य मामले प्रकाश में आये जैसा कि इस अध्याय के अनुवर्ती प्रस्तरों में वर्णित किया गया है। ये मामले उदाहरणात्मक हैं तथा लेखा परीक्षा द्वारा की गई नमूना जॉच पर आधारित हैं, किन्तु ऐसी अनियमिततायें न केवल बनी रहती हैं बल्कि अगली लेखा परीक्षा होने तक पकड़ में नहीं आती हैं। शासन स्तर पर विभाग को आन्तरिक लेखा परीक्षा को सुदृढ़ करने के साथ आन्तरिक प्रणाली में सुधार के लिये निर्देशित किये जाने पर विचार किये जाने की आवश्यकता है। ताकि ऐसी त्रुटि से बचा, पकड़ा तथा सही किया जा सके।*

## 3.3 अधिनियमों/नियगों के प्रावधानों का अनुपालन न किया जाना

*उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 (उ0प्र0मो0वा0क0अधि0) तथा नियम में प्रावधान है :*

*(i) वाहनों के स्वामी द्वारा निर्धारित दरों पर वाहन का कर/अतिरिक्त कर का भुगतान तथा*

*(ii) निर्धारित अवधि में कर का अग्रिम भुगतान ।*

*परिवहन विभाग द्वारा कर एवं अतिरिक्त कर आदि के आरोपण एवं संग्रहण के लिये प्रस्तर 3.3.1 से 3.3.4 में वर्णित मामलों में अधिनियम/नियमों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप 5.80 करोड़ रुपये के कर तथा अतिरिक्त कर का अनारोपण/कम आरोपण हुआ।*

**3.3.1** उ0प्र0मो0वा0क0अधि0 के प्रावधानों के अन्तर्गत मंजिली वाहनों पर 1 नवम्बर 2002 तक 'ए' तथा 'बी' श्रेणी के मार्गों पर 9,000 कि0मी0 तक की दूरी पर चार सोपानों में अतिरिक्त कर लागू था। 2 नवम्बर 2002 से चारों सोपानों को मिलाकर एक सोपान बना दिया गया और 9,000 कि0मी0 तक के लिए 'ए' तथा 'बी' श्रेणी के मार्गों पर 376 रुपया और 393 रुपया प्रति सीट प्रति तिमाही की दर से अतिरिक्त कर देय था। अग्रेतर, 17 मार्च 2006 को इसे संशोधित किया गया एवं संशोधित दरों के अनुसार 'ए' तथा 'बी' श्रेणी के मार्गों पर 18,000 कि0मी0 से अधिक दूरी होने पर प्रत्येक 5,700 कि0मी0 या उसके किसी भाग के लिये 705 रुपये में 256 रुपये जोड़कर तथा 787 रुपये में 288 रुपये जोड़कर प्रति सीट प्रति तिमाही की दर से अतिरिक्त कर देय था।

दो सम्भागीय परिवहन अधिकारी (स0प0अ0) और नौ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (स0स0प0अ0) के अभिलेखों की मार्च 2008 और फरवरी 2009 के मध्य नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अप्रैल 2003 से मार्च 2008 की अवधि के दौरान 'ए' तथा 'बी' श्रेणी के मार्गों पर 571 वाहन संचालित थे। संशोधित दरों के अनुसार 9.74 करोड़ रुपये के स्थान पर पूर्व संशोधित दरों पर 5.58 करोड़ रुपया अतिरिक्त कर आरोपित किया गया। जिसके फलस्वरूप 4.16 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर का कम उदग्रहण हुआ, जैसा कि परिशिष्ट–VII में दिखाया गया है।

मामला विभाग एवं शासन को अप्रैल 2008 और मार्च 2009 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2009)।

**3.3.2** उ0प्र0मो0वा0क0अधि0 के प्रावधानों के अन्तर्गत सवारी वाहनों से सीमित संख्या में यात्री एवं उनके सीमित मात्रा में सामानों के परिवहन हेतु वाहन के पंजीकृत सकल यान भार (स0या0भा0) पर 45 रुपया की दर से प्रति तिमाही प्रति मीट्रिक टन या उसके भाग के लिये कर आरोपणीय है।

चार स0प0अ0 एवं 14 स0स0प0अ0 के कार्यालयों के अभिलेखों की मार्च 2008 और फरवरी 2009 के मध्य नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि 1,594 सवारी वाहन अप्रैल 2004 और मार्च 2008 के मध्य सकल यान भार पर बिना कर अदा किये यात्रियों एवं सीमित मात्रा में यात्रियों के सामानों के परिवहन हेतु संचालित थे। यद्यपि उन वाहनों से नियमित कर एवं अतिरिक्त कर लिया जा रहा था, वाहनों के सकल यान भार पर 1.11 करोड़ रुपये कर न तो विभाग द्वारा आरोपित ही किया गया और न ही वाहनों के मालिकों द्वारा भुगतान किया गया, जैसा कि परिशिष्ट–VIII में दिखाया गया है।

मामला विभाग एवं शासन को अप्रैल 2008 और मार्च 2009 के मध्य प्रतिवेदित किया गया ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2009)।

**3.3.3** मोटर वाहन कर अधिनियम (मो0वा0क0अधि0) के प्रावधानों के अन्तर्गत सपठित उ0प्र0मो0वा0क0अधि0 एवं द्विपक्षीय करार की शर्तों के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से भिन्न, किसी राज्य परिवहन निगम के स्वामित्व वाले या नियंत्रणाधीन लोक सेवा वाहन के सम्बन्ध में कर तथा अतिरिक्त कर का आरोपण और भुगतान मो0वा0क0अधि0 की धारा 88 की उपधारा (6) के अन्तर्गत सम्बन्धित राज्यों के मध्य हुए करार के अनुसार किया जायेगा और जहॉ ऐसा करार न हो वहॉ चतुर्थ अनुसूची के अनुच्छेद 1 के खण्ड (क) के अन्तर्गत अतिरिक्त कर की दरों की सारणी के क्रम संख्या 8 में दी गयी दरों पर इसका आरोपण एवं भुगतान किया जायेगा। 17 मार्च 2006 से अनुसूची के अन्तर्गत दरों में वृद्धि कर दी गयी।

स0प0अ0 मेरठ एवं दो स0स0प0अ0[1] के कार्यालयों की मई 2008 और दिसम्बर 2008 के बीच नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं हरियाणा राज्य के 13 मंजिली वाहन 'ए' श्रेणी के मार्गों पर अप्रैल 2003 से मार्च 2008 के मध्य बिना प्रतिहस्ताक्षित परमिटों के संचालित थे। वाहनों के मालिकों ने कर एवं अतिरिक्त कर की संशोधित दर पर देय धनराशि 76.16 लाख रुपये के बजाय पूर्व संशोधित दरों पर 28.92 लाख रुपये का भुगतान किया। जिसके परिणामस्वरूप कर एवं अतिरिक्त कर के रूप में 47.24 लाख रुपये कम आरोपित हुआ।

मामला विभाग एवं शासन को जून 2008 और अगस्त 2008 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2009)।

**3.3.4** मो0वा0क0अधि0 (सपठित शासन की विज्ञप्ति दिनांक 27 सितम्बर 2007) के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई भी पंजीकृत मोटर वाहन या नौ व्यक्तियों से अधिक, चालक को छोड़कर, व्यक्तियों को ढोने के लिये अधिग्रहीत वाहन, बिना परमिट के प्रयोग में नहीं लाया जायेगा जब तक देय न्यूनतम 10 दिनों के लिए 35 लोगों और 35 लोगों से अधिक तक के बैठने की क्षमता वाले वाहनों से क्रमशः 300 रुपये एवं 500 रुपये प्रति दिन की दर से अतिरिक्त कर का भुगतान नहीं हो जाता।

तीन स0स0प0अ0 के कार्यालयों[2] के अभिलेखों की जुलाई 2008 एवं दिसम्बर 2008 के मध्य नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि 31 वाहन अक्टूबर 2007 से मार्च 2008 के दौरान बिना परमिट के संचालित थे। विभाग ने उन पर अतिरिक्त कर

---

1 बागपत एवं चित्रकूट।

2 फर्रूखाबाद, जौनपुर एवं उन्नाव।

आरोपित नहीं किया। जिसके फलस्वरूप 5.91 लाख रुपये के राजस्व का उदग्रहण नहीं हुआ।

मामला विभाग एवं शासन को अगस्त 2008 एवं दिसम्बर 2008 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2009)।

# अध्याय-IV
# स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस

## 4.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2008–09 के दौरान स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के अभिलेखों की नमूना जॉच में 14.70 करोड़ रुपये के स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस के अनारोपण/कम आरोपण के 608 मामले प्रकाश में आये जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं :

**(करोड़ रुपये में)**

| क0 सं0 | श्रेणी | मामलों की संख्या | धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1. | विलेख पत्रों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण | 167 | 4.73 |
| 2. | सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण | 398 | 9.19 |
| 3. | अन्य अनियमिततायें | 43 | 0.78 |
| **योग** | | **608** | **14.70** |

वर्ष 2008–09 के दौरान विभाग द्वारा स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस के अनारोपण/कम आरोपण तथा अन्य अनियमितताओं के 20 मामलों में 7.73 लाख रुपये स्वीकार तथा वसूल किये गये, जिनमें से 12,808 रुपये का एक मामला वर्ष 2008–09 तथा शेष पूर्व वर्षों से सम्बन्धित थे।

4.05 करोड़ रुपये की कुछ निदर्शी लेखा परीक्षा आपत्तियॉ अनुवर्ती प्रस्तरों में वर्णित हैं।

## 4.2 लेखा परीक्षा आपत्तियॉं

*स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के कार्यालयों के अभिलेखों की जॉंच में स्टाम्प शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण, सम्पत्ति के बाजार मूल्य की गलत गणना किया जाना आदि प्रकरण प्रकाश में आये जिनका उल्लेख इस अध्याय के आगामी प्रस्तरों में किया गया है। ये प्रकरण उदाहरणात्मक हैं तथा लेखा परीक्षा में किये गये नमूना जॉंच पर आधारित हैं। इस प्रकार की त्रुटियाँ प्रत्येक वर्ष लेखा परीक्षा में इंगित की जाती हैं परन्तु अनियमिततायें न सिर्फ बनी रहती हैं अपितु लेखा परीक्षा होने तक इनकी जानकारी नहीं रहती है। शासन को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जिससे भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।*

## 4.3 शासन के निर्देशों का अनुपालन न किया जाना

*भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अन्तर्गत शासन/विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों में प्रावधान है :*

*(i) भूमि एवं भवन के निर्धारित बाजार मूल्य पर स्टाम्प शुल्क प्रभारित करने एवं*

*(ii) पट्टा विलेख पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किये जाने का ।*

*प्रस्तर 4.3.1 से 4.3.4 में उल्लिखित प्रकरणों में उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न किये जाने के परिणामस्वरूप 4.05 करोड़ रुपये के सरकारी राजस्व का अनारोपण/कम आरोपण हुआ।*

**4.3.1** भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत किसी विलेख पर जहां पट्टा की अवधि 30 वर्षों से अधिक के लिए निर्धारित हो या निरन्तर हो अथवा किसी निश्चित अवधि के लिये निर्धारित न हो तो उस हस्तान्तरण विलेख पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के प्रतिफल के बराबर स्टाम्प शुल्क आरोपणीय है। महा निरीक्षक (स्टाम्प एवं निबन्धन) ने 22 अप्रैल 2003 को यह स्पष्ट किया कि यदि कोई पट्टा 30 वर्षों तक की अवधि का है और जिसे आगे किसी निश्चित अथवा अनिश्चित अवधि के लिये बढ़ाये जाने का प्रावधान है तो उस सम्पत्ति के बाजार मूल्य के प्रतिफल पर स्टाम्प शुल्क आरोपणीय होगा।

26 उप निबन्धक कार्यालयों की नमूना जॉंच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि फरवरी 2005 और जनवरी 2008 के मध्य 30 वर्ष तक की अवधि के 43 पट्टे विलेख पंजीकृत किये गये, जिस पर 17.92 लाख रुपये का स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था। चूँकि विलेखों के विवरण में अवधि को बढ़ाने का प्रावधान किया गया था, अतः सम्पत्ति के बाजार मूल्य 39.29 करोड़ रुपये के आधार पर 3.62 करोड़ रुपये का स्टाम्प शुल्क आरोपणीय था। पट्टा अवधि की गलत संगणना के फलस्वरूप 3.44 करोड़ रुपये का कम स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया जैसा कि परिशिष्ट–IX में दर्शाया गया है।

मामला विभाग एवं शासन को सितम्बर 2007 से जनवरी 2009 के मध्य प्रतिवेदित किया गया ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2009)।

**4.3.2** भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने हेतु यथा संशोधित) के अन्तर्गत किसी हस्तान्तरण विलेख की विषयवस्तु वाली किसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य अथवा उस विलेख में उल्लिखित मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो, पर स्टाम्प शुल्क आरोपणीय है। उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के अनुसार किसी जिले में स्थित विभिन्न श्रेणियों की भूमि/सम्पत्ति की बाजार

दरें पंजीकरण प्राधिकारियों के मार्ग दर्शन हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा द्विवार्षिक निर्धारित की जाती हैं।

छः उप निबन्धक कार्यालयों के अभिलेखों की सितम्बर 2007 एवं सितम्बर 2008 के मध्य नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि गैर कृषि भूमि से सम्बन्धित पॉच अन्तरण विलेख का निबन्धन 4.84 करोड़ रुपये के विरूद्ध 1.18 करोड़ रुपये प्रतिफल पर कृषि के आधार पर किया गया और तीन विलेखों का निबन्धन वाणिज्यिक भूमि एवं भवन से सम्बन्धित 1.40 करोड़ रुपये के विरूद्ध 53.26 लाख रुपये प्रतिफल पर आवासीय भूमि एवं भवन के दर के आधार पर किया गया। सम्पत्ति के गलत मूल्यांकन के फलस्वरूप 39.88 लाख रुपये स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण किया गया जैसा कि परिशिष्ट–X में दर्शाया गया है।

मामला विभाग एवं शासन को सितम्बर 2007 से जनवरी 2009 के मध्य प्रतिवेदित किया गया ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2009)।

**4.3.3** भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के प्रावधानों के अन्तर्गत, यदि किसी भूमि पर उस भूमि के मालिकों से बिना किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे अनुबन्ध के आधार पर भवन का निर्माण कराया जाता है, कि निर्माण के पश्चात् ऐसे भवन को या उसके किसी भाग को भूस्वामी और अन्य व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से या पृथक रूप से धारित किया जाएगा अथवा बेचा जायेगा, तो ऐसे करार पर भूमि के मूल्य अथवा प्रतिफल की धनराशि पर सम्पत्ति के हस्तान्तरण की भॉति स्टाम्प शुल्क आरोपणीय होगा।

उप निबन्धक सदर IV वाराणसी के कार्यालय के अभिलेखों की दिसम्बर 2008 में नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जून 2008 में भवन निर्माता एवं भूस्वामी के मध्य एक करार विलेख का निष्पादन किया गया। भवन में भूस्वामी के भाग का मूल्य सर्किल रेट के अनुसार 1.08 करोड़ रुपये पर आरोपणीय स्टाम्प शुल्क 10.81 लाख रुपये के विरूद्ध 46.84 लाख रुपये की भूमि के मूल्य पर 4.69 लाख रुपये स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 6.12 लाख रुपये स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण हुआ।

मामला विभाग एवं शासन को दिसम्बर 2008 और मार्च 2009 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2009)।

**4.3.4** आवास विभाग द्वारा दिनांक 20 जुलाई 2002 को जारी शासनादेश सपठित महानिरीक्षक निबन्धन (म0नि0नि0) उ0प्र0 द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2002 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, विकास प्राधिकरण की उन सभी सम्पत्तियों, जिनका मूल्य पूर्ण रूप से भुगतान किया जा चुका है, के विक्रय विलेख के निष्पादन के पश्चात् ही आबंटी को सुपुर्द किया जाना चाहिए। पुनश्च, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 एवं निबन्धन अधिनियम 1908 के प्रावधानों के अनुसार सम्पत्ति के मूल्य पर 100 रुपये प्रति हजार (अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क सहित) एवं दो प्रतिशत अधिकतम 5,000 रुपये की दर से क्रमशः स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस आरोपणीय है।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर के अभिलेखों की अगस्त 2008 में नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2007–08 में 49 मकानों/दुकानों जिनका मूल्य 1.27 करोड़ रुपया था, आबंटियों द्वारा पूर्णरूप से विकास प्राधिकरण को भुगतान किया गया परन्तु उक्त मकानों/दुकानों के विलेखों का पंजीकरण कराये बगैर आबंटियों को हस्तान्तरित कर दिया गया। जिसके फलस्वरूप 14.68 लाख रुपये के स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का अनारोपण हुआ।

मामला विभाग एवं शासन को नवम्बर 2008 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2009)।

# अध्याय-V
# अन्य कर एवं करेतर प्राप्तियाँ

## 5.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

लोक निर्माण, वित्त, वन, मनोरंजन कर, विकास प्राधिकरण, सिंचाई एवं चिकित्सा/लोक स्वास्थ्य विभाग के वर्ष 2008–09 के अभिलेखों की नमूना जॉच के दौरान ब्याज के भुगतान न होने आदि के 959.18 करोड़ रूपये के 353 प्रकरण पाये गये जो निम्न श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं :

*(करोड़ रूपये में)*

| क.सं. | श्रेणी | प्रकरणों की संख्या | धनराशि |
|---|---|---|---|
| | **लोक निर्माण विभाग** | | |
| 1. | **लोक निर्माण विभाग की प्राप्तियों पर निष्पादन समीक्षा (एक समीक्षा)** | **1** | **74.61** |
| 2. | शासकीय प्राप्तियों का उचित लेखा शीर्ष में समायोजित न किया जाना | 5 | 0.90 |
| 3. | प्रतिशत प्रभारों का वसूल न किया जाना | 3 | 0.22 |
| 4. | रायल्टी का वसूल न किया जाना | 5 | 0.11 |
| 5. | अन्य अनियमितताऐं | 19 | 2.77 |
| | **योग** | **33** | **78.61** |
| | **वित्त विभाग** | | |
| 1. | ब्याज का भुगतान न होना | 8 | 15.40 |
| 2. | रायल्टी की वसूली न किया जाना | 2 | 0.01 |
| 3. | अन्य अनियमितताऐं | 17 | 765.67 |
| | **योग** | **27** | **781.08** |
| | **वन विभाग** | | |
| 1. | कपटपूर्ण आहरण, दुर्विनियोजन, गबन, हानियॉ | 30 | 59.89 |
| 2. | निष्क्रिय निवेश, निष्क्रिय स्थापना, फण्ड का अवरूद्ध होना | 19 | 1.96 |
| 3. | नियमित प्रकरण | 07 | 0.51 |
| 4. | वसूलियॉ | 48 | 19.13 |
| 5. | उद्देश्यों की प्राप्ति न किया जाना | 04 | 0.21 |
| 6. | अन्य अनियमितताऐं | 12 | 3.78 |
| | **योग** | **120** | **85.48** |
| | **मनोरंजन कर विभाग** | | |
| 1. | ब्याज का अनारोपण | 11 | 0.11 |
| 2. | कर का वसूल न किया जाना | 19 | 1.41 |
| 3. | अन्य अनियमितताऐं | 29 | 0.49 |
| | **योग** | **59** | **2.01** |
| | **सिंचाई विभाग** | | |
| 1. | प्रतिशत प्रभारों की वसूली न किया जाना | 4 | 0.09 |
| 2. | रायल्टी का वसूल न किया जाना | 4 | 4.51 |
| 3. | अन्य अनियमितताऐं | 28 | 5.59 |
| | **योग** | **36** | **10.19** |
| | **चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य विभाग** | | |
| 1. | मेडिकल प्रभारों का 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से वृद्धि न किया जाना | 24 | 0.58 |
| 2. | अपंजीकृत जेनेटिक केन्द्रों पर शास्ति का आरोपण न किया जाना | 9 | 0.24 |
| 3. | अन्य अनियमितताऐं | 45 | 0.99 |
| | **योग** | **78** | **1.81** |
| | **महायोग** | **353** | **959.18** |

वर्ष 2008–09 के दौरान विभाग ने दो प्रकरणों में 6.10 लाख रूपये स्वीकृत एवं वसूल किये, जो कि विगत वर्षो में इंगित किये गये थे ।

74.61 करोड़ रुपये निहित धनराशि की **लोक निर्माण विभाग की प्राप्तियों** पर एक निष्पादन समीक्षा एवं 15.38 करोड़ रुपये निहित धनराशि की कुछ निदर्शी लेखा परीक्षा आपत्तियॉ अनुवर्ती प्रस्तरों में वर्णित की गयी हैं।

## 5.2 लोक निर्माण विभाग की प्राप्तियों पर निष्पादन समीक्षा

### मुख्य अंश

- वित्तीय नियमों का अनुपालन न करने के फलस्वरूप 13.24 करोड़ रुपये की विभागीय प्राप्तियों का विभागीय व्यय के प्रति दुर्विनियोजन।

**(प्रस्तर 5.2.7.1)**

- स्टाक के लाभ को राजस्व मद में जमा न किये जाने के फलस्वरूप 6.73 करोड़ रुपये राजस्व का कम लेखाबद्ध किया जाना।

**(प्रस्तर 5.2.10.1)**

- पट्टे की मासिक किश्तों के भुगतान में विलम्ब के लिए प्रतिकर की वसूली न किये जाने के फलस्वरूप 92.39 लाख रुपये की हानि।

**(प्रस्तर 5.2.12.2)**

- निक्षेप कार्यों पर प्रतिशत प्रभारों का आरोपण न किये जाने के कारण 2.03 करोड़ रुपये राजस्व का कम उद्ग्रहण।

**(प्रस्तर 5.2.13)**

### 5.2.1 प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश सरकार का लोक निर्माण विभाग (लो0नि0वि0), शासकीय भवनों, सड़क, सेतुओं के निर्माण नियोजन एवं उनके अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी है, इसके साथ–साथ सम्पूर्ण प्रदेश में अन्य संस्थाओं द्वारा सौंपे गये निक्षेप कार्यों को भी करता है। लो0नि0वि0, उत्तर प्रदेश के वित्तीय नियमों/उत्तर प्रदेश लोक निर्माण मैनुअल के प्रावधानों के साथ–साथ शासन/विभाग द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों एवं अधिसूचना के अन्तर्गत विभिन्न करेतर राजस्व का संग्रह भी करता है । लोक निर्माण की प्राप्तियों में भूमि व भवनों का किराया, सड़क व पुलों पर पथकर, निक्षेप कार्यों पर देय प्रतिशत प्रभार, जो निक्षेप कार्यों पर प्रभारणीय हैं, स्टाक के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ, व्यपगत निक्षेप, जब्त निक्षेप, लाइसेंस फीस, दण्ड, टेण्डर फार्मों की बिक्री और अन्य विविध प्राप्तियॉ सम्मिलित हैं।

### 5.2.2 संगठनात्मक ढॉचा

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव विभाग का उच्च प्रशासकीय अधिकारी है। प्रमुख अभियंता (ई0एन0सी0) विकास विभाग का उच्च अधिकारी है। ई0एन0सी0 योजना व ई0एन0सी0 ग्रामीण सड़क विभाग के विभिन्न कार्यकलापों का प्रबंधन, कार्यान्यवन व अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी है। विभाग की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के लिये इनके सहयोग हेतु 28 मुख्य अभियंता (मु0अ0), 89 अधीक्षण अभियन्ता (एस0ई0) व 393 अधिशाषी अभियंता (अ0अ0) हैं। वित्त नियंत्रक (वि0नि0) वित्तीय प्रबंधन, विभागीय प्राप्तियों एवं बजट पर नियंत्रण व अन्य संबंधित कार्यों के लिए उत्तरदायी है ।

## 5.2.3 लेखा परीक्षा का कार्य क्षेत्र

करेतर राजस्व के संग्रह एवं इसके प्रभाव को उत्तर प्रदेश वित्तीय नियमों के प्रावधानों तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों तक अनुपालन की सीमा सुनिश्चित करने के लिये लोक निर्माण विभाग की प्राप्तियों के सम्बन्ध में राज्य के 70 जिलों में से 24 जिलों[1] के लोक निर्माण विभाग के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जॉच की गयी जिनका चयन साधारण चयन न्यादर्श प्रणाली[2] (रैन्डम सैम्पलिंग) के आधार पर किया गया। समीक्षा मई 2008 से मार्च 2009 तक सम्पन्न की गयी, जिसमें वर्ष 2003–04 से 2007–08 तक की अवधि की प्राप्तियों को सम्मिलित किया गया।

## 5.2.4 लेखा परीक्षा के उद्देश्य

लो0नि0वि0 के करेतर राजस्व से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जॉच यह सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से सम्पादित की गयी कि;

- वास्तविक बजट आंकलन एवं उनके सापेक्ष उपलब्धियों पर वित्तीय अनुश्रवण को सुनिश्चित करने हेतु समुचित प्रणाली अस्तित्व में है;
- लोक निर्माण की प्राप्तियों के संग्रहण एवं उचित लेखा शीर्ष में प्रेषण हेतु प्रभावशाली नियंत्रण प्रणाली अस्तित्व में है;
- सड़क एवं पुलों पर पथकर के उद्ग्रहण के अनुश्रवण की प्रणाली दक्ष एवं प्रभावशील है एवं
- क्या शासकीय राजस्व के रिसाव एवं क्षति को रोकने के लिए विभाग में कोई समुचित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली अस्तित्व में है।

## 5.2.5 अभिस्वीकृति

लेखा परीक्षा हेतु आवश्यक सूचनाओं एवं अभिलेखों को उपलब्ध कराने हेतु भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग लोक निर्माण विभाग को सहयोग के लिए आभार प्रकट करता है। प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ दिनांक 21 अगस्त 2008 को समीक्षा पर एक आगम बैठक आयोजित की गयी जिसमें समीक्षा के उद्देश्यों पर वार्ता की गयी। दिनांक 13 जुलाई 2009 को निर्गम बैठक सम्पन्न की गयी। जिसमें प्रमुख अभियन्ता (विकास) द्वारा विभाग का प्रतिनिधित्व किया गया। विभाग के विचारों को सम्बन्धित प्रस्तरों में सम्मिलित किया गया है।

## 5.2.6 राजस्व का रूझान

उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर 25 के अनुसार राजस्व प्राप्तियों का बजट आंकलन जहॉ तक सम्भव हो सके वास्तविक प्राप्तियों के अनुमान के समकक्ष तैयार हो। पुनः आंकलन, प्रचलित नियमों व करों की दरों, अभिकर, शुल्क आदि के परिपेक्ष्य में तैयार किया जाना चाहिए एवं पिछले साल की वास्तविक प्राप्तियॉ किसी असामान्य अतिरिक्त

[1] (i) उच्च जोखिम क्षेत्र के अन्तर्गत 10 जनपद (दो करोड़ से अधिक राजस्व) |
(ii) मध्यम जोखिम क्षेत्र के अन्तर्गत 4 जनपद (दो करोड़ से कम व एक करोड़ से अधिक राजस्व) |
(iii) कम जोखिम क्षेत्र के अन्तर्गत 10 जनपद (एक करोड़ से कम राजस्व वाले) |

[2] (i) उच्च जोखिम क्षेत्र– लखनऊ,इलाहाबाद,बिजनौर,मेरठ,जौनपुर,गोरखपुर,सहारनपुर,बागपत,देवरिया तथा फर्रूखाबाद (10) |
(ii) मध्यम जोखिम क्षेत्र– कानपुर नगर, सिद्धार्थनगर, खीरी तथा उन्नाव (4) |
(iii) कम जोखिम क्षेत्र– आगरा,कन्नौज,बाराबंकी,बस्ती,सोनभद्र,महाराजगंज,सीतापुर,मऊ,बलरामपुर तथा बदायूँ (10) |

मद को स्वीकार करते हुये, जिसको अग्रिम वर्ष में वसूला जा सके, पर भी आधारित होना चाहिए।

पॉच साल के दौरान बजट आंकलन, वास्तविक प्राप्तियाँ एवं विभागीय प्राप्तियों में प्रतिशत वृद्धि/गिरावट को निम्नवत् प्रदर्शित किया गया :

*(करोड़ रुपये में)*

| लेखा शीर्ष | वर्ष | बजट आंकलन | वास्तविक प्राप्तियॉ | आंकलन के सापेक्ष वास्तविक प्राप्तियों में अन्तर | आंकलन के सापेक्ष वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| "0059–लोक निर्माण" | 2003-04 | 35.00 | 19.92 | 15.08 | (-) 43.08 |
| | 2004-05 | 35.00 | 31.44 | 3.56 | (-) 10.17 |
| | 2005-06 | 35.00 | 36.09 | 1.09 | 3.11 |
| | 2006-07 | 35.00 | 26.59 | 8.41 | (-) 24.02 |
| | 2007-08 | 47.10 | 34.03 | 13.07 | (-) 27.75 |
| "1054–सड़क एवं सेतु" | 2003-04 | 32.30 | 41.79 | 9.49 | 29.38 |
| | 2004-05 | 32.30 | 31.67 | 0.63 | (-) 1.95 |
| | 2005-06 | 32.30 | 55.36 | 23.06 | 71.39 |
| | 2006-07 | 82.30 | 58.83 | 23.47 | (-) 28.51 |
| | 2007-08 | 106.04 | 74.24 | 31.80 | (-) 29.99 |
| "0216–आवास" | 2003-04 | 25.21 | 10.40 | 14..81 | (-) 58.74 |
| | 2004-05 | 25.21 | 9.85 | 15.36 | (-) 60.93 |
| | 2005-06 | 23.46 | 10.84 | 12.62 | (-) 53.79 |
| | 2006-07 | 23.46 | 12.21 | 11.25 | (-) 47.95 |
| | 2007-08 | 34.64 | 11.36 | 23.28 | (-) 67.21 |

वास्तविक प्राप्तियों एवं आंकलनों के मध्य अधिक भिन्नताऐं थीं।

- "0059–लोक निर्माण" वर्ष 2003–04, 2004–05, 2006–07 व 2007–08 के अन्तर्गत वास्तविक प्राप्तियॉ बजट अनुमानों से कम थीं, जो कि (–) 10.17 से (–) 43.08 प्रतिशत के मध्य थीं।

- "1054–सड़क एव सेतु" वर्ष 2006–07 व 2007–08 के अन्तर्गत वास्तविक प्राप्तियॉ बजट अनुमानों से कम थीं, जो कमशः (–) 28.51 से (–) 29.99 प्रतिशत के मध्य थीं।

- "0216–आवास" वर्ष 2003–04 से 2007–08 के अन्तर्गत वास्तविक प्राप्तियॉ बजट अनुमानों से कम थीं, जो (–) 47.95 से (–) 67.21 प्रतिशत के मध्य थीं।

यद्यपि भिन्नता के कारणों को मांगा गया परन्तु उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2009) ।

## लेखा परीक्षा की उपलब्धियाँ

## व्यवस्था में कमियाँ

### 5.2.7 विभागीय प्राप्तियों का दुर्विनियोजन

उ0प्र0 वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 के भाग–1 के प्रस्तर–21 एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर 97 (iii) में प्रावधानित है, कि विभागीय प्राधिकारी को यह देखना आवश्यक है कि सभी शासकीय देय राजस्व प्राप्तियाँ ठीक प्रकार एवं सही ढंग से निर्धारित की गयी हैं और बिना देरी के शासकीय लेखे में जमा कर दी गयी हैं। ऐसी प्राप्तियों का शासन की बिना उचित प्राधिकारिता के विभागीय व्यय हेतु उपयोग नहीं किया जायेगा।

**5.2.7.1** 29 खण्डों के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2003–04 से 2007–08 के दौरान सात[3] एजेंसियों से विभिन्न मार्गों के कटान के कारण धनराशि प्राप्त हुई, उसको कोषागार में "0059 लोक निर्माण" शीर्ष में जमा करने के बजाय बिना सक्षम प्राधिकारी/शासन की स्वीकृति के सड़कों की मरम्मत एवं रख–रखाव में उपयोग कर लिया गया, जो कि वित्तीय नियमों के विपरीत था। इसके फलस्वरूप 13.24 करोड़ रूपये की विभागीय प्राप्तियों का दुर्विनियोजन हुआ। जिसको परिशिष्ट–XI में दिखाया गया है।

इसको इंगित किये जाने पर सम्बन्धित खण्डों ने बताया कि राजस्व को प्राप्ति शीर्ष में जमा किये जाने का कोई प्रावधान नहीं था जिस कार्य के लिये धन प्राप्त हुआ उसी कार्य पर प्रयोग किया गया। फिर भी खण्डों का उत्तर वित्तीय प्रावधानों के अनुरूप्य नहीं था जो कि प्राप्तियों के राजस्व शीर्ष "0059 लो0नि0वि0" में जमा करने को अनुबद्ध करता है। विभागीय प्राप्तियों को विभागीय उपयोग/व्यय किये जाने हेतु शासन/विधान मंडल की स्वीकृति आवश्यक है जिसको प्राप्त नहीं किया गया।

प्रकरण विभाग एवं शासन को जून 2009 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2009)।

**5.2.7.2** 21 खण्डों[4] के अभिलेखों की नमूना जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विभिन्न एजेन्सियों से विभिन्न मार्गों के सड़क कटान प्रभार के रूप में प्राप्त हुए 6.39 करोड़ रूपये 31 मार्च 2008 के अंत तक शीर्ष "8443 सिविल निक्षेप" भाग–III (कार्य जो किये जाने हैं के लिये जमा) के अंतर्गत पड़े हुए थे। इस धनराशि को राजस्व शीर्ष "0059–लोक निर्माण" के अन्तर्गत जमा कर देना चाहिए था।

प्रकरण विभाग एवं शासन को जून 2009 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2009)।

---

3 बी0एस0एन0एल0, मै0 रिलायन्स लि0, एयरटेल, यू0पी0 नेटवर्क लि0, टाटा टेलिकॉम, यू0पी0 जल निगम, यू0पी0एस0ई0बी0 आदि।

4 निर्माण खण्ड (सी0डी0)–I, इलाहाबाद, सी0डी0 देवरिया, सी0डी0–II गोरखपुर, सी0डी0 एवं सी0डी0–I जौनपुर, सी0डी0–II कानपुर, सी0डी0 लखीमपुर, सी0डी0–II लखनऊ, सी0डी0 महाराजगंज, सी0डी0 सहारनपुर, सी0डी0–I सीतापुर, प्रान्तीय खण्ड (पी0डी0) बाराबंकी, पी0डी0 देवरिया, पी0डी0 फर्रूखाबाद, पी0डी0 गोरखपुर, पी0डी0 जौनपुर, पी0डी0 कन्नौज, पी0डी0 महाराजगंज, पी0डी0 मेरठ, पी0डी0 सहारनपुर एवं पी0डी0 सोनभद्र।

## 5.2.8 विविध प्राप्तियों का जमा न किया जाना

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–VI के प्रस्तर 621 के प्रावधान के अन्तर्गत प्राप्तियों की सभी मदों को समाधानित होने तक निक्षेप के 'विविध निक्षेप' में तब तक वर्गीकृत किया जाये जब तक उनका वर्गीकरण तुरन्त सुनिश्चित न किया जा सके या जो लेखांकन की त्रुटियों के कारण समायोजन हेतु प्रतीक्षित हों ।

22 खण्डों[5] के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि शासकीय प्राप्तियों[6] की धनराशि 33.37 करोड़ रुपये 'सिविल निक्षेप' भाग–V (विविध प्राप्तियॉ)[7] में 31 मार्च 2008 तक पड़ी हुयी थीं, जिनको सम्बन्धित प्राप्तियों के शीर्ष में जमा किया जाना चाहिए था जोकि नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप इन शीर्षों के अन्तर्गत उक्त सीमा तक प्राप्तियाँ कम दिखाई गईं।

प्रकरण विभाग एवं शासन को जून 2009 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2009)।

## 5.2.9 अवशेष/दावा रहित धनराशि को राजस्व शीर्ष में जमा न किया जाना

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–VI के प्रस्तर 622(iii) में प्रावधानित है कि लोक निर्माण निक्षेप में तीन वर्ष से अधिक समय से पड़े दावा रहित अवशेषों को व्यपगत निक्षेप की भॉति राज्य के राजस्व मद में जमा कर देना चाहिए।

### 5.2.9.1 दावा रहित प्रतिभूति जमा को राजस्व शीर्ष में जमा न किया जाना

25 खण्डों[8] के अभिलेखों की नमूना जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि फरवरी 1981 से मार्च 2008 की अवधि के दौरान ठेकेदारों से प्राप्त 1.26 करोड़ रूपये की जमा प्रतिभूति को 31 मार्च 2008 तक अन्तिम अवशेष के रूप में लोक निर्माण जमा में दर्शाया गया था। ये धनराशियॉ औसतन 8.27 वर्षों बाद भी अदावाकृत थीं। ये धनराशियॉ विभाग के राजस्व शीर्ष में जमा की जानी थीं। फिर भी राजस्व शीर्ष में जमा करने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

प्रकरण विभाग एवं शासन को जून 2009 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2009)।

---

5 सी०डी०–I आगरा, सी०डी०–I इलाहाबाद, सी०डी० बदायूँ, सी०डी० जौनपुर, सी०डी०–II कानपुर नगर, सी०डी०–I लखीमपुर खीरी, सी०डी०–II लखनऊ, सी०डी० महाराजगंज, सी०डी०–I सीतापुर, सी०डी०–I उन्नाव, पी०डी० आगरा, पी०डी० इलाहाबाद, पी०डी० बदायूँ, पी०डी० देवरिया, पी०डी० फर्रूखाबाद, पी०डी० गोरखपुर, पी०डी० कन्नौज, पी०डी० लखीमपुर खीरी, पी०डी० मेरठ, पी०डी० सहारनपुर, पी०डी० उन्नाव एवं अनुरक्षण खण्ड–III (सिविल) लखनऊ।

6 टेण्डर फार्म एवं डाक्यूमेन्ट की बिक्री, टेक्नीकल आडिट रोल रिकवरी, स्टाम्प ड्यूटी, रायल्टी, ट्रेड टैक्स, पथकर एवं अन्य विभिन्न प्राप्तियाँ आदि।

7 0059–लोक निर्माण रु० 32.47, 1054–सड़क एवं सेतु रु० 0.51, 0216–आवास रु० 0.02, 0021–आयकर रु० 0.01, 0040 वाणिज्य कर रु० 0.04, 0030–स्टाम्प रु० 0.02 एवं 0853–खान एवं खनिज रु० 0.03 (रुपये करोड़ में)।

8 सी०डी०–I आगरा, सी०डी०–I एवं III बारादंकी, सी०डी०–I गोरखपुर, सी०डी० कन्नौज, सी०डी०–III कानपुर नगर, सी०डी०–I लखीमपुर खीरी, सी०डी०–I सीतापुर, सी०डी० उन्नाव, पी०डी० आगरा, पी०डी० इलाहाबाद, पी०डी० बागपत, पी०डी० बिजनौर, पी०डी० बदायूँ, पी०डी० देवरिया, पी०डी० फर्रूखाबाद, पी०डी० जौनपुर, पी०डी० कन्नौज, पी०डी० लखीमपुर खीरी, पी०डी० महाराजगंज, पी०डी० मेरठ, पी०डी० सहारनपुर, पी०डी० सीतापुर, पी०डी० सोनभद्र एवं अनुरक्षण खण्ड–I सिविल लखनऊ।

### 5.2.9.2 व्यय न किये गये अवशेष निक्षेप को राजस्व में जमा न किया जाना

13 खण्डों[9] के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि 9.94 करोड़ रूपये की व्यय न की गयी धनराशि जोकि विभिन्न विभागों/इकाइयों से निर्माण कार्य हेतु जून 1973 से नवम्बर 2005 के मध्य प्राप्त की गयी थी, 31 मार्च 2008 के अन्त तक "सिविल निक्षेप" भाग–।।। में पड़ी हुयी थी। प्रावधानों के अनुसार अवशेष धनराशियॉ राजस्व शीर्ष में जमा होनीं थीं परन्तु ऐसा नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप उस सीमा तक राजस्व का कम लेखांकन किया गया।

प्रकरण विभाग एवं शासन को जून 2009 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2009)।

### 5.2.10 स्टाक लाभ को राजस्व में जमा न किया जाना

**5.2.10.1** उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–VI के प्रस्तर 217–ए में प्रावधानित है कि दरों के संशोधन के कारण मूल्यों में अन्तर की वार्षिक धनराशि की अधिकता या कमी के प्रदर्शन की प्रोफार्मा लेखा में गणना की जानी चाहिए और राजस्व प्राप्तियों की तरह जमा कर देना चाहिए या स्टाक पर हानि को प्रभारित करना चाहिए, जैसा भी प्रकरण हो।

20 खण्डों[10] के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वार्षिक स्टाक के आधिक्य का मूल्य जो सितम्बर 2005 से माच 2008 तक 6.73 करोड़ रुपये था को राजस्व प्राप्ति की तरह जमा नहीं किया गया बल्कि खण्डों के भण्डार उचंत लेखे में ले जाया गया था। इसके फलस्वरूप उस सीमा तक राजस्व का कम लेखांकन किया गया।

प्रकरण विभाग एवं शासन को जून 2009 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2009)।

**5.2.10.2** शासनादेश दिनांक 3 मार्च 1997 के अनुसार, उधार के आधार पर स्टाक के अन्तर–खण्डीय ट्रान्सफर पद्धति को रोक दिया गया है । अब यह केवल नकद आधार पर ही होगा और प्राप्त धनराशि को राजस्व शीर्ष में जमा कर देना होगा।

अधिशाषी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, इलाहाबाद के अभिलेखों की गई 2008 में नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सितम्बर 1995 से मार्च 2008 के दौरान विभिन्न खण्डों से बिटुमिन, पान्टून आदि की आपूर्ति हेतु 33.25 लाख रुपये की धनराशि प्राप्त हुयी, जो कि सिविल निक्षेप भाग–V (विविध निक्षेप) में पड़ी हुयी थी, जबकि इसे राजस्व शीर्ष में जमा किया जाना था। इसके फलस्वरूप उस सीमा तक राजस्व का कम लेखांकन किया गया।

प्रकरण विभाग एवं शासन को जून 2009 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2009)।

---

9 सी०डी०–I आगरा, सी०डी०–III बाराबंकी, सी०डी०–II कानपुर नगर, सी०डी०–II लखनऊ, पी०डी० बागपत, पी०डी० बिजनौर, पी०डी० बदायूँ, पी०डी० देवरिया, पी०डी० फर्रूखाबाद, पी०डी० लखीमपुर खीरी, पी०डी० सोनभद्र अनुरक्षण खण्ड–I सिविल एवं अनुरक्षण खण्ड–III सिविल लखनऊ।

10 सी०डी०–I इलाहाबाद, सी०डी०–I एवं III बाराबंकी, सी०डी०–II बदायूँ, सी०डी० देवरिया, सी०डी०–I गोरखपुर, सी०डी० कानपुर नगर, सी०डी०–I लखीमपुर खीरी, सी०डी० महाराजगंज, सी०डी०–III सहारनपुर, सी०डी०–I सीतापुर, सी०डी०–I उन्नाव, पी०डी० इलाहाबाद, पी०डी० जौनपुर, पी०डी० कानपुर नगर, पी०डी० लखीमपुर खीरी, पी०डी० लखनऊ, पी०डी० महाराजगंज, पी०डी० मेरठ, एवं पी०डी० सोनभद्र।

**5.2.10.3** शासनादेश दिनांक 3 मार्च 1997 के अनुसार अन्य खण्डों को बिकीत स्टोर सामग्री की धनराशि को, निक्षेप साख सीमा प्राप्त करके अन्य कार्य के भुगतान में उपयोग नहीं किया जा सकता है।

तीन खण्डों[11] के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2004–05 से 2005–06 के दौरान विभिन्न इकाईयों से बिटुमिन की आपूर्ति हेतु 9 लाख रूपये प्राप्त हुये थे, राजस्व में जमा करने के बजाय उसमें से 7.92 लाख रूपये सड़कों के निर्माण पर उपयोग कर लिये गये, जो कि वित्तीय नियमों के प्रतिकूल था। अवशेष धनराशि मार्च 2008 के अन्त तक सिविल निक्षेप में पड़ी हुई थी ।

इसे इंगित किये जाने पर सम्बन्धित खण्डों ने बताया कि जो राशियॉ अन्य खण्डों से प्राप्त हुई थीं उनको सड़कों के निर्माण पर उपयोग कर लिया गया। खण्डों का उत्तर वित्तीय नियमों और शासनादेश दिनांक 3 मार्च 1997 के अनुरूप्य नहीं था।

प्रकरण विभाग एवं शासन को जून 2009 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2009)।

## 5.2.11 आन्तरिक लेखा परीक्षा

आन्तरिक लेखा परीक्षा, नियंत्रण तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो किसी संगठन को आश्वस्त करता है कि निर्धारित व्यवस्थायें तर्क संगत ढंग से अच्छी तरह कार्य कर रही हैं और सामान्यतः इसे सभी नियन्त्रणों पर नियन्त्रण माना जाता है। इससे राजस्व के विभिन्न शीर्षों के प्राप्तियों में रिसाव या क्षति से सुरक्षात्मक हित का यकीन दिलाना है।

लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि विभाग में आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रभाग अस्तित्व में नहीं है। वर्तमान में कोई भी कर्मचारी आन्तरिक लेखा परीक्षा के लिये विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया । विभाग ने अगस्त 2008 में बताया कि आन्तरिक लेखा परीक्षा हेतु मानव शक्ति की स्वीकृति के लिये प्रकरण शासन से पत्राचार में है।

## 5.2.12 पथकर का संग्रहण

उ0प्र0 पथकर नियमावली एवं उद्ग्रहण, संग्रहण नियम 1980 के प्रावधानों और मुख्य अभियन्ता द्वारा जारी किये विभागीय निर्देशों में सेतुओं एवं इनकी पहुँच मार्ग के उपयोग किये जाने पर पथकर के आरोपण एवं उद्ग्रहण की प्रक्रिया को प्रावधानित किया गया है। पथकर केवल शासकीय अधिसूचना जारी होने के बाद ही आरोपित किया जा सकता है और संग्रहण या तो विभागीय रूप से या एक एजेंट के माध्यम से किया जा सकता है। पुनश्च, पथकर आरोपण का प्रस्ताव उपयुक्त न हो तो पथकर न लगाने की अनुमति, सेतु पर यातायात खोलने से पूर्व प्राप्त कर लेनी चाहिए।

### 5.2.12.1 पथकर के उदग्रहण हेतु अधिसूचना जारी न किया जाना

उत्तर प्रदेश पथकर नियमावली एवं उदग्रहण संग्रहण नियम 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत सेतुओं पर पथकर आरोपण या छूट शासकीय अधिसूचना निर्गत होने के बाद ही किया जा सकता है। मुख्य अभियन्ता के परिपत्र दिनांक 23 मार्च 1966 के अनुसार सम्बन्धित खण्ड के अधिशाषी अभियन्ता द्वारा नये सेतुओं के पूर्ण होने के तीन माह पूर्व

---

11 प्रान्तीय खण्ड बागपत, कानपुर नगर एवं मेरठ।

पथकर के उद्ग्रहण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए। शासन स्तर पर अधिसूचना जारी करने की कोई समय सीमा नहीं है।

पॉच खण्डों के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि 32.86 करोड़ रुपये मूल्य के 13 सेतुओं का निर्माण मार्च 2004 से जनवरी 2008 के मध्य पूर्ण किया गया था। आठ सेतुओं के प्रकरण में विभाग द्वारा शासन को पथकर आरोपण के लिये प्रस्ताव दिसम्बर 2006 से अक्टूबर 2008 के मध्य प्रस्तुत किये गये थे। फिर भी सरकार की कोई अधिसूचना आज की तिथि तक जारी नहीं की गयी। पुनश्च, विभाग द्वारा पॉच सेतुओं के प्रकरण में पथकर आरोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया। समय से प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निगरानी के लिये विभाग/शासन स्तर पर कोई सतर्क प्रणाली नहीं है। इसके फलस्वरूप 32.86 करोड़ रुपये के पथकर का उदग्रहण सेतुओं से नहीं हुआ। जैसा कि नीचे वर्णित किया गया है :

(लाख रुपये में)

| क्र. सं. | खण्ड का नाम | पुलों की संख्या | कार्य पूर्ण होने की तिथि | पथकर उद्ग्रहण/ पथकर छूट के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की तिथि | पुलों की लागत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | प्रान्तीय खण्ड, कन्नौज | 5[12] | अप्रैल 2004 से जून 2006 | अप्रैल 2008 | 1,351.84 |
| 2. | प्रान्तीय खण्ड, लखीमपुर खीरी | 1[13] | मार्च 2007 | अक्टूबर 2008 | 395.64 |
| 3. | प्रान्तीय खण्ड, सहारनपुर | 2[14] | मार्च 2006 और जनवरी 2008 | दिसम्बर 2006 और जून 2008 | 624.14 |
| 4. | निर्माण खण्ड, कन्नौज | 3[15] | मार्च 2004 से जून 2006 | — | 618.22 |
| 5. | प्रान्तीय खण्ड, फर्रूखाबाद | 2[16] | जून 2007 | — | 295.73 |
| योग | | 13 | | | 3,285.57 |

प्रकरण विभाग एवं शासन को जून 2009 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2009)।

## अनुपालनीय कमियॉ

### 5.2.12.2 प्रतिकर का उद्ग्रहण न किया जाना

पथकर के उद्ग्रहण हेतु पट्टा विलेख की शर्त संख्या 11(i) के अनुसार जो उ0प्र0 पथकर नियमावली एवं उदग्रहण, संग्रहण नियम 1980 के अन्तर्गत गठित किया गया था, यदि ठेकेदार विलेख में उल्लिखित देय तिथि पर वार्षिक पथकर की मासिक किश्तें जमा करने में असफल होता है तो वह विभाग को इस त्रुटि हेतु वार्षिक पथकर की धनराशि का 1 से 10 प्रतिशत तक के प्रतिकर के भुगतान के लिये दायी है।

---

12 कन्नौज जिले के: (i) श्रृंगीरामपुर, इब्राहिमपुर के 26 कि0मी0 मार्ग पर काली नदी सेतु (ii) जी0टी0 रोड से मृरगंवा मार्ग पर मलपुरवा घाट सेतु (iii) नवली नन्दपुर दरोरा मार्ग के काली नदी पर दरोरा घाट सेतु (iv) कन्दौली ताजपुर रोड के काली नदी पर कन्दौली घाट सेतु (v) गुरसहायगंज तिरवा रोड के इशन नदी पर धोबी घाट सेतु।

13 लखीमपुर जिले के औरंगाबाद–बारबर के 8 कि0मी0 मार्ग पर गोमती नदी पर गोमती सेतु।

14 सहारनपुर जिले के (i) सहारनपुर के बेहट शाकुम्भरी मार्ग पर गागोरो नदी सेतु (ii) घोघरे वेरीलागू के 1 कि0मी0 मार्ग पर हिन्डन नदी सेतु।

15 कन्नौज जिले के (i) दधिया मानि मऊ मार्ग पर इशन नदी पर नेरा घाट सेतु (ii) सौरिख तिरवा मार्ग पर इशन नदी पर इशन नदी सेतु (iii) जनखड बिहारीपुर मार्ग के पाण्डव नदी सेतु।

16 फर्रूखाबाद जिले के (i) अमृतपुर से फखरपुर मार्ग पर सोतानाला सेतु (ii) लीलापुर किराचिन मार्ग पर गंगा नाला सेतु।

दो खण्डों के अभिलेखों की नमूना जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2003–04 से 2007–08 की अवधि के दौरान ठेकेदारों द्वारा वार्षिक पथकर की मासिक किश्तों को सात दिनों की अनुग्रह अवधि के बाद 2 से 123 दिनों के विलम्ब से जमा किया गया परन्तु विभाग द्वारा सरकारी देयों के विलम्बित भुगतान के लिये प्रतिकर वसूली हेतु कार्यवाही नहीं की गयी थी। जिसके फलस्वरूप विभाग द्वारा 92.39 लाख रुपये राजस्व की वसूली नहीं हुई जिसकी गणना वार्षिक पथकर के न्यूनतम एक प्रतिशत की दर से की गयी थी जैसा कि नीचे वर्णित किया गया है :

*(लाख रुपये में)*

| क्र. सं. | खण्ड का नाम | पुलों की संख्या | पट्टा अवधि | बिलम्ब की अवधि दिनों में | आरोपणीय प्रतिकर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | प्रान्तीय खण्ड, लखनऊ | 1[17] | 2003–04 से 2007–08 | 5 से 64 | 90.47 |
| 2. | प्रान्तीय खण्ड, सोनभद्र | 1[18] | 2005–06 से 2007–08 | 2 से 123 | 1.92 |
| योग | | | | | **92.39** |

प्रकरण विभाग एवं शासन को जून 2009 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2009)।

## 5.2.13 निक्षेप कार्यों पर प्रतिशत प्रभारों का आरोपण न किया जाना

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–VI के प्रावधानों के साथ पठित शासनादेश दिनांक 18 अगस्त 1998 के अंतर्गत, लोक निर्माण विभाग (लो0नि0वि0) से संबंधित (सेतुओं व सड़कों) के वास्तविक खर्च पर 12.5 प्रतिशत की दर से प्रतिशत प्रभार, जो स्वायत्त निकाय/स्थायी निकाय व वाणिज्यिक विभाग की ओर से राज्य के लो0नि0वि0 द्वारा लिये गये कार्यों से सम्बन्धित निक्षेप कार्यों पर आरोपणीय एवं शासकीय लेखे में जमा किया जाना है ।

चार खण्डों के अभिलेखों की नमूना जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि खण्डों द्वारा वर्ष 2002–03 से 2007–08 की अवधि के दौरान सड़कों व पुलों, नालियों आदि के 16.27 करोड़ रूपये निर्माण मूल्य के निक्षेप कार्यों को विकास प्राधिकरणों व भारत सरकार के पावर ग्रिड कारपोरेशन की ओर से करते हुये 2.03 करोड़ रूपये के प्रतिशत प्रभार का आरोपण नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप 2.03 करोड़ रुपये की वसूली नहीं की गयी। जैसा कि नीचे वर्णित है :

*(लाख रुपये में)*

| क्र. सं. | खण्ड का नाम | एजेंसी का नाम | कार्य का विवरण | निर्माण की लागत | आरोपणीय प्रतिशत प्रभार की धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | प्रान्तीय खण्ड, आगरा | आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा | आगरा शहर एवं फतेहपुर सीकरी के सड़कों की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण | 135.36 | 16.92 |
| 2. | प्रान्तीय खण्ड, इलाहाबाद | पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया, इलाहाबाद | चम्पतपुर प्राइमरी स्कूल से बघारा तक के रोड का निर्माण | 12.51 | 1.56 |

17 लखनऊ में लखनऊ–हरदोई मार्ग पर बी0आर0 अम्बेडकर सेतु ।

18 सोनभद्र के बाबतपुर–जलालपुर के 30 कि0मी0 मार्ग पर बसूहि नदी पर जमालपुर सेतु।

| क्र. सं. | खण्ड का नाम | एजेंसी का नाम | कार्य का विवरण | निर्माण की लागत | आरोपणीय प्रतिशत प्रभार की धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | प्रान्तीय खण्ड, सोनभद्र | शक्ति नगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) | विस्थापित कालोनी में सड़क एवं पुलिया और नालियों का निर्माण | 10.15 | 1.27 |
| 4 | निर्माण खण्ड, सोनभद्र | | बगहा नाला से ओबरा तक सड़क निर्माण का कार्य | 1,468.73 | 183.59 |
| योग | | | | **1,626.75** | **203.34** |

इसे इंगित किये जाने के पश्चात सम्बन्धित खण्डों ने बताया कि निर्मित सड़कें लो0नि0वि0 की सम्पत्ति हैं इसलिये प्रतिशत प्रभार आरोपित नहीं किये गये। खण्डों के उत्तर वित्तीय नियमों के आनुरूप्य नहीं थे जो लो0नि0वि0 द्वारा उक्त अंकित एजेन्सियों की ओर से किये गये कार्यों पर प्रतिशत प्रभार आरोपण को अनुबद्ध करना थे।

प्रकरण विभाग एवं शासन को जून 2009 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2009)।

## 5.2.14 अध्यासियों से किराये की वसूली न किया जाना

आवासीय भवन जो विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को आबंटित किये गये हैं का किराया भवनों के अनुरक्षण करने वाले खण्डों की मॉग पर उनके वेतन चिट्ठे से वसूल किया जाता है। वसूल किये जाने के बाद आहरण वितरण अधिकारी (आ0वि0अ0) अनुरक्षण करने वाले खण्डों को एक विवरण प्रेषित करता है जो वसूली पंजिका में विवरण अभिलिखित करता है।

पाँच खण्डों के अभिलेखों की नमूना जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि खण्डों द्वारा किराया वसूली पंजिका का रख–रखाव नहीं किया गया जिसके कारण खण्डों द्वारा किराये की वसूली के नियंत्रण पर ध्यान नहीं रखा गया। परिणामस्वरूप शासकीय आवासीय भवनों के 91 अध्यासियों से 32.20 लाख रुपये की वसूली नहीं हुई। जैसा कि नीचे वर्णित किया गया है :

(लाख रूपये में)

| क्र. सं. | खण्ड का नाम | अवधि | किराये की धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1. | प्रान्तीय खण्ड, आगरा | जुलाई 2003 से मार्च 2008 | 4.07 |
| 2. | निर्माण खण्ड–I, इलाहाबाद | अप्रैल 2006 से मार्च 2008 | 4.03 |
| 3. | निर्माण खण्ड–II, कानपुर | जून 2004 से नवम्बर 2005 | 4.32 |
| 4. | निर्माण खण्ड–I, गोरखपुर | नवम्बर 1999 से मार्च 2008 | 10.84 |
| 5. | अनुरक्षण खण्ड–III, सिविल, लखनऊ | सितम्बर 2003 से मार्च 2008 | 8.94 |
| योग | | | **32.20** |

सम्बन्धित खण्डों द्वारा सूचित किया गया कि आहरण वितरण अधिकारियों से वसूली का विवरण प्राप्त न होने के कारण वसूली नहीं की गयी।

प्रकरण विभाग एवं शासन को जून 2009 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2009)।

### 5.2.15 निष्कर्ष

समीक्षा में देखा गया कि विभाग में बजट ऑकलन तैयार करने, पथकर संग्रहण के लिए समय से अधिसूचना निर्गत करने और प्रतिशत प्रभारों के संग्रहण हेतु प्रणाली की कमी है। विभागीय प्राप्तियों का व्यय में उपयोग बिना विधि सम्मत प्राधिकार का प्रचलन विभाग में लागू है, जो वित्तीय औचित्य के विस्तृत मूल सिद्धान्तों के विरूद्ध है। यह विधायिका के विनियोजन के आवश्यक उद्देश्यों को विफल करता है, इसको तुरन्त रोकने की आवश्यकता है।

### 5.2.16 संस्तुतियों का सारांश

सरकार विचार कर सकती है;

- कि बजट आंकलन तैयार करने की प्रकिया को मजबूत किया जाय जिससे सुनिश्चित हो कि बजट आंकलन प्रचलित नियमों के अनुसार तैयार किये गये हैं और जो वास्तविक और सही हैं।
- राजस्व प्राप्तियों को सम्बन्धित राजस्व शीर्षों में शीघ्र जमा करने हेतु प्रणाली को विकसित करना जिससे यह सुनिश्चित हो कि विभागीय व्यय में निक्षेप के अतिरिक्त इसका उपयोग न किया जाये जो देय हो उनको शासकीय लेखे के राजस्व शीर्ष में जमा किया जाये।
- विभाग में आंतरिक लेखा परीक्षा प्रभाग स्थापित किया जाये जिससे राजस्व प्राप्तियों के हित सुरक्षित हों और
- पथकर के आरोपण हेतु समय से अधिसूचना निर्गत करने की प्रणाली/तंत्र को विकसित किया जाये और विभाग को देय पथकर संग्रहण प्रणाली को भी विकसित किया जाये।

## 5.3 अन्य लेखा परीक्षा आपत्तियाँ

*वित्त, मनोरंजन कर, सिंचाई, वन तथा चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य विभाग के अभिलेखों की जाँच में प्रत्याभूत शुल्क के अनारोपण/कम आरोपण, ब्याज का कम भुगतान, मनोरंजन कर/चिकित्सा प्राप्तियों का अनियमित उपयोग, क्षतिपूर्ति की वसूली न होना और पट्टे पर किराये की कम वसूली के प्रकरण, जिनका उल्लेख इस अध्याय के आगे के प्रस्तरों में किया गया है। ये प्रकरण निदर्शी तथा सम्प्रेक्षा के नमूना लेखा परीक्षा पर आधारित हैं। इस प्रकार की त्रुटियाँ सम्प्रेक्षा में प्रतिवर्ष इंगित की जाती हैं। परन्तु न सिर्फ अनियमिततायें निरन्तर जारी हैं बल्कि सम्प्रेक्षा किये जाने तक अगोचर रहती हैं। शासन स्तर पर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली में सुधार आवश्यक है जिससे इस प्रकार की त्रुटियों की पुनरावृत्ति को भविष्य में टाला जा सके।*

## 5.4 नियमों के प्रावधानों का अनुपालन न किया जाना

*वित्तीय हस्त पुस्तिका (खण्ड–V भाग–I) और उ0प्र0 बजट मैनुअल में प्रावधान है कि :*

*(i) सरकारी विभागों द्वारा वसूल समस्त धन सरकारी खाते के सम्बन्धित प्राप्ति शीर्ष में शीघ्र प्रेषित कर दिये जाने चाहिए एवं*

*(ii) विभागीय व्यय में प्राप्तियों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।*

*प्रस्तर 5.4.1 और 5.4.2 में उल्लिखित सरकारी धन के प्रेषण में विभाग ने नियमों के प्रावधानों को संज्ञान में नहीं लिया जिसके फलस्वरूप 18.12 लाख रुपये की धनराशि शासकीय खाते में अलेखांकित रही।*

### चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और मनोरंजन कर

**5.4.1** जून 2000 में सरकार ने चिकित्सा विभाग को विभागीय प्राप्तियों का 50 प्रतिशत अंश व्यय हेतु उपयोग के लिये अधिकृत कर दिया है।

पाँच मुख्य चिकित्सा अधिकारियों/अधीक्षकों के कार्यालयों[19] के अभिलेखों की मई 2008 से दिसम्बर 2008 के मध्य नमूना जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जनवरी 2005 से मार्च 2008 के मध्य कुल चिकित्सा प्राप्ति 16.08 लाख रुपये में से मात्र 8.04 लाख रुपये की धनराशि सरकारी कोषागार में जमा की गयी और शेष 8.04 लाख रुपये का विभागीय व्यय में उपयोग किया गया। 8.04 लाख रुपये की विभागीय प्राप्ति का विभागीय व्यय में उपयोग वित्तीय हस्त पुस्तिका/उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रावधानों के विरूद्ध था।

प्रकरण विभाग एवं शासन को फरवरी 2009 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2009)।

[19] आजमगढ़, बुलन्दशहर, फैजाबाद, मथुरा एवं मुरादाबाद।

**5.4.2** जुलाई 2000 में शासन ने सिनेमा हाल स्वामियों को जनता से एकत्रित मनोरंजन कर का उपयोग समय–समय पर स्वीकृत सहायता अनुदान के रूप में निश्चित शर्तों के साथ करने हेतु अधिकृत किया।

जनवरी 2009 में जिला मनोरंजन कर अधिकारी पीलीभीत के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2001–02 से 2006–07 के दौरान एक सिनेमा हाल स्वामी को 11.76 लाख रुपये का सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया। सिनेमाहाल स्वामी संग्रहीत मनोरंजन कर का उपयोग सहायता अनुदान के रूप मे करने हेतु अधिकृत था जिसमें से उसने 10.08 लाख रुपये का उपयोग भी कर लिया। मनोरंजन कर का उपयोग सहायता अनुदान के रूप में करने हेतु अधिकृत किया जाना वित्तीय हस्त पुस्तिका और उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रावधानों के विरूद्ध था।

प्रकरण विभाग एवं शासन को फरवरी 2009 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2009)।

## 5.5 राजस्व सुरक्षा के सम्बन्ध में शासन के निर्देशों का संज्ञान में न लिया जाना

*शासन/विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों में प्रावधान है :*

*(i) बकाया शासकीय ऋण पर प्रत्याभूत शुल्क की वसूली;*

*(ii) ऋण की शर्तें व प्रतिबन्ध;*

*(iii) विभागीय अतिथि गृह के किराये की वसूली की विधि एवं*

*(iv) वन भूमि पर अधिमूल्य एवं पट्टा किराया की वसूली की विधि।*

*प्रस्तर 5.5.1 से 5.5.4 में उल्लिखित कुछ प्रकरणों में शासकीय निर्देशों का अनुपालन न किये जाने के फलस्वरूप 15.38 करोड़ रुपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई।*

## वित्त विभाग

**5.5.1** वित्त विभाग के 15 सितम्बर 2000 के आदेश के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूति की तिथि से ऋणी संस्था पर बकाया प्रत्याभूति धनराशि सहित प्रत्याभूति धनराशि पर 0.25 से 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से प्रत्याभूत शुल्क आरोपणीय है। प्रत्याभूत शुल्क की वसूली ऋण की प्रत्याभूति दिये जाने के समय तथा ऋण की बकाया धनराशि पर वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से की जानी है। भुगतान में विफल होने की दशा में प्रत्याभूत शुल्क सामान्य दर से दो गुनी दर पर देय होगा।

महा प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ (उ0प्र0पा0का0लि0) तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ (निगम) उनके तीन थर्मल पावर स्टेशन के अभिलेखों की दिसम्बर 2008 से जनवरी 2009 के मध्य नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि शासन ने वर्ष 2002–03 और 2006–07 की अवधि के दौरान 2,610.54 करोड़ रुपये की प्रत्याभूति विभिन्न

वित्तीय संस्थाओं/बैंकों तथा पावर फाइनेन्स कारपोरेशन (पा0फा0का0) नयी दिल्ली से ऋण प्राप्त करने हेतु प्रदान किया। 57.25 करोड़ रुपये धनराशि का प्रत्याभूत शुल्क देय था, परन्तु निगम/उद्यमियों ने मात्र 42.50 करोड़ रुपये का भुगतान किया। जिससे 14.75 करोड़ रुपये के प्रत्याभूत शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण हुआ जैसा कि नीचे वर्णित किया गया है :

(करोड़ रुपये में)

| क0सं0 | निगम/उद्यमियों का नाम | प्रत्याभूति/बकाया प्रत्याभूति की धनराशि | देय प्रत्याभूत शुल्क | प्रत्याभूत शुल्क का भुगतान | प्रत्याभूत शुल्क का न/कम भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ | 2,431.43 | 48.03 | 41.51 | 6.52 |
| 2. | उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लि0 लखनऊ | 135.90 | 5.17 | 0.99 | 4.18 |
| | थर्मल पावर स्टेशन अनपारा 'ए' सोनभद्र | 8.73 | 0.77 | -- | 0.77 |
| | थर्मल पावर स्टेशन पनकी कानपुर | 15.71 | 1.55 | -- | 1.55 |
| | थर्मल पावर स्टेशन परिक्षा झाँसी | 18.77 | 1.73 | -- | 1.73 |
| **योग** | | **2,610.54** | **57.25** | **42.50** | **14.75** |

ऋणी इकाई के आर्थिक चिट्ठे में प्रत्याभूत शुल्क के भुगतान (न/कम भुगतान) सम्बन्धी प्रावधान नहीं किये गये।

यह देखा गया कि ऋणी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति, प्रत्याभूतियों की मंत्रिमण्डलीय स्वीकृति, प्रत्याभूत शुल्क की दर एवं किये गये भुगतान/प्रत्याभूत शुल्क के मद में होने वाले भुगतान जैसे महत्वपूर्ण विवरण, न तो प्रशासनिक विभाग और न ही वित्त विभाग द्वारा अभिलेखित किये गये जिससे परिलक्षित होता है कि अभिलेखों का रख–रखाव कमजोर था और प्रभावी अनुश्रवण हेतु सुधार की आवश्यकता थी।

प्रकरण विभाग एवं शासन को फरवरी 2009 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2009)।

**5.5.2** विभिन्न विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य के विकास प्राधिकरणों को समय–समय पर ब्याज प्रदायक ऋण स्वीकृत किये गये हैं। ऋण की शर्तों के अनुसार ब्याज का भुगतान एवं अवशेष ऋण की वापसी का दायित्व सम्बन्धित विकास प्राधिकरण का है।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ (मे0वि0प्रा0) के अभिलेखों की फरवरी 2009 में नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि आवास विकास योजना के अन्तर्गत मे0वि0प्रा0 को विभिन्न विकास कियाकलापों हेतु 6.77 करोड़ रुपये का ब्याज प्रदायक ऋण स्वीकृत किया गया (मार्च 2000) । ऋण का पुनर्भुगतान ऋणी द्वारा उस पर देय ब्याज सहित 10 समान किश्तों में 10 वर्ष में 15.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से किया जाना था। ऋणी द्वारा देय ब्याज 5.46 करोड़ रुपये के स्थान पर 4.97 करोड़ रुपये का भुगतान 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दिसम्बर 2008 तक किया गया।

प्रकरण इंगित किये जाने पर मे0वि0प्रा0 ने बताया कि ऋण के पुनर्भुगतान तथा ब्याज का भुगतान नियत तिथि पर किये जाने पर ब्याज में 3.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य है। जबकि तथ्य यह उद्घटित हुआ कि शासकीय अनुमोदन में ऐसी किसी छूट का कोई प्रावधान नहीं था।

प्रकरण विभाग एवं शासन को मार्च 2009 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2009)।

## सिंचाई विभाग

**5.5.3** उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 17 अक्टूबर 1998 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार सिंचाई विभाग के अतिथि गृह में ठहरने वाले ऐसे आगन्तुकों के लिए जो एक सप्ताह से अधिक कक्ष में ठहरते हैं, को प्रथम 7 दिनों के लिये किराये के बदले प्रतिकर एक कक्ष के लिए 40 रुपये प्रति दिन तथा 7 दिनों से अधिक के लिए 70 रुपये प्रतिदिन एवं लगातार 30 दिनों से अधिक ठहरने पर प्रति कक्ष 100 रुपये प्रति दिन देना होगा।

अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई विभाग, फैजाबाद के अभिलेखों की मार्च 2009 में नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों/कर्मचारियों ने जनवरी 1999 से दिसम्बर 2008 तक की अवधि में 3,652 दिन अतिथि गृह का उपयोग किया जिसके लिए अध्यासियों द्वारा प्रतिकर के रूप में 7.30 लाख रुपये अदा किया जाना था। यद्यपि धनराशि अदा नहीं की गयी, फिर भी विभाग द्वारा न तो प्रतिकर का निर्धारण किया गया और न ही अध्यासियों को वसूली हेतु कोई नोटिस जारी की गयी। जिसके फलस्वरूप 7.30 लाख रुपये के राजस्व की वसूली नहीं हो सकी।

प्रकरण विभाग एवं शासन को मार्च 2009 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2009)।

## वन विभाग

**5.5.4** वन विभाग (व0वि0) के अक्टूबर 1976 के आदेश, जो उ0प्र0 वन निगम (उ0प्र0व0नि0) पर भी 7 सितम्बर 1978 से लागू हैं, के अनुसार वन भूमि का प्रयोग वन उद्देश्य के अतिरिक्त किये जाने पर 1,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष पट्टा किराया वसूलनीय था। पुनश्च, उ0प्र0 सरकार के जुलाई 1989 और अक्टूबर 1992 के आदेश (शासनादेश) जो उ0प्र0व0नि0 पर भी लागू हैं में प्रावधान है कि स्थाई प्रकृति के पट्टे में पट्टाग्रहीता को वन भूमि पर बाजार दर से किश्त की धनराशि और 10 प्रतिशत वार्षिक किश्त की धनराशि किराये के रूप में देना होगा। सरकार ने वर्ष 1992 में स्पष्ट किया है कि पट्टा किराये की दर वन निगम सहित सभी पट्टों पर लागू होगी।

प्रभागीय वनाधिकारी (प्र0व0), व0वि0 रेनूकूट सोनभद्र के अभिलेखों की फरवरी 2009 में नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि उ0प्र0व0नि0 को सोनभद्र के म्योरपुर वन क्षेत्र के गोविन्दपुर में एक डिपो की स्थापना हेतु 16.5 हेक्टेयर (40.7715 एकड़) वन भूमि स्थानान्तरित की गयी। किश्त और पट्टा किराया बाजार दर पर आगणित 7.34

लाख रुपया की वसूली उ0प्र0व0नि0 से की जानी थी। जबकि व0वि0 से अप्रैल 2003 से मार्च 2008 की अवधि में पट्टा किराये के रूप में 82,500 रुपये ही वसूल किये गये। जिसके फलस्वरूप किश्त और किराये के रूप में 6.51 लाख रुपये की धनराशि कम वसूल हुयी।

प्रकरण मार्च 2008 में प्रतिवेदित किये जाने पर प्र0व0 ने बताया कि व0वि0 और उ0प्र0व0नि0 के अधिकारियों के बीच एक बैठक नवम्बर 1992 में हुयी थी जिसमें यह निश्चय किया गया कि 1,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से पट्टा किराया केवल उ0प्र0व0नि0 से वसूल किया जायेगा। निर्णय को शासन की मंजूरी हेतु दिसम्बर 1993 में सन्दर्भित भी कर दिया गया था। तथापि मंजूरी प्राप्त नहीं हुई है (दिसम्बर 2008)।

प्रकरण विभाग एवं शासन को मार्च 2008 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2009)।

रीमा प्रकाश

लखनऊ
दिनांक :
१८ दिसम्बर २००९

(रीमा प्रकाश)
महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा)
उत्तर प्रदेश

प्रति हस्ताक्षरित

Vinod Rai

नई दिल्ली
दिनांक :
२१ दिसम्बर २००९

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

# परिशिष्ट

## परिशिष्ट–I
## अधिनियम/नियमों के प्रावधानों को अमल में न लाया जाना अर्थदण्ड एवं ब्याज का अनारोपण
## (सन्दर्भित प्रस्तर सं0 2.4.1.2)

(लाख रुपये में)

| क0 सं0 | कार्यालय का नाम | व्यापारियों की संख्या | कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष) | छिपाया गया टर्नओवर | छिपाये गये टर्नओवर पर आरोपित कर | आरोपणीय न्यूनतम अर्थदण्ड | आरोपित अर्थदण्ड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अ0क0, खण्ड XII, वा0क0, आगरा | 1 | 2002-03 (सितम्बर 2007) | 25.00 | 2.00 | 1.00 | -- |
| 2. | डि0क0 (क0नि0) III वा0क0, इलाहाबाद | 1 | 2003-04 (जनवरी 2005) | 23.96 | 1.89 | 0.94 | -- |
| 3. | अ0क0, खण्ड III, वा0क0, इलाहाबाद | 1 | 2003-04 (मार्च 2007) | 23.08 | 1.00 | 0.50 | 0.90 |
| 4. | अ0क0, खण्ड VI, वा0क0, इलाहाबाद | 1 | 2000-01 (जून 2004) | 16.44 | 1.91 | 0.96 | 1.14 |
| 5. | अ0क0, वा0क0, अमरोहा | 1 | 2003-04 (मार्च 2006) | 18.00 | 1.80 | 0.90 | 0.90 |
| 6. | डि0क0 (क0नि0) वा0क0, बॉदा | 1 | 2002-03 (मार्च 2005) | 125.00 | 10.00 | 5.00 | -- |
| 7. | डि0क0 (क0नि0) वा0क0, बदायूँ | 1 | 1999-2000 (सितम्बर 2007) | 78.31 | 12.43 | 6.21 | -- |
| 8. | डि0क0 (क0नि0) वा0क0, चन्दौसी | 1 | 2005-06 (अक्टूबर 2007) | 100.00 | 2.00 | 1.00 | -- |
| 9. | अ0क0, खण्ड IV, वा0क0, गोरखपुर | 1 | 2002-03 (जनवरी 2004) | 11.71 | 1.19 | 0.59 | 0.59 |
| 10. | डि0क0 (क0नि0)–II वा0क0, झॉसी | 1 | 2002-03 (मार्च 2004) | 600.59 | 24.02 | 12.01 | -- |
| 11. | अ0क0, खण्ड XIII, वा0क0, कानपुर | 1 | 2001-02 (मार्च 2008) | 139.11 | 13.91 | 6.95 | -- |
| | | | 2002-03 (मार्च 2008) | 191.77 | 19.18 | 9.59 | -- |
| | | | 2003-04 (मार्च 2008) | 106.50 | 10.65 | 5.33 | -- |
| 12. | अ0क0, वा0क0, खतौली | 1 | 2004-05 (जुलाई 2006) | 16.67 | 2.66 | 1.33 | -- |
| 13. | अ0क0, खण्ड I, वा0क0, उरई | 1 | 1999-2000 (जून 2007) | 37.68 | 3.01 | 1.51 | -- |
| 14. | अ0क0, खण्ड I, वा0क0, पीलीभीत | 1 | 2003-04 (मार्च 2006) | 98.68 | 4.56 | 2.28 | -- |
| 15. | डि0क0 (क0नि0) वा0क0, सुल्तानपुर | 1 | 2003-04 (मार्च 2006) | 60.30 | 2.60 | 1.30 | -- |
| 16. | अ0क0, खण्ड I, वा0क0, सुल्तानपुर | 1 | 2001-02 (जनवरी 2005) | 50.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 |
| **योग** | | **16** | | **1,722.80** | **116.81** | **58.40** | **7.53** |

# परिशिष्ट–II

## अधिनियम/नियमों के प्रावधानों को अमल में न लाया जाना अर्थदण्ड एवं ब्याज का अनारोपण

## (सन्दर्भित प्रस्तर सं0 2.4.1.4)

(लाख रुपये में)

| क0 सं0 | कार्यालय का नाम | व्यापारियों की संख्या | कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष) | कर की धनराशि | विलम्ब की अवधि (दिनों में) | अधिकतम आरोपणीय अर्थदण्ड | आडिट के परिपेक्ष्य में आरोपित अर्थदण्ड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अ0क0, खण्ड II, वा0क0, अलीगढ़ | 1 | 2002-03 (जनवरी 2005) | 0.53 | 14 | 1.06 | 1.06 |
| 2. | अ0क0, वा0क0, औरैया | 1 | 2003-04 (मार्च 2006) | 1.38 | 5 से 159 | 2.76 | 2.76 |
| 3. | अ0क0, वा0क0, बागपत | 1 | 2003-04 (मार्च 2006) | 1.44 | 723 से 967 | 2.88 | -- |
| | | | 2004-05 (मार्च 2007) | 2.07 | 328 | 4.14 | -- |
| 4. | डि0क0 (क0नि0) वा0क0, बदायूँ | 1 | 2004-05 (मार्च 2007) | 0.71 | 3 से 433 | 1.42 | -- |
| 5. | वा0क0अ0, खण्ड I बदायूँ | 1 | 2003-04 (जनवरी 2006) | 1.71 | 6 से 190 | 3.42 | -- |
| 6. | अ0क0, खण्ड I, वा0क0, इटावा | 1 | 2003-04 (मार्च 2006) | 0.93 | 6 से 160 | 1.86 | -- |
| 7. | अ0क0, वा0क0, कन्नौज | 1 | 2004-05 (मार्च 2007) | 16.12 | 5 से 46 | 32.24 | -- |
| | | 1 | 2004-05 (मार्च 2007) | 2.98 | 17 | 5.96 | -- |
| 8. | अ0क0, वा0क0, कौशाम्बी | 1 | 2003-04 (फरवरी 2006) | 2.42 | 14 से 44 | 4.84 | -- |
| 9. | वा0क0अ0, कौशाम्बी | 1 | 2004-05 (नवम्बर 2006) | 0.74 | 26 से 94 | 1.48 | -- |
| 10. | डि0क0 (क0नि0) वा0क0, कोसीकलां | 1 | 2004-05 (मार्च 2007) | 9.31 | 9 से 70 | 18.62 | -- |
| 11. | अ0क0, खण्ड I, वा0क0, लखीमपुर खीरी | 1 | 2005-06 (सितम्बर 2007) | 3.93 | 6 से 11 | 7.86 | 7.86 |
| 12. | अ0क0, खण्ड IX, वा0क0, लखनऊ | 1 | 2003-04 (जनवरी 2008) | 3.65 | 16 से 146 | 7.30 | -- |
| 13. | वा0क0अ0,नजीबाबाद | 1 | 2004-05 (मार्च 2007) | 0.78 | 302 से 545 | 1.56 | -- |
| 14. | डि0क0 (क0नि0)–II वा0क0, रामपुर | 1 | 2004-05 (फरवरी 2007) | 1.08 | 679 | 2.16 | -- |
| 15 | अ0क0, खण्ड II, वा0क0, रामपुर | 1 | 2004-05 (दिसम्बर 2006) | 1.88 | 5 | 3.76 | -- |
| 16. | डि0क0 (क0नि0)–II वा0क0, सीतापुर | 1 | 2005-06 (फरवरी 2008) | 0.97 | 94 | 1.94 | 1.89 |
| **योग** | | **17** | | **52.63** | | **105.26** | **13.57** |

## परिशिष्ट–III
## अधिनियम/नियमों के प्रावधानों को अमल में न लाया जाना
## अर्थदण्ड एवं ब्याज का अनारोपण
## (सन्दर्भित प्रस्तर सं0 2.4.1.5)

(लाख रुपये में)

| क0 सं0 | कार्यालय का नाम | व्यापारियों की संख्या | कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष) | वस्तु का नाम | क्रय की धनराशि | कर की दर | आरोपणीय अर्थदण्ड की दर | आरोपणीय अर्थदण्ड | आडिट के परिपेक्ष्य में आरोपित अर्थदण्ड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अ0क0, खण्ड VIII, वा0क0, आगरा | 1 | 2004-05 (सितम्बर 2006) | कॉटन यार्न | 4.12 | 8 | 12 | 0.49 | -- |
| | | | 2005-06 (अक्टूबर 2007) | | 5.13 | 8 | 12 | 0.62 | -- |
| 2. | अ0क0, खण्ड II, वा0क0, अलीगढ़ | 1 | 2002-03 (मई 2005) | जेनरेटर सेट् | 4.25 | 10 | 15 | 0.64 | 0.64 |
| 3. | अ0क0, खण्ड VI, वा0क0, अलीगढ़ | 1 | 2005-06 (अक्टूबर 2007) | जेनरेटर सेट् | 26.70 | 10 | 15 | 4.01 | -- |
| 4. | डि0क0 (क0नि0)– III वा0क0, इलाहाबाद | 1 | 2005-06 (दिसम्बर 2007) | कलर्स, केमिकल्स एण्ड एसेन्स | 16.37 | 10 | 15 | 2.46 | -- |
| 5. | डि0क0 (क0नि0)– IV वा0क0, इलाहाबाद | 1 | 2003-04 (मार्च 2006) | एनीमल ग्लू, ग्लू पाउडर, गम पाउडर, ट्यूबा कोन गम पाउडर तथा पी0वी0ए0 पाउडर | 13.18 | 10 | 15 | 1.98 | -- |
| | | | 2004-05 (मार्च 2007) | | 2.60 | 10 | 15 | 0.39 | -- |
| | | 1 | 2003-04 (सितम्बर 2005) | मखाना | 5.47 | 10 | 15 | 0.82 | -- |
| | | | 2004-05 (अगस्त 2006) | | 5.32 | 10 | 15 | 0.80 | -- |
| | | | 2005-06 (जुलाई 2007) | | 13.00 | 10 | 15 | 1.95 | -- |
| 6. | अ0क0, खण्ड IV, वा0क0, इलाहाबाद | 1 | 2001-02 (मार्च 2004) | पेपर एण्ड रैपर | 38.19 | 10 | 15 | 5.73 | 5.73 |
| | | | 2002-03 (जनवरी 2005) | | 53.07 | 10 | 15 | 7.96 | 4.63 |
| 7. | डि0क0 (क0नि0) वा0क0, आजमगढ़ | 1 | 2002-03 (मार्च 2005) | डी0जी0 सेट् | 5.40 | 10 | 15 | 0.81 | 0.81 |
| 8. | अ0क0, खण्ड I, वा0क0, बलिया | 1 | 2005-06 (सितम्बर 2007) | कड़ाही | 5.74 | 10 | 15 | 0.86 | -- |
| | | 1 | 2005-06 (मार्च 2008) | एकेलिक यार्न | 10.75 | 10 | 15 | 1.61 | -- |
| 9. | डि0क0 (क0नि0)– | 1 | 2004-05 (मार्च 2007) | परफ्यूम | 5.34 | 16 | 24 | 1.28 | -- |

| क0 सं0 | कार्यालय का नाम | व्यापारियों की संख्या | कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष) | वस्तु का नाम | क्रय की धनराशि | कर की दर | आरोपणीय अर्थदण्ड की दर | आरोपणीय अर्थदण्ड | आडिट के परिपेक्ष्य में आरोपित अर्थदण्ड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | III वा0क0, बरेली | | | | | | | | |
| 10. | अ0क0, खण्ड III, वा0क0, बरेली | 1 | 2002-03 (फरवरी 2005) | ग्लेज्ड टाइल्स | 2.42 | 16 | 24 | 0.58 | 0.58 |
| | | | | पी0वी0सी0 टैंक | 0.90 | 10 | 15 | 0.13 | 0.13 |
| 11. | अ0क0, खण्ड V, वा0क0, बरेली | 1 | 2005-06 (जून 2007) | टाइल्स | 22.38 | 16 | 24 | 5.37 | -- |
| 12. | डि0क0 (क0नि0) वा0क0 चन्दौली, (मुगलसराय) | 1 | 2003-04 (मार्च 2006) | डीजल आयल | 2.10 | 20 | 30 | 0.63 | 1.38 |
| | | | 2004-05 (मार्च 2007) | | 2.51 | 20 | 30 | 0.75 | |
| 13. | अ0क0, खण्ड II, वा0क0, इटावा | 1 | 2004-05 (फरवरी 2008) | टैन्डम रोलर | 23.42 | 12 | 18 | 4.22 | -- |
| 14. | अ0क0, खण्ड II, वा0क0, फैजाबाद | 1 | 2005-06 (मई 2007) | एक्रेलिक यार्न | 15.76 | 10 | 15 | 2.36 | 2.36 |
| 15. | डि0क0 (क0नि0)– V वा0क0, गाजियाबाद | 1 | 2002-03 (मार्च 2005) | एलुमीनियम कास्टिंग्स, बियरिंग्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स, ग्राइन्डिंग व्हील, हार्डवेयर तथा इलेक्ट्रिक केबिल्स | 18.63 | 10 | 15 | 2.79 | 2.79 |
| 16. | अ0क0, खण्ड V, वा0क0, गाजियाबाद | 1 | 2005-06 (जून 2007) | मोजे | 19.06 | 10 | 15 | 2.86 | -- |
| 17. | डि0क0 (क0नि0)– II वा0क0, हापुड़ | 1 | 2002-03 (मार्च 2005) | स्टिचिंग वायर | 7.98 | 10 | 15 | 1.20 | 1.20 |
| 18. | डि0क0 (क0नि0) वा0क0, जौनपुर | 1 | 2005-06 (जून 2007) | इलेक्ट्रिकल गुड्स तथा मशीनरी पार्ट्स | 47.68 | 10 | 15 | 7.15 | -- |
| 19. | डि0क0 (क0नि0)–II वा0क0, झाँसी | 1 | 2003-04 (मार्च 2006) | एक्सकैवेटर | 43.30 | 12 | 18 | 7.79 | 6.50 |
| 20. | डि0क0 (क0नि0)– VII वा0क0, कानपुर | 1 | 2005-06 (मार्च 2008) | साल सीड आयल | 8.91 | 10 | 15 | 1.34 | -- |

| क0 सं0 | कार्यालय का नाम | व्यापारियों की संख्या | कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष) | वस्तु का नाम | कय की घनराशि | कर की दर | आरोपणीय अर्थदण्ड की दर | आरोपणीय अर्थदण्ड | आडिट के परिपेक्ष्य में आरोपित अर्थदण्ड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | अ0क0, खण्ड XV, वा0क0, कानपुर | 1 | 2004-05 (मार्च 2007) | एम0एस0 बार | 6.86 | 8 | 12 | 0.82 | 0.82 |
| 22. | अ0क0, खण्ड II, वा0क0, लखीमपुर खीरी | 1 | 2005-06 (जुलाई 2007) | हाइड्रोजेनेटेड् कैस्टर आयल | 15.74 | 10 | 15 | 2.36 | -- |
| 23. | डि0क0 (क0नि0)– VII वा0क0, लखनऊ | 1 | 2005-06 (मार्च 2008) | डी0जी0 सेट्, डिश वाशिंग, ट्रीटमेन्ट पी0एल0ए0 व टूथप्रिक | 29.85 | 10 | 15 | 4.48 | -- |
| | | | | फ्रीजर | 1.45 | 16 | 24 | 0.35 | -- |
| 24. | डि0क0 (क0नि0)– XII वा0क0, लखनऊ | 1 | 2004-05 (मार्च 2007) | रेगुलेटर्स, वाल्वस, ब्लू डाईज़, पी0पी0 कैप्स, एलुमीनियम एण्ड एलुमीनियम सील | 388.43 | 10 | 15 | 58.26 | -- |
| 25. | अ0क0, वा0क0, महाराजगंज | 1 | 2003-04 (मार्च 2006) | काउरडील काउडर मशीन | 21.73 | 10 | 15 | 3.26 | -- |
| | | | | ट्रक चेसिस | 35.60 | 12 | 18 | 6.41 | -- |
| 26. | अ0क0, खण्ड III, वा0क0, मथुरा | 1 | 2004-05 (जनवरी 2007) | मार्बल | 5.48 | 12 | 18 | 0.99 | -- |
| 27. | अ0क0, वा0क0, मऊ | 1 | 2004-05 (मार्च 2007) | लोडर (मोटर व्हीकिल) | 16.20 | 12 | 18 | 2.92 | 2.92 |
| 28. | डि0क0 (क0नि0)– II वा0क0, मेरठ | 1 | 2005-06 (मार्च 2008) | फोम | 36.73 | 16 | 24 | 8.81 | -- |
| 29. | डि0क0 (क0नि0)– IV वा0क0, मेरठ | 1 | 2004-05 (जनवरी 2007) | जेनरेटर तथा मशीनरी | 13.45 | 10 | 15 | 2.02 | 2.02 |
| 30. | अ0क0, खण्ड IV, वा0क0, मेरठ | 1 | 2004-05 (फरवरी 2007) | कम्प्यूटर मशीनरी | 6.62 | 10 | 15 | 0.99 | 0.96 |
| 31. | डि0क0 (क0नि0)– III वा0क0, नोएडा | 1 | 2004-05 (मार्च 2007) | इलिमिनेटर, खिड़की के शीशे तथा मिष्ट इलिमिनेटर | 26.58 | 10 | 15 | 3.99 | -- |

| क0 सं0 | कार्यालय का नाम | व्यापारियों की संख्या | कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष) | वस्तु का नाम | कय की धनराशि | कर की दर | आरोपणीय अर्थदण्ड की दर | आरोपणीय अर्थदण्ड | आडिट के परिपेक्ष्य में आरोपित अर्थदण्ड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | डि0क0 (क0नि0)– VII वा0क0, नोएडा | 1 | 2006-07 (फरवरी 2008) | पी0वी0सी0 कन्टेनर्स (वाटर स्टोरेज टैंक) | 12.13 | 10 | 15 | 1.82 | -- |
| 33. | डि0क0 (क0नि0)– IX वा0क0, नोएडा | 1 | 2005-06 (नवम्बर 2007) | बार्स, एम0एस0 स्ट्रिप्स एण्ड आयरन शीट्स | 8.91 | 8 | 12 | 1.07 | -- |
| | | 1 | 2005-06 (अक्टूबर 2006) | मोनोग्राम्स, स्टिकर्स / पी0 पार्ट्स एण्ड स्टिकर्स / मैनुअल्स | 107.26 | 10 | 15 | 16.09 | -- |
| 34. | डि0क0 (क0नि0) वा0क0, प्रतापगढ़ | 1 | 2001-02 (जनवरी 2004) | क्लिंकर | 34.46 | 10 | 15 | 5.17 | 5.17 |
| **योग** | | **37** | | | **1,197.16** | | | **189.39** | **38.64** |

## परिशिष्ट–IV

## वस्तुओं के गलत वर्गीकरण तथा कर की गलत दर लगाये जाने के फलस्वरूप कर का कम आरोपण/अनारोपण

(सन्दर्भित प्रस्तर सं0–2.4.2.2, प्रथम बुलेट)

(लाख रुपये में)

| क0 सं0 | कार्यालय का नाम | व्यापारियों की संख्या | कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष) | अनियमितताओं की प्रकृति | टर्नओवर | कर की दर आरोपणीय / आरोपित (प्रतिशत) | कम आरोपित कर | आडिट के परिपेक्ष्य में आरोपित कर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | डि0क0 (क0नि0)–IV वा0क0, इलाहाबाद | 1 | 2004-05 (मई 2006) | संरक्षित खाद्य सामग्री को स्वीटमीट व नमकीन माना गया | 78.08 | 12/5 | 5.47 | -- |
| | | | 2005-06 (जून 2007) | | 71.34 | 12/5 | 4.99 | -- |
| 2. | अ0क0, खण्ड –IV वा0क0, इलाहाबाद | 1 | 2002-03 (जुलाई 2004) | संरक्षित खाद्य सामग्री को स्वीटमीट व नमकीन माना गया | 21.39 | 12/5 | 1.50 | 1.50 |
| 3. | डि0क0 (क0नि0)–II वा0क0, बरेली | 1 | 2005-06 (मार्च 2008) | फोम कटिंग को वेस्ट प्रोडक्ट माना गया | 83.26 | 10/5 | 4.16 | -- |
| 4. | डि0क0 (क0नि0)– 1ए वा0क0, गाजियाबाद | 1 | 2004-05 (दिसम्बर 2006) | परफ्यूमरी कम्पाउन्ड को आयल आफ आल काइन्डस माना गया | 46.42 | 16/10 | 2.79 | -- |
| 5. | डि0क0 (क0नि0)– V वा0क0, गाजियाबाद | 1 | 2002-03 (फरवरी 2005) | यू0पी0एस0 को इलेक्ट्रानिक कम्पोनेण्ट माना गया | 17.04 | 8/4 | 0.68 | 0.68 |
| 6. | डि0क0 (क0नि0)–VI वा0क0, गाजियाबाद | 1 | 2004-05 (जनवरी 2007) | टेक्सटाइल हार्डनर को केमिकल माना गया | 13.06 | 8/4 | 0.52 | -- |
| | | | 2005-06 (अक्टूबर 2007) | | 15.07 | 8/4 | 0.60 | -- |
| | | 1 | 2003-04 (नवम्बर 2005) | पुरानी मशीनरी को पुरानी व निष्प्रयोज्य माना गया | 43.95 | 8/5 | 1.32 | -- |
| | | | 2004-05 (जून 2006) | | 21.35 | 8/5 | 0.64 | -- |
| | | | 2005-06 (मई 2007) | | 7.20 | 8/5 | 0.21 | -- |
| 7. | डि0क0 (क0नि0)–II वा0क0, हाथरस | 1 | 2006-07 (जनवरी 2008) | इलेक्ट्रानिक खिलौना को खिलौना माना गया | 36.65 | 12/2 | 3.67 | -- |
| 8. | डि0क0 (क0नि0)–II वा0क0, झाँसी | 1 | 2004-05 (मार्च 2007) | फुटवियर को पी0 वी0सी0 फुटवियर माना गया | 52.14 | 8/4 | 2.09 | 2.09 |
| 9. | डि0क0 (क0नि0)–III वा0क0, कानपुर | 1 | 2004-05 (मई 2006) | मोटर लैम्प को इलेक्ट्रिक गुड्स माना गया | 100.74 | 12/10 | 2.01 | -- |
| | | | 2005-06 (जुलाई 2007) | | 117.52 | 12/10 | 2.35 | -- |

| क0 सं0 | कार्यालय का नाम | व्यापारियों की संख्या | कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष) | अनियमितताओं की प्रकृति | टर्नओवर | कर की दर आरोपणीय / आरोपित (प्रतिशत) | कम आरोपित कर | आडिट के परिपेक्ष्य में आरोपित कर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | डि0क0 (क0नि0)–XVI वा0क0, कानपुर | 1 | 2005-06 (जुलाई 2007) | वीको टरमरिक क्रीम को कास्मेटिक के बजाय आयुर्वेदिक मेडिसिन माना गया | 79.98 | 16/8 | 6.40 | -- |
| 11. | डि0क0 (क0नि0)–V वा0क0, लखनऊ | 1 | 2004-05 (जनवरी 2007) | आयुर्वेदिक अनमोल ऑवला हेयर आयल को मेडिकेटेड आयल माना गया | 22.17 | 16/8 | 1.77 | 1.77 |
| 12. | डि0क0 (क0नि0)–II वा0क0, नोएडा | 1 | 2005-06 (जनवरी 2008) | आटो लाक्स को इलेक्ट्रानिक्स गुडस माना गया | 52.23 | 12/8 | 2.09 | 2.09 |
| 13. | डि0क0 (क0नि0)–III वा0क0, सहारनपुर | 1 | 2004-05 (जून 2006) | एकेलिक यार्न को आल काइन्ड आफ यार्न माना गया | 95.24 | 5/4 | 0.95 | -- |
| | | | 2005-06 (अक्टूबर 2007) | | 106.05 | 5/4 | 1.06 | -- |
| 14. | डि0क0 (क0नि0)–VI वा0क0, वाराणसी | 1 | 2006-07 (फरवरी 2008) | संरक्षित खाद्य सामग्री को कन्फेक्शनरी व बिस्कुट माना गया | 63.03 | 12/8 | 2.52 | -- |
| **योग** | | **15** | | | **1,143.91** | | **47.79** | **8.13** |

## परिशिष्ट–V

## वस्तुओं के गलत वर्गीकरण तथा कर की गलत दर लगाये जाने के फलस्वरूप कर का कम आरोपण/अनारोपण

## (सन्दर्भित प्रस्तर सं0–2.4.2.2, द्वितीय बुलेट)

(लाख रुपये में)

| क0 सं0 | कार्यालय का नाम | व्यापारियों की संख्या | कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष) | वस्तु का नाम | कर योग्य टर्नओवर | कर की दर आरोपणीय / आरोपित | कम आरोपित कर | आडिट के परिपेक्ष्य में आरोपित कर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | डि0क0 (क0नि0)–X वा0क0, आगरा | 1 | 2005-06 (जुलाई 2007) | पेपर | 80.33 | 4 / 2.5 | 1.20 | -- |
| 2. | वा0क0अ0, खण्ड–II आजमगढ़ | 1 | 2005-06 (मार्च 2007) | थरमेट | 22.69 | 10 / 4 | 1.36 | -- |
| 3. | डि0क0 (क0नि0) वा0क0, धामपुर | 1 | 2005-06 (अक्टूबर 2007) | आयातित पॉलिस्टर फिलामेन्ट (यार्न) | 146.64 | 20 / 4 | 23.46 | -- |
| 4. | डि0क0 (क0नि0)–II वा0क0, गौतम बुद्ध नगर | 1 | 2003-04 (मार्च 2006) | आटो पार्टस एवं कार के ए0सी0 पार्टस | 139.38 | 12 / 10 | 2.79 | -- |
| 5. | डि0क0 (क0नि0)–I वा0क0, हापुड़ | 1 | 2005-06 (जुलाई 2007) | स्टील तथा पाइप | 270.18 | 4 / 2 | 5.40 | -- |
| 6. | डि0क0 (क0नि0)–XII वा0क0, लखनऊ | 1 | 2005-06 (अप्रैल 2007) | वारंटी क्लेम (टू व्हीलर ऑटो पार्टस) | 6.27 | 12 / -- | 0.75 | -- |
| 7. | डि0क0 (क0नि0)–II वा0क0, नोएडा | 1 | 2002-03 (जनवरी 2008) | लकड़ी का फर्नीचर | 9.78 | 8 / -- | 0.78 | 0.78 |
| 8. | डि0क0 (क0नि0)–VII वा0क0, नोएडा | 1 | 2004-05 (मार्च 2007) | वी0सी0डी0 प्लेयर | 103.64 | 12 / 8 | 4.14 | -- |
| | | | 2005-06 (अक्टूबर 2007) | | 18.20 | 12 / 8 | 0.73 | -- |
| 9. | डि0क0 (क0नि0) वा0क0, प्रतापगढ़ | 1 | 2004-05 (दिसम्बर 2006) | अचार व मुरब्बा | 24.24 | 12 / 10 | 0.48 | -- |
| | | | 2005-06 (जून 2007) | | 33.19 | 12 / 10 | 0.66 | -- |
| 10. | डि0क0 (क0नि0)–VI वा0क0, वाराणसी | 1 | 2006-07 (मार्च 2008) | हिमगंगे आयुर्वेदिक तेल | 2,299.84 | 10 / 8 | 46.00 | -- |
| | | 1 | 2005-06 (जून 2007) | | 145.07 | 10 / 8 | 2.90 | -- |
| **योग** | | **11** | | | **3,299.45** | | **90.65** | **0.78** |

## परिशिष्ट–VI
## शासकीय विज्ञप्ति एवं विभागीय आदेश की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पालन न किया जाना
## (सन्दर्भित प्रस्तर सं0–2.5.2)

(लाख रुपये में)

| क0 सं0 | कार्यालय का नाम | व्यापारियों की संख्या | कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष) | कुल अन्तर्प्रान्तीय बिकी | कय कर की अनियमित करमुक्ति | आडिट के परिपेक्ष्य में अमान्य की गई करमुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | डि0क0 (क0नि0), वा0क0, बदायूँ | 1 | 2004-05 (मार्च 2007) | 91.28 | 1.66 | 2.24 |
| | | 1 | 2004-05 (अक्टूबर 2006) | 31.22 | 0.58 | |
| 2. | डि0क0 (क0नि0), वा0क0, फैजाबाद | 1 | 2004-05 (मार्च 2007) | 55.62 | 1.10 | -- |
| | | 1 | 2004-05 (मार्च 2007) | 52.04 | 0.99 | -- |
| | | 1 | 2004-05 (मार्च 2007) | 37.77 | 0.70 | -- |
| 3. | अ0क0, वा0क0, कौशाम्बी | 1 | 2003-04 (मार्च 2006) | 11.19 | 0.24 | -- |
| | | | 2004-05 (मार्च 2007) | 64.73 | 1.30 | -- |
| 4. | डि0क0 (क0नि0), वा0क0, कोसीकलां | 1 | 2004-05 (जनवरी 2007) | 103.30 | 1.81 | -- |
| 5. | डि0क0 (क0नि0)–II, वा0क0, लखीमपुर खीरी | 1 | 2004-05 (जून 2006) | 87.81 | 2.07 | -- |
| | | 1 | 2004-05 (सितम्बर 2006) | 45.71 | 1.20 | -- |
| | | 1 | 2004-05 (सितम्बर 2006) | 35.58 | 0.77 | -- |
| 6. | अ0क0, वा0क0, महाराजगंज | 1 | 2003-04 (नवम्बर 2006) | 56.08 | 1.10 | -- |
| 7. | डि0क0 (क0नि0), वा0क0, मिर्जापुर | 1 | 2003-04 (अगस्त 2006) | 39.87 | 0.86 | -- |
| 8. | डि0क0 (क0नि0)–III, वा0क0, मुरादाबाद | 1 | 2004-05 (फरवरी 2007) | 53.92 | 1.04 | -- |
| | | | 2005-06 (जनवरी 2008) | 35.85 | 0.67 | -- |
| 9. | डि0क0 (क0नि0)–II, वा0क0, रामपुर | 1 | 2004-05 (दिसम्बर 2006) | 169.27 | 1.69 | -- |
| 10. | डि0क0 (क0नि0)–I, वा0क0, शाहजहॉपुर | 1 | 2004-05 (दिसम्बर 2006) | 97.72 | 2.06 | -- |
| 11. | डि0क0 (क0नि0) वा0क0, सुल्तानपुर | 1 | 2004-05 (मार्च 2007) | 111.60 | 2.24 | -- |
| | | 1 | 2004-05 (फरवरी 2007) | 109.87 | 1.53 | -- |
| | | 1 | 2004-05 (फरवरी 2007) | 59.66 | 1.21 | -- |
| **योग** | | **18** | | **1,350.09** | **24.82** | **2.24** |

# परिशिष्ट–VII

## अधिनियम/नियमों के प्रावधानों का अनुपालन न किया जाना

*(सन्दर्भित प्रस्तर सं0–3.3.1)*

(लाख रुपये में)

| क0सं0 | कार्यालय का नाम | मार्ग का नाम | मार्ग की श्रेणी | वाहनों की सं0 | अवधि | अतिरिक्त कर | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | आरोपणीय | आरोपित | कम आरोपण |
| 1. | स0स0प0का0 बलिया | बलिया से माधीघाट वाया बरनिया | ए | 5 | मार्च 2006 से मार्च 2008 | 9.01 | 6.39 | 2.62 |
| | | बलिया नगरा वाया रिद्धा गरबार रतसार | बी | 19 | मार्च 2006 से मार्च 2008 | 16.99 | 14.49 | 2.50 |
| 2. | स0स0प0का0 बिजनौर | नगीना–कालागढ़ काशीपुर | ए | 40 | अप्रैल 2003 से मार्च 2008 | 184.14 | 147.16 | 36.98 |
| 3. | स0स0प0का0 बदायूँ | बदायूँ–दातागंज सहसबान वाया विल्सी | बी | 10 | जनवरी 2006 से नवम्बर 2007 | 22.38 | 8.20 | 14.18 |
| | | बरेली–दातागंज बलिया | ए | 13 | अप्रैल 2006 से मार्च 2008 | 19.28 | 13.75 | 5.53 |
| | | बदायूँ–विल्सी इस्लामनगर वाया उझानी | बी | 5 | अप्रैल 2004 से मार्च 2008 | 27.25 | 14.99 | 12.26 |
| | | बदायूँ–उसैनबा से देहारपुर रोड | ए | 10 | अप्रैल 2006 से मार्च 2008 | 22.99 | 10.61 | 12.38 |
| | | बदॉयू–विल्सी इस्लामनगर वाया कुरू | बी | 40 | अप्रैल 2006 से मार्च 2008 | 50.37 | 40.07 | 10.30 |
| | | सहसबान से रिसौली आंवला रोड | बी | 16 | अप्रैल 2003 से मार्च 2008 | 30.31 | 17.09 | 13.22 |
| 4. | स0स0प0का0 फतेहपुर | जाफरगंज–घाटमपुर | ए | 19 | अप्रैल 2004 से मार्च 2008 | 56.57 | 46.44 | 10.13 |
| 5. | स0स0प0का0 हमीरपुर | राठ–जलालपुर–बिरार मौदाहा | ए | 21 | अप्रैल 2007 से मार्च 2008 | 17.89 | 11.18 | 6.71 |
| 6. | स0स0प0का0 जे0पी0 नगर | नगली–जोएस पोकबारा | बी | 17 | अप्रैल 2007 से मार्च 2008 | 11.12 | 7.49 | 3.63 |
| | | सेरपुर–धायेसी अमरोहा | बी | 13 | अप्रैल 2007 से मार्च 2008 | 9.61 | 6.47 | 3.14 |
| | | कांठ–अमरोहा पोकबारा | बी | 30 | अप्रैल 2007 से मार्च 2008 | 22.16 | 17.68 | 4.48 |
| 7. | स0प0का0 कानपुर नगर | कानपुर–औरैया | ए | 5 | अप्रैल 2005 से फरवरी 2008 | 39.43 | 25.63 | 13.80 |
| | | कानपुर–रसूलाबाद | ए | 14 | अप्रैल 2005 से फरवरी 2008 | 18.82 | 16.27 | 2.55 |
| 8. | स0स0प0का0 कुशीनगर | छितैनी सेमियुर | ए | 24 | अक्टूबर 2007 से मार्च 2008 | 23.99 | 6.39 | 17.60 |
| | | चिरैया कोट वाया खड्डा से सेमियुर | ए | 27 | अक्टूबर 2007 से मार्च 2008 | 25.81 | 6.88 | 18.93 |
| | | कसया–बनराहा मोड़ | ए | 10 | अप्रैल 2007 से मार्च 2008 | 11.37 | 5.15 | 6.22 |
| | | पोर्टोवाल–मडुआडीह | ए | 15 | अप्रैल 2007 से मार्च 2008 | 32.23 | 6.78 | 25.45 |

| क0सं0 | कार्यालय का नाम | मार्ग का नाम | मार्ग की श्रेणी | वाहनों की सं0 | अवधि | अतिरिक्त कर | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | आरोपणीय | आरोपित | कम आरोपण |
| | | कटवा– बनराहा मोड़ | ए | 12 | अप्रैल 2007 से मार्च 2008 | 40.76 | 6.03 | 34.73 |
| | | सिसबा–मडुआडीह | ए | 11 | अप्रैल 2007 से मार्च 2008 | 38.18 | 5.65 | 32.53 |
| 9. | स0प0का0 मेरठ | मेरठ–काली प्रीक्षित ऐसाबाद ललियाना | बी | 48 | मार्च 2006 से मार्च 2008 | 166.64 | 60.98 | 105.66 |
| 10. | स0स0प0का0 सिद्धार्थनगर | बंशी बड़नी वाया डुमरियागंज | ए | 52 | जुलाई 2007 से मार्च 2008 | 24.14 | 16.44 | 7.70 |
| | | बंशी इटवा वाया विथकाहेर | ए | 41 | जुलाई 2007 से मार्च 2008 | 10.34 | 7.04 | 3.30 |
| 11. | स0स0प0का0 उन्नाव | दही चौकी पुरौना मौरवा उन्नाव | ए | 24 | अप्रैल 2006 से मार्च 2008 | 22.88 | 16.10 | 6.78 |
| | | शुक्लागंज–संडीला | ए | 10 | अप्रैल 2006 से मार्च 2008 | 6.53 | 5.59 | 0.94 |
| | | उन्नाव–हरदोई | ए | 20 | अप्रैल 2006 से मार्च 2008 | 12.63 | 10.83 | 1.80 |
| **योग** | | | | **571** | | **973.82** | **557.77** | **416.05** |

# परिशिष्ट–VIII

## अधिनियम/नियमों के प्रावधानों का अनुपालन न किया जाना

*(सन्दर्भित प्रस्तर सं0–3.3.2)*

(लाख रुपये में)

| क0सं0 | कार्यालय का नाम | लेखा परीक्षा की अवधि (लेखा परीक्षा का माह) | वाहनों की संख्या | आरोपणीय कर |
|---|---|---|---|---|
| 1. | स0स0प0का0 बागपत | अप्रैल 2003 से मार्च 2008 (दिसम्बर 2008) | 8 | 1.22 |
| 2. | स0स0प0का0 बलिया | अप्रैल 2005 से मार्च 2008 (जून 2008) | 18 | 1.36 |
| 3. | स0प0का0 बॉदा | अप्रैल 2003 से मार्च 2008 (मार्च 2008) | 158 | 13.37 |
| 4. | स0स0प0का0 बिजनौर | अप्रैल 2003 से मार्च 2008 (फरवरी 2009) | 247 | 2.58 |
| 5. | स0स0प0का0 बुलन्दशहर | जुलाई 2003 से मार्च 2008 (अगस्त 2008) | 57 | 6.15 |
| 6. | स0स0प0का0 चित्रकूट | अप्रैल 2003 से मार्च 2008 (जुलाई 2008) | 17 | 0.88 |
| 7. | स0स0प0का0 इटावा | अप्रैल 2003 से मार्च 2008 (मई 2008) | 80 | 10.40 |
| 8. | स0प0का0 फैजाबाद | अप्रैल 2003 से मार्च 2008 (फरवरी 2009) | 218 | 22.49 |
| 9. | स0स0प0का0 फतेहपुर | अप्रैल 2003 से मार्च 2008 (मार्च 2008) | 115 | 3.92 |
| 10. | स0स0प0का0 हमीरपुर | अप्रैल 2003 से मार्च 2008 (जून 2008) | 53 | 5.71 |
| 11. | स0स0प0का0 हरदोई | अप्रैल 2003 से मार्च 2008 (दिसम्बर 2008) | 91 | 5.93 |
| 12. | स0प0का0 कानपुर नगर | अप्रैल 2003 से मार्च 2008 (मार्च 2008) | 200 | 9.14 |
| 13. | स0स0प0का0 कौशाम्बी | अप्रैल 2003 से मार्च 2008 (जून 2008) | 61 | 5.03 |
| 14. | स0स0प0का0 महाराजगंज | अप्रैल 2003 से मार्च 2008 (जनवरी 2009) | 36 | 2.28 |
| 15. | स0स0प0का0 महोबा | अप्रैल 2003 से मार्च 2008 (अप्रैल 2008) | 15 | 0.75 |
| 16. | स0प0का0 मेरठ | अप्रैल 2003 से मार्च 2008 (मई 2008) | 88 | 10.01 |
| 17. | स0स0प0का0 प्रतापगढ़ | अप्रैल 2003 से मार्च 2008 (अप्रैल 2008) | 109 | 8.77 |
| 18. | स0स0प0का0 सिद्धार्थनगर | जनवरी 2006 से मार्च 2008 (मार्च 2008) | 23 | 1.16 |
| **योग** | | | **1,594** | **111.15** |

# परिशिष्ट–IX

## शासन के निर्देशों का अनुपालन न किया जाना
## (सन्दर्भित प्रस्तर सं0–4.3.1)

(लाख रुपये में)

| क0सं0 | कार्यालय का नाम | खण्ड तथा विलेख सं0 | निबन्धन/लेखा परीक्षा का माह | सम्पत्ति का मूल्यांकन | स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस | | स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | आरोपणीय | आरोपित | |
| 1. | उप निबन्धक बाह, आगरा | 1166<br>2049 | जून 2008<br>जुलाई 2008 | 86.19 | 6.95 | 0.01 | 6.94 |
| 2. | उप निबन्धक बारा इलाहाबाद | 416<br>2082 | अक्टूबर 2004<br>जुलाई 2008 | 17.00 | 1.75 | 0.32 | 1.43 |
| | | 494<br>1461 | अक्टूबर 2005<br>जुलाई 2008 | 53.62 | 4.34 | 0.002 | 4.34 |
| 3. | उप निबन्धक जलालपुर, अम्बेदकर नगर | 990<br>386 | फरवरी 2008<br>जून 2008 | 76.50 | 6.17 | 0.04 | 6.13 |
| | | 990<br>385 | फरवरी 2008<br>जून 2008 | 18.20 | 1.51 | 0.02 | 1.49 |
| | | 871<br>782 | मार्च 2007<br>जून 2008 | 58.88 | 4.71 | 0.06 | 4.65 |
| | | 871<br>781 | मार्च 2007<br>जून 2008 | 49.23 | 3.94 | 0.06 | 3.88 |
| 4. | उप निबन्धक बड़ौत, बागपत | 1679<br>1153 | फरवरी 2008<br>अगस्त 2008 | 42.28 | 4.28 | 0.01 | 4.27 |
| | | 1679<br>1160 | फरवरी 2008<br>अगस्त 2008 | 24.71 | 2.03 | 0.06 | 1.97 |
| | | 1754<br>3446 | अप्रैल 2008<br>अगस्त 2008 | 87.25 | 7.03 | 0.01 | 7.02 |
| 5. | उप निबन्धक विल्सी, बदायूँ | 970<br>3755 | नवम्बर 2007<br>दिसम्बर 2008 | 92.24 | 7.43 | 0.15 | 7.28 |
| 6. | उप निबन्धक जलेसर, एटा | 1459<br>1914 | मई 2006<br>अगस्त 2008 | 278.91 | 22.31 | 0.05 | 22.26 |
| 7. | उप निबन्धक सदर, एटा | 5494<br>4325 | मई 2008<br>नवम्बर 2008 | 12.11 | 1.26 | 0.18 | 1.08 |
| | | 5387<br>2250 | मार्च 2008<br>नवम्बर 2008 | 402.04 | 40.25 | 0.01 | 40.24 |
| | | 5327<br>750 | जनवरी 2008<br>नवम्बर 2008 | 54.14 | 5.46 | 0.09 | 5.37 |
| 8. | उप निबन्धक इटावा | 3123<br>1705 | अप्रैल 2008<br>अक्टूबर 2008 | 13.02 | 1.35 | 0.22 | 1.13 |
| | | 3115<br>1544 | अप्रैल 2008<br>अक्टूबर 2008 | 9.86 | 1.04 | 0.15 | 0.89 |
| | | 3115<br>1542 | अप्रैल 2008<br>अक्टूबर 2008 | 13.02 | 1.30 | 0.26 | 1.04 |
| 9. | उप निबन्धक– II झाँसी | 1293<br>4999 | सितम्बर 2007<br>नवम्बर 2008 | 180.00 | 18.00 | 0.56 | 17.44 |
| 10. | उप निबन्धक मऊरानीपुर, झाँसी | 2212<br>5674 | नवम्बर 2007<br>जून 2008 | 44.58 | 4.46 | 0.22 | 4.24 |
| 11. | उप निबन्धक–III, कानपुर | 8385<br>3291 | मार्च 2008<br>जनवरी 2009 | 75.02 | 7.50 | 1.91 | 5.59 |
| 12. | उप निबन्धक कसया, कुशीनगर | 1097<br>1879 | जुलाई 2007<br>जून 2008 | 62.89 | 5.03 | 0.01 | 5.02 |

| क0सं0 | कार्यालय का नाम | खण्ड तथा विलेख सं0 | निबन्धन/लेखा परीक्षा का माह | सम्पत्ति का मूल्यांकन | स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस | | स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | आरोपणीय | आरोपित | |
| 13. | उप निबन्धक सादाबाद महामायानगर | 1335<br>6702 | अक्टूबर 2007<br>जुलाई 2008 | 174.10 | 13.93 | 0.02 | 13.91 |
| | | 1339<br>5220 | नवम्बर 2007<br>जुलाई 2008 | 62.16 | 4.97 | 0.01 | 4.96 |
| 14. | उप निबन्धक सिकन्दराराऊ, महामायानगर | 2305<br>5751 | अक्टूबर 2007<br>जुलाई 2008 | 48.75 | 3.90 | 0.17 | 3.73 |
| 15. | उप निबन्धक घोसी, मऊ | 1152<br>1362 | नवम्बर 2005<br>मई 2008 | 7.82 | 0.78 | 0.16 | 0.62 |
| 16. | उप निबन्धक मधुबन मऊ, घोसी | 476<br>1122 | अगस्त 2007<br>मई 2008 | 42.00 | 3.16 | 0.17 | 2.99 |
| | | 478<br>1181 | सितम्बर 2007<br>मई 2008 | 9.60 | 0.77 | 0.29 | 0.48 |
| | | 479<br>1185 | सितम्बर 2007<br>मई 2008 | 9.60 | 0.77 | 0.29 | 0.48 |
| 17. | उप निबन्धक चुनार मिर्जापुर | 1161<br>5501 | दिसम्बर 2006<br>जून 2007 | 26.91 | 2.15 | 0.01 | 2.14 |
| 18. | उप निबन्धक मिर्जापुर | 3267<br>4866 | अक्टूबर 2007<br>अगस्त 2008 | 16.64 | 1.38 | 0.04 | 1.34 |
| | | 3267<br>4870 | अक्टूबर 2007<br>अगस्त 2008 | 22.60 | 1.86 | 0.04 | 1.82 |
| | | 3089<br>1101 | मार्च 2007<br>अगस्त 2008 | 41.50 | 3.32 | 0.93 | 2.39 |
| 19. | उप निबन्धक कांठ मुरादाबाद | 134<br>186 | फरवरी 2005<br>अप्रैल 2008 | 38.40 | 3.07 | 0.05 | 3.02 |
| 20. | उप निबन्धक–II मुरादाबाद | 5420<br>3559 | जून 2007<br>मार्च 2008 | 1,123.20 | 112.32 | 0.36 | 111.96 |
| 21. | उप निबन्धक सम्भल, मुरादाबाद | 3970<br>1119 | फरवरी 2008<br>अगस्त 2008 | 44.70 | 4.32 | 0.01 | 4.31 |
| 22. | उप निबन्धक–II मुजफ्फरनगर | 2721<br>2056 | मार्च 2008<br>फरवरी 2009 | 156.77 | 15.68 | 4.73 | 10.95 |
| 23. | उप निबन्धक बीसलपुर, पीलीभीत | 2348<br>1084 | फरवरी 2007<br>मार्च 2008 | 37.80 | 3.02 | 0.31 | 2.71 |
| 24. | उप निबन्धक सदर –II, सहारनपुर | 1298<br>3419 | जून 2008<br>मार्च 2009 | 44.62 | 4.51 | 1.15 | 3.36 |
| | | 1304<br>3732 | अप्रैल 2008<br>मार्च 2009 | 53.54 | 5.40 | 3.45 | 1.95 |
| 25. | उप निबन्धक सदर, सुल्तानपुर | 3767<br>3583 | जून 2008<br>मार्च 2009 | 158.10 | 12.70 | 0.07 | 12.63 |
| 26. | उप निबन्धक II वाराणसी | 1704<br>1353 | मार्च 2007<br>मई 2008 | 45.00 | 4.50 | 0.56 | 3.94 |
| | | 1976<br>4885 | सितम्बर 2007<br>मई 2008 | 13.93 | 1.39 | 0.70 | 0.69 |
| **योग** | | | | **3,929.43** | **362.00** | **17.92** | **344.08** |

# परिशिष्ट–X

## शासन के निर्देशों का अनुपालन न किया जाना
## (सन्दर्भित प्रस्तर सं0–4.3.2)

(लाख रुपये में)

| क0 सं0 | कार्यालय का नाम | विलेख सं0 निबन्धन का माह | भूमि का क्षेत्र व0मी0 में | विलेख के अनुसार सम्पत्ति का मूल्यांकन | बाजार दर पर सम्पत्ति का मूल्यांकन | स्टाम्प शुल्क आरोपणीय | स्टाम्प शुल्क आरोपित | स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | उप निबन्धक संडीला हरदोई | *गैर–कृषि भूमि 'ए'* | | | | | | |
| | | 3424 जून 2007 | 4365.00 | 8.19 | 152.78 | 12.22 | 0.66 | 11.56 |
| 2. | उप निबन्धक डेरापुर, कानपुर(देहात) | 499 मार्च 2007 | 10890.00 | 22.00 | 119.79 | 9.58 | 1.76 | 7.82 |
| 3. | उप निबन्धक सदर, फैजाबाद | 3400 अगस्त 2007 | 8870.00 | 20.41 | 40.81 | 4.08 | 2.04 | 2.04 |
| 4. | उप निबन्धक–III, लखनऊ | 519 जनवरी 2008 | 4300.00 | 30.75 | 77.40 | 7.74 | 3.08 | 4.66 |
| | | 624 फरवरी 2008 | 5190.00 | 37.11 | 93.42 | 9.34 | 3.71 | 5.63 |
| | | | योग (ए) | **118.45** | **484.20** | **42.96** | **11.25** | **31.71** |
| | | *वणिज्यिक भूमि 'बी'* | | | | | | |
| | | 7163 दिसम्बर 2007 | 476.95 | 28.62 | 76.31 | 7.63 | 2.86 | 4.77 |
| 5. | उप निबन्धक सदर, मऊ | 1168 अप्रैल 2007 | 240.00 | 13.74 | 40.78 | 3.88 | 1.71 | 2.17 |
| 6. | उप निबन्धक डिबाई बुलन्दशहर | 1574 मई 2008 | 45.40 | 10.90 | 23.16 | 2.12 | 0.89 | 1.23 |
| | | | योग (बी) | **53.26** | **140.25** | **13.63** | **5.46** | **8.17** |
| | | | महायोग (ए+बी) | **171.71** | **624.45** | **56.59** | **16.71** | **39.88** |

# परिशिष्ट–XI

## विभागीय प्राप्तियों का दुर्विनियोजन
## (सन्दर्भित प्रस्तर सं0–5.2.7.1)

*(लाख रूपये में)*

| क्र. सं. | खण्ड का नाम | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 | 2006–07 | 2007–08 | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | प्रान्तीय खण्ड, आगरा | - | - | 5.99 | 1.45 | 7.33 | **14.77** |
| 2. | निर्माण खण्ड, आगरा | - | 38.83 | 5.08 | 1.07 | - | **44.98** |
| 3. | प्रान्तीय खण्ड, इलाहाबाद | 12.36 | - | - | - | - | **12.36** |
| 4. | निर्माण खण्ड–I, इलाहाबाद | - | - | - | 9.05 | 16.59 | **25.64** |
| 5. | प्रान्तीय खण्ड, बागपत | - | - | 1.00 | - | 9.21 | **10.21** |
| 6. | प्रान्तीय खण्ड, बाराबंकी | - | - | - | 8.98 | 1.18 | **10.16** |
| 7. | निर्माण खण्ड–I, बाराबंकी | - | - | 10.02 | 3.82 | 23.88 | **37.72** |
| 8. | निर्माण खण्ड–III, बाराबंकी | - | 14.68 | 6.70 | 5.15 | - | **26.53** |
| 9. | प्रान्तीय खण्ड, बिजनौर | - | - | - | 22.42 | 56.27 | **78.69** |
| 10. | निर्माण खण्ड–II, बिजनौर | - | - | - | - | 16.90 | **16.90** |
| 11. | प्रान्तीय खण्ड, देवरिया | - | - | - | 4.74 | 17.08 | **21.82** |
| 12. | निर्माण खण्ड, देवरिया | - | - | - | - | 8.35 | **8.35** |
| 13. | निर्माण खण्ड, फर्रूखाबाद | - | - | - | - | 3.92 | **3.92** |
| 14. | प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर | - | - | - | - | 13.42 | **13.42** |
| 15. | निर्माण खण्ड–I, गोरखपुर | 6.06 | 3.90 | 2.48 | 3.80 | 30.74 | **46.98** |
| 16. | प्रान्तीय खण्ड, जौनपुर | 18.19 | - | - | - | - | **18.19** |
| 17. | निर्माण खण्ड, जौनपुर | - | 3.91 | - | 3.09 | - | **7.00** |
| 18. | प्रान्तीय खण्ड, कन्नौज | - | - | - | 2.96 | 1.05 | **4.01** |
| 19. | प्रान्तीय खण्ड, लखीमपुर खीरी | - | - | 51.47 | - | 18.97 | **70.44** |
| 20. | निर्माण खण्ड–I, लखीमपुर खीरी | - | - | 12.19 | - | - | **12.19** |
| 21. | प्रान्तीय खण्ड, लखनऊ | 67.31 | 38.93 | 168.96 | 98.98 | 191.15 | **565.33** |
| 22. | निर्माण खण्ड–II, लखनऊ | - | - | - | 6.77 | 17.92 | **24.69** |
| 23. | प्रान्तीय खण्ड, महराजगंज | - | - | - | - | 9.57 | **9.57** |
| 24. | निर्माण खण्ड, महराजगंज | - | - | - | - | 5.05 | **5.05** |
| 25. | प्रान्तीय खण्ड, मेरठ | - | - | 34.10 | 51.44 | 40.90 | **126.44** |
| 26. | प्रान्तीय खण्ड, सहारनपुर | 5.20 | 1.50 | 4.20 | - | - | **10.90** |
| 27. | निर्माण खण्ड, सहारनपुर | - | - | - | - | 23.53 | **23.53** |
| 28. | प्रान्तीय खण्ड, सीतापुर | - | 9.08 | 8.46 | 9.78 | 19.07 | **46.39** |
| 29. | निर्माण खण्ड–I, सीतापुर | - | - | - | 26.52 | 1.11 | **27.63** |
| **योग** | | **109.12** | **110.83** | **310.65** | **260.02** | **533.19** | **1,323.81** |